



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2008-2009

दिनांक 31.03.2009 तक का निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2009

श्री एस.ए.भट अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	Shri S A Bhat Chairman and Managing Director
श्री जी.नारायणन कार्यपालक निदेशक	Shri G Narayanan Executive Director
श्री वाई.एल.मदान कार्यपालक निदेशक (दिनांक 16.05.2008 से)	Shri Y L Madan Executive Director (from 16.05.2008)
डॉ.विनीता कुमार सरकारी नामिती निदेशक	Dr. Vinita Kumar GOI Nominee Director
श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन भा रि बैंक के नामिती निदेशक	Smt.Chitra Chandramouliswaran RBI Nominee Director
श्री नटेशन श्रीधरन कर्मकार कर्मचारी निदेशक	Shri Natesan Sridaran Workmen Employee Director
श्री जे.डी.शर्मा अधिकारी कर्मचारी निदेशक	Shri J D Sharma Officer Employee Director
श्री एम.रवींद्र विक्रम भारत सरकार द्वारा नामिती (सनदी लेखाकार वर्ग)	Shri M Ravindra Vikram Nominated by the GOI (Chartered Accountant category)
श्री बी.वी.अप्पा राव भारत सरकार द्वारा नामिती	Shri B V Appa Rao Nominated by the GOI
श्री अशोक कुमार भार्गव शेयरधारक निदेशक	Shri Ashok Kumar Bhargava Shareholder Director
डॉ.चिरंजीब सेन शेयरधारक निदेशक	Dr. Chiranjib Sen Shareholder Director
श्री ए.वेल्लयन शेयरधारक निदेशक	Shri A Vellayan Shareholder Director

श्री के. सुन्दर राजन
उप महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव

Shri K Sundar Rajan
Deputy General Manager & Board Secretary

लेखा परीक्षक

वैदीश्वरन एण्ड कं.
महाराज एन.आर सुरेश एण्ड कं.
ओम अग्रवाल एण्ड कं.
वर्मा एण्ड वर्मा
पीकेएफ श्रीधर एण्ड सन्तानम
भास्करन एण्ड रमेश

AUDITORS

Vaithisvaran & Co
Maharaj N R Suresh & Co
Om Agarwal & Co.
Varma & Varma
PKF Sridhar & Santhanam
Bhaskaran & Ramesh

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंजिल
न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन- 044-28460390(छ: लाइनें),
28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल :investor@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai - 600 002
Tel : 044 - 28460390 (Six Lines)
28460084, 28460395
Fax: 044 - 28460129
e- mail : investor@cameoindia.com



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2008-2009

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं. Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं. Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से From the Chairman's desk	3	कापोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	65
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	7	वार्षिक लेखे Annual Accounts	66
परिणाम - एक झलक में Results at a Glance	11	नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	131 133
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	135
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	19	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	141 142
वर्ष 2008-09 के लिए कापोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the Year 2008-09	34	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip ईसीएस अधिदेश फार्म ECS Mandate Form	143 144

वित्तीय कैलेंडर

Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के लिए		For the Financial Year 1st April 2008 to 31st March 2009	
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	29.05.2009 से 08.06.2009	Posting of Annual Report	29.05.2009 to 08.06.2009
लेखा बंदी की तारीखें	23.05.2009 (शनिवार) से 29.05.2009 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)	Book Closure Dates	23.05.2009 (Saturday) to 29.05.2009 (Friday) (both days inclusive)
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	29.06.2009 (सोमवार) 17.00 बजे	Last date for Receipt of Proxy forms	29.06.2009 (Monday) 17:00 Hrs
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	04.07.2009 (शनिवार) सुबह 11.00 बजे	Date of AGM	04.07.2009 (Saturday) 11.00 A.M.
लाभांश की घोषणा	04.07.2009 (शनिवार)	Declaration of dividend	04.07.2009 (Saturday)
लाभांश अदायगी तारीख को या उपरान्त	17.07.2009	Dividend Payment date on or after	17.07.2009
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	12.07.2009 से 16.07.2009	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	12.07.2009 to 16.07.2009



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पत्र

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



श्री एस. ए. भट

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S.A. BHAT

Chairman & Managing Director

प्रिय शेयरधारको,

वर्ष 2008-09 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं वर्ष के दौरान बैंक की उपलब्धियों और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई 8.7% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 6.5% - 6.7% की वृद्धि हुई। इस मंदी का कारण वैश्विक वित्तीय तथा आर्थिक संकट है। अप्रैल 10, 2009 तक विदेशी विनिमय आरक्षितियाँ यू एस डी 253 बिलियन रही, जो कि मार्च 2008 के अंत की यू एस डी 309.71 बिलियन की तुलना में यू एस डी 56.7 बिलियन घट गयीं हैं। वर्ष 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान मर्चेन्डाइज निर्यात ने भी 6.4% की कम वृद्धि दर्ज की है और इस अवधि के दौरान आयातों ने भी कम वृद्धि दर्शायी है क्योंकि एक वर्ष पहले मर्चेन्डाइज व्यापार का घाटा जहाँ 82.2 बिलियन यू एस डी था, वहाँ इस अवधि में वह 113.8 बिलियन रहा। निवेशकों के खराब अभिमत, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिक्री, औद्योगिक विकास में मंदी के चलते वर्ष 2008-09 के दौरान ईक्विटी बाजार में गिरावट नजर आयी। मार्च 2008 के अंत तक 15644 रहने वाला बी एस ई सेंसेक्स वर्ष के दौरान 55.68% घट कर मार्च 2009 के अंत तक 10049 रह गया। अक्तूबर 27, 2008 को बीएसई संवेदी सूचकांक में 7697 तक की गिरावट आयी जो पूरे वर्ष की तुलना में कम रहा। अप्रैल 2009 के दौरान बाजार में थोड़ा पुनःप्राप्ति दिखाई दी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कार्यानिष्पादन की निम्नलिखित विशिष्टताएँ रही हैं :

- ➔ 31 मार्च 2009 तक आपके बैंक का वैश्विक कारोबार रु.1,75,926 करोड़ तक पहुँच गया जो कि पिछले वर्ष के रु.1,45,383 करोड़ की तुलना में 21.01% अधिक है।
- ➔ वर्ष 2008-2009 के दौरान बैंक की जमाओं ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.15,790 करोड़ (18.72%) के स्वस्थ विकास को दर्ज किया है। वर्ष 2007-08 के रु.84,326 करोड़ की जमाओं की तुलना में

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2008-09. I would like to briefly highlight some key issues and achievements of the Bank during the year.

The Indian economy is estimated to have recorded a growth in the range of 6.5%-6.7% during the year 2008-09 as against 8.7% during 2007-08. The slowdown is on account of the global financial and economic crisis. As on April 10, 2009, Foreign Exchange Reserves stood at USD 253 billion showing a decline of USD 56.7 billion from USD 309.71 billion at end March 2008. Merchandise exports recorded a lower growth of 6.4% during 2008-09 (April - February) and imports also recorded a lower growth with the merchandise trade deficit during this period widening to USD 113.8 billion from USD 82.2 billion a year ago. During 2008-09, equity markets showed a declining trend reflecting poor investor sentiment, heavy selling by Foreign Institutional Investors, slowdown in industrial growth etc. The BSE Sensex decreased by 55.68% during the year from 15644 at end March 2008 to 10049 at end March 2009. The BSE Sensex has touched an all time low of 7697 on October 27, 2008. During April 2009, the market has shown a slight recovery.

The following are the highlights of the performance of the Bank during the year under review :

- ➔ Your Bank's global business reached Rs. 1,75,926 crore as at 31st March 2009 resulting in an increase of 21.01% over last year's figure ie. Rs. 1,45,383 crore
- ➔ Deposits of the Bank registered an healthy year-on-year (y-o-y) growth of Rs. 15,790 crore (18.72%) during the year 2008-09 and increased



2008-2009 के लिए यह रु.1,00,116 करोड़ रही और इस प्रकार बैंक ने रु.1,00,000 करोड़ के "मील के पत्थर" को पार कर लिया।

- वर्ष 2008 - 2009 के दौरान सकल अग्रिमों ने वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.14,752 करोड़ (24.16%) की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2007-08 के रु.61,058 करोड़ के अग्रिमों की तुलना में 2008-2009 के लिए ये रु.75,810 करोड़ रहे हैं।
- यह जमाओं के लिए 19.8% और गैर-खाद्यान्न उधार के लिए 23.9% की उद्योग वार विकास दर की तुलना में है।
- बैंक का परिचालनगत लाभ 31.03.2008 तक के रु. 2,002 करोड़ की तुलना में 31.03.2009 तक रु.2,524 करोड़ रहा। परिचालनगत लाभ में 26.07% की वृद्धि इसीलिए उच्च रही, क्योंकि कारोबार की प्रमात्रा में वृद्धि हुई व पर्याप्त कोषागार लाभ मिले।
- अग्रिमों पर आय तथा गैर ब्याज आय में वृद्धि के ज़रिए वर्ष दर वर्ष आधार पर वर्षांत तक 10.32% की वृद्धि को दर्ज करते हुए निवल लाभ रु.1,326 करोड़ तक पहुँच गया।
- वर्ष 2007-08 के रु.28,475 करोड़ की तुलना में बैंक का निवल निवेश रु.31,215 करोड़ तक बढ़ गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के 40% मानदंडों के प्रति समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत 42.62% रहा।
- समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के कृषि उधार पोर्टफोलियो ने रु.2,128 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है जिससे यह रु.8,689 करोड़ से बढ़ कर रु.10,817 करोड़ हो गया। समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में बैंक के कृषि अग्रिम का प्रतिशत 18.42% रहा जो कि निर्धारित 18% मानदंड का अधिगमन है।
- 31 मार्च 2009 तक एसएमई क्षेत्र में बैंक का कुल उधार रु.9,395 करोड़ रहा। कॉयर् उद्योगों तथा महिलाओं के उद्यमी विकास के उद्देश्य से विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बैंक ने कॉयर् बोर्ड और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है।
- रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उधार जमा अनुपात ने 75.72% के उच्च स्तर को हासिल कर लिया।
- 31.03.2009 तक के लिए निवल मूल्य की औसत प्रतिशतता के रूप में बैंक का निवल लाभ 24.80% रहा।
- पिछले वर्ष के रु.2,450 करोड़ की तुलना में इस अवधि के दौरान कुल निवल ब्याज आय बढ़कर रु. 2,870 तक पहुँच गयी, जो कि 17.13% की वृद्धि है।
- वर्ष के लिए निवल ब्याज मार्जिन 2.84% रहा।
- 24.16% की उच्चतर उधार वृद्धि और पर्याप्त वसूलियों सहित घरेलू क्षेत्र के अग्रिमों पर आय में हुई वृद्धि के कारण बैंक की कुल आय 28.05% बढ़ गई।

from Rs. 84,326 crore for the year 2007-08 to Rs. 1,00,116 crore, thereby crossing the milestone of Rs. 1,00,000 crore.

- Gross Advances registered a y-o-y growth of Rs. 14,752 crore (24.16%) and stood at Rs. 75,810 crore for the year 2008-09, as against Rs. 61,058 crore for the year 2007-08.
- This is as against the industry-wise growth rates of 19.8% for Deposits and 23.9% for Non-food Credit.
- Operating Profit for the Bank was Rs. 2,524 crore as on 31.03.2009 as against Rs. 2,002 crore as on 31.03.2008. The growth in operating profit at 26.07% was appreciably high due to expansion in volume of business and substantial treasury gains.
- Net Profit reached a level of Rs 1,326 crore at the end of the year registering an increase of 10.32% y-o-y through improvement in yield on advances and non-interest income.
- Net investments of the Bank increased to Rs. 31,215 crore from Rs. 28,475 crore in 2007-08.
- The percentage of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit was at 42.62% as against RBI norms of 40%.
- The agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs.2,128 crore from Rs. 8,689 crore to Rs. 10,817 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit at 18.42% exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector.
- The total exposure of the Bank as on March 31, 2009 to SME sector stood at Rs. 9,395 crore. The Bank has executed MOUs with Coir Board and Ministry of MSME, Government of India, for implementing special schemes aimed at entrepreneurial development of coir industries and women respectively.
- The CD Ratio registered high level of 75.72% as at the end of the reporting period.
- The Bank's Net Profit as a percentage of Average Networth as of 31.03.2009 stood at 24.80%.
- Total Net Interest Income improved to Rs. 2,870 crore when compared to Rs. 2,450 crore last year, registering a growth of 17.13%.
- Net Interest Margin stood at 2.84% for the year.
- The Bank's total income witnessed a growth rate of 28.05% due to higher credit growth at 24.16% and increased yield on advances on the domestic front with substantial recoveries.



- प्रति कर्मचारी व्यापार जहाँ रु.5.83 करोड़ से बढ़कर रु.6.89 करोड़ हो गया, जो कि 18.18% की वृद्धि है, वहीं प्रति कर्मचारी लाभ रु.4.82 लाख से बढ़कर रु. 5.20 लाख हो गया जो कि 7.88% की वृद्धि है।
- मार्च 2009 तक सकल अनर्जक आस्ति रु.1923.41 करोड़ रही। प्रतिशत के संदर्भ में 31.03.2008 के 1.63% की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 2.54% रहा। वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक विकास में मंदी के कारण वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 1.33% रहा।
- वर्ष 2008-09 के लिए निदेशक मंडल ने 45% लाभांश की सिफारिश की है।

समीक्षागत वर्ष के दौरान बैंक की प्रमुख उधार दर बीपीएलआर निम्नवत है:

01.04.2008 से 15.08.2008	-	13.50%
16.08.2008 से 05.11.2008	-	14.00%
06.11.2008 से 16.01.2009	-	13.25%
17.01.2009 से	-	12.50%

तथापि बैंक का कुल व्याज अर्जन वर्ष 2007-2008 के रु.7739 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008-2009 में रु.9,641 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2008 से संशोधित नयी पूँजीगत पर्याप्तता प्रणाली -बेसल II को हम अपना चुके हैं।

बेसल II ढाँचे के अनुसार 31.03.2009 तक के लिए सीआरएआर 13.20% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की अपेक्षा से अधिक है।

खुदरा बैंकिंग के क्षेत्र में वर्ष 2008-09 के दौरान आपके बैंक ने नए उत्पाद शुरू किये हैं जैसे एसबी सिल्वर और एसबी गोल्ड, चालू खाता क्लासिक और चालू खाता सुपर, स्वर्ण आवर्ती जमा योजना तथा आभूषणों के प्रति वाणिज्यिक नकद उधार।

गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण हेतु 20.12.2008 से बैंक ने यूनिवर्सल सॉपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (इलाहाबाद बैंक, कर्णाटक बैंक, डार इन्वेस्टमेंट कापोरेशन और सॉपो जापान इंश्योरेंस इंक. सहित गैर जीवन बीमा संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ कापोरिट अभिकरण व्यवस्था नियत की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई नई शुरुआतों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- अ. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (अधिस्थगनाधीन) की केवल आस्तियों और देयताओं के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया है।
- आ. अपनी शाखाओं और कार्यालयों को नेटवर्क से शत-प्रतिशत जोड़ने के अभियान में बैंक ने 09.05.2009 तक 1993 शाखाओं, क्षेत्रीय

- While the business per employee has improved from Rs. 5.83 crore to Rs. 6.89 crore, an increase of 18.18%, the profit per employee has also risen from Rs 4.82 lacs to Rs 5.20 lacs, an increase of 7.88%.
- Gross NPA stood at Rs. 1,923.41 crore in March 2009. In percentage terms, the Gross NPA ratio was 2.54% as against 1.63% as at 31.03.2008. Net NPA ratio stood at 1.33% during the year due to global phenomena and slowdown of economic growth.
- A dividend of 45% has been recommended by the Board of Directors for the year 2008-09.

During the year under review, the Bank's Prime Lending Rate (BPLR) is as under :

01.04.2008 to 15.08.2008	-	13.50%
16.08.2008 to 05.11.2008	-	14.00%
06.11.2008 to 16.01.2009	-	13.25%
17.01.2009 onwards	-	12.50%

However, the total interest earnings of the Bank increased to Rs.9,641 crore in 2008-09 compared to Rs.7,739 crore in 2007-08.

As a Bank with international presence, we have already moved to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31st March 2008 in line with RBI guidelines.

CRAR as per BASEL-II framework as on 31.3.2009 works out to 13.20% which is above the requirement of 9% prescribed by RBI.

In the area of Retail Banking, your Bank has launched new products during the year 2008-09 viz. SB – Silver and SB – Gold, Current Account Classic and Current Account Super, Gold Recurring Deposit Scheme and Commercial Cash Credit against Jewellery.

The Bank has entered into a Corporate Agency arrangement with effect from 20.12.2008 with Universal Sampo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company of your Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sampo Japan Insurance Inc.) for distribution of non-life insurance products.

The new initiatives taken by the Bank during the year under review include :-

- a) The Bank has obtained the approval of RBI for the takeover of the Assets and Liabilities only of M/s. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune (under moratorium).
- b) In its drive to achieve 100% networking of its branches and offices, the Bank has notched up a



कार्यालयों व निरीक्षणालयों को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के तहत ला दिया है।

जहाँ तक विदेशी परिचालनों का मामला है, बैंक की विदेश में छः पूर्णरूपेण शाखाएँ हैं - दो हाँगकाँग में और एक-एक सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड में स्थित हैं। इसके अलावा गुआंगजाऊ, चीन व कुआलालंपूर, मलेशिया तथा हो ची मिन सिटी में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय मौजूद हैं। बूनले और सेरंगून, सिंगापुर में धन-प्रेषण केंद्र कार्यरत हैं और श्रीलंका में एक उप शाखा भी कार्यरत है। बैंक ने यू.ए.ई. विनियम केंद्रों पर तीन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है जो बैंक के अनिवासी ग्राहकों और भारत की शाखाओं के बीच संप्रेषण व संपर्क का काम करते हैं। समीक्षागत वर्ष के दौरान बैंक ने दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और यू.ए.ई. के केंद्रीय बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया है। बैंक ने गुआंगजाऊ, चीन स्थित प्रतिनिधि कार्यालय का उन्नयन कर पूर्णरूपेण शाखा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


बैंक के समवेत व्यापार विकास के दो और संकेतक हैं - प्रति कर्मचारी व्यापार और प्रति कर्मचारी लाभ - दोनों ही स्तरों पर बैंक ने गणनीय वृद्धि दिखायी है। अच्छे औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना अभी भी बैंक का उद्देश्य है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्व स्तरीय वित्तीय संकट ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है। वैश्वीकरण से जुड़ी ताकतों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत जैसे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था भी इस विश्व स्तरीय संकट से प्रभावित रहे।

भारत में सुविनियमित बैंकिंग उद्योग के चलते वर्तमान विश्व स्तरीय वित्तीय संकट से देश की अर्थ व्यवस्था अपने आप को अलग-थलग रख पायी है।

आज के चुनौतीपूर्ण परिवेश में आपका बैंक सुरक्षित और नीतिगत बैंकिंग प्रदान करने की दिशा में अनवरत रूप से अग्रसर है। साथ ही बाजार में शीर्ष बैंक के रूप में उभरने के नजरिए से “आपकी प्रगति का सच्चा साथी” रूपी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंक कटिबद्ध है, जो ग्राहक सेवा और उत्पादों की शुरूआत के लिए अन्य के वास्ते एक प्रतिमान है। कार्यानिष्ठादन में बैंक को सर्वोत्तम बनाने के उद्देश्य से हम अपने प्रयत्नों के प्रति आपके समर्थन व प्रोत्साहन पर निर्भर रहा करेंगे।

भवदीय,



एस ए भट

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

total of 1993 branches, Regional Offices and Inspectorates which have been brought under Core Banking System (CBS) as on 09.05.2009.

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou, China and Kuala Lumpur, Malaysia and Ho Chi Minh City, Vietnam. Remittance Centres function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka. The Bank has deputed three officers at the UAE Exchange Centres who liaise between branches in India and the NRI clientele of the Bank. During the year under review, the Bank has obtained approval from RBI and Central Bank of the UAE to open a representative office at Dubai. The Bank has also commenced the process of upgrading the Representative Office in Guangzhou, China into a full-fledged branch.

There are two other indicators of the overall business growth of the bank – the business per employee and profit per employee levels, both of which have shown considerable improvement. Promotion of good industrial relations continues to be an objective of our Bank.

During the year under review, the global financial crisis has thrown up many challenges. The forces of globalisation have ensured that emerging economies like India have also been affected by the global crisis.

It is the well-regulated banking industry in India that has enabled the country's economy to insulate itself from the present global financial crisis.

Your Bank continues to work in today's challenging environment towards our goals of providing safe and ethical banking while being true to our motto “Good People to Grow With” in our bid to be a market leader – an icon for customer service and product initiatives. We shall continue to rely on your support and encouragement in all our endeavours to make your Bank excel in performance.

Yours sincerely,



S A BHAT

Chairman and Managing Director



शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार 4 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी।

- 31 मार्च, 2009 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै

04-05-2009

(एस.ए.भट)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह जरूरी नहीं है।

बहरहाल प्राक्सी की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 29.06.2009 को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा करा देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात् सोमवार दिनांक 29.06.2009 को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा नहीं की जाती है।

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the NINTH Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Saturday, the 4th July 2009 at 11.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2009, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2009, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2008-09.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai

04.05.2009

(S A BHAT)

Chairman and Managing Director

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY :

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Monday, 29th June 2009.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 pm on Monday, 29th June 2009.



3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. **उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची**

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें। प्रॉक्सी / प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची में “प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि धारक”, जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अधिप्रमाणित होने चाहिए ।

5. **शेयर धारकों की रजिस्टर को बंद करना**

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 22.05.2009 तक की अंतिम तारीख सहित, 23.05.2009 (शनिवार) से 29.05.2009 (शुक्रवार) तक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलित)। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. **लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सर्विस (इसीएस)**

अ) लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएंगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा 20.06.2009 तक सीधे शेयर अन्तरण एजेंट को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी संख्या और धारित शेयरों की संख्या दी जानी चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 22.05.2009 तक रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के मेनडेट अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकड़ों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है।

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS :**

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/ representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as “proxy or representative” as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. **CLOSURE OF REGISTER OF SHARE HOLDERS :**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23.05.2009 (Saturday) to 29.05.2009 (Friday) (both days inclusive) with cut off date as 22.05.2009 for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. **BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS) :**

a) In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The abovementioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 20.06.2009. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 22.05.2009 for demat shareholders. **This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).**



आ) बैंक विशिष्ट शहरों में रहने वाले शेयरधारकों के लिए ई सी एस सुविधा प्रदान कर रहा है यथा :- अहमदाबाद, बैंगलूर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। लाभांश जमा के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के बजाए शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के साथ ईसीएस विकल्प प्रारूप संलग्न है। शेयरधारक अपने निर्दिष्ट खाते में लाभांश अन्तरण की सुविधा के लिए अपने ई सी एस अधिदेश में अपनी बैंक शाखा की आई एफ एस कोड संख्या का विवरण दें।

7. अदावा लाभांश, यदि कोई

पिछले वर्षों जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरंट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि जारी करने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावा शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तर्गत करनी है एवं उक्त संदर्भ में उसके बाद न तो बैंक और न ही आई ई पी एफ को भुगतान करने के लिए कोई दावा नहीं बनता है।

8. पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप (फिसिकल फार्म) में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करना चाहते हैं, उन सब की जानकारी दिनांक 20.06.2009 तक निम्नलिखित पते पर, बैंक के रजिस्ट्रार-व-शेयर-अन्तरण एजेंट को भेज दें:

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities viz., Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. The ECS Option Form is annexed to this report. Shareholders are required to give details of IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend from previous years viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE :

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 20.06.2009 at the following address:



कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि. (आइओबी-यूनिट)
पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरो और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दे दें क्योंकि लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 22.05.2009 तक डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा।

9. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक, जो एक से अधिक फोलियो यानी विविध फोलियो रखते हैं। शेयरधारकों को दक्ष सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें।

10. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

- (क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।
- (ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एस.ए. भट)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
04-05-2009

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form ie. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 22.05.2009 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS :

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profile of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS :

- (a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.
- (b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(S A BHAT)

Chennai
04.05.2009

Chairman and Managing Director



एक नज़र में AT A GLANCE

रु. करोड़ों में **Rs.in crore**

	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008
वैश्विक जमा - राशियाँ Global Deposits	1,00,116	84,326
देशी जमा-राशियाँ Domestic Deposits	95,434	80,842
वैश्विक निवल अग्रिम Global Net Advances	75,810	61,058
देशी निवल अग्रिम Domestic Net Advances	67,615	56,683
निवल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Net Priority Sector Advances	24,294	20,303
कृषि उधार Agricultural Credit	10,817	8,689
सकल लाभ Gross Profit	2,524	2,002
निवल लाभ Net Profit	1,326	1,202



निदेशकों की रिपोर्ट 2008-09

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन में समग्र सुधार दृष्टिगोचर है। कारोबार में वृद्धि ने रु. 1,75,000 करोड़ के मील के पत्थर को पार किया। वर्ष में उधार वृद्धि में स्पष्ट सुधार दिखा और मजबूत मार्जिनों से बैंक को लाभप्रदता के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दर्ज करने में मदद मिली। वैश्विक वित्तीय समस्याओं के बावजूद विदेशी शाखाओं का कार्य-निष्पादन प्रभावशाली रहा।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

बैंक की वैश्विक जमाएँ वर्ष 2007-08 के रु. 84,326 करोड़ से 18.72% की वृद्धि के साथ वर्ष 2008-09 में रु.1,00,116 करोड़ बढ़ गई और वैश्विक अग्रिम रु. 61,058 करोड़ से 24.16% की विशेष वृद्धि के साथ रु. 75,810 करोड़ बढ़ गए। कुल कारोबार 21.01% की वृद्धि के साथ रु. 1,75,926 करोड़ पहुँच गया।

विदेशी शाखाएँ

बैंक ने बीआईए बैंक (मलेशिया) बीएचडी के नाम से मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी खोलने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक के साथ संयुक्त कार्य करने के लिए प्रस्ताव रखा है। वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालय गुआंगजाऊ, चीन को पूर्ण रूप से शाखा में उन्नयन हेतु रिजर्व बैंक की अनुमति की प्रतीक्षा है। वैश्विक वित्तीय स्थिति स्थिर होने पर इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। बैंक ने दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए पहल की है और यूएई के केन्द्रीय बैंक के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

मार्च 2009 की समाप्ति तक बैंक की विदेश में 6 पूर्ण रूपेण शाखाएँ, तीन प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केन्द्र और 1 उपशाखा के रूप में 12 स्थापनाएँ हैं। बैंक की हांगकांग में 2, और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका एवं थाईलैण्ड में एक एक शाखाएँ हैं। गुआंगजू, चीन, क्वालालंपुर, मलेशिया और हो ची मिन सिटी, वियतनाम में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं। श्रीलंका में बैंक की एक उपशाखा है और बून ले और सेरेंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केन्द्र परिचालित हैं। बैंक ने भारत की शाखाओं और बैंक के एनआरआई ग्राहकों के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु यूएई एक्सचेंज केंद्र में तीन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है।

वित्तीय निष्पादन

रिपोर्टिंग वर्ष में बैंक के वित्तीय निष्पादन में सुधार जारी रहा। बैंक के वैश्विक परिचालन लाभ में बैंक के वैश्विक परिचालनात्मक लाभ में 26.07% की वृद्धि हुई जो रु.2,002 करोड़ से बढ़कर रु.2,524 करोड़ पर पहुँच गया। कारोबार में प्रमात्रात्मक विस्तार एवं साथ में पर्याप्त ट्रेजरी लाभ के परिणामस्वरूप उच्चतर परिचालनात्मक लाभ हुआ।

प्रावधान

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप रु. 1,198 करोड़ का कुल प्रावधान किया।

DIRECTORS' REPORT 2008-09

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2009.

During 2008-09, the Bank's performance was marked by all-round improvement. Growth in business crossed the milestone of Rs.1,75,000 crore. The year witnessed marked improvement in credit growth and healthy margins helped the Bank to post good results on the profitability front. Performance of overseas branches was impressive in spite of the global financial problems.

Global Business Performance

The Bank's global deposits went up from Rs. 84,326 crore in 2007-08 to Rs. 1,00,116 crore in 2008-09 with a growth of 18.72%. Global gross advances expanded from Rs.61,058 crore to Rs.75,810 crore with a significant growth of 24.16%. Total business reached Rs.1,75,926 crore with a growth of 21.01%.

Overseas Branches

The Bank proposes to enter into a joint venture with Bank of Baroda and Andhra bank to open a Banking subsidiary in Malaysia in the name of BIA Bank (Malaysia) Bhd. The RBI clearance is awaited to upgrade the existing Representative Office at Guangzhou, China into a full-fledged branch which will be acted upon when the global financial situation stabilises. The Bank's initiative to open a Representative Office at Dubai, is awaiting approval of the Central Bank of UAE.

As at the end of March 2009, the Bank had 12 establishments abroad, comprising of 6 full-fledged branches, 3 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Extension counter. There are two branches in Hongkong and one each at Singapore, South Korea, Sri Lanka and Bangkok. Representative offices are located at Guangzhou, China, Kuala Lumpur, Malaysia and at Ho Chi Minh City, Vietnam. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore and the extension Counter is located at Sri Lanka. Three officers have been deputed by the Bank to the UAE Exchange Centres who liaise between branches in India and the NRI clientele of the Bank.

Financial Performance

The financial performance of the Bank continued to show improvement in the reporting year. Global operating profit of the Bank recorded a growth of 26.07% from Rs.2,002 crore to Rs.2,524 crore. Higher operating profit came about as a result of volume expansion in business added with substantial treasury gains.

Provisions

The Bank has made a total provision of Rs.1,198 crore in keeping with the guidelines issued by the RBI.



निवल लाभ/लाभंश

निवल लाभ भी वर्ष 2007-08 के रु. 1,202 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008-09 में बढ़कर रु. 1326 करोड़ तक पहुँच गया। निवल लाभ में वृद्धि 10.32% रही। वर्ष 2008-09 में लाभांश गत वर्ष के 35% की तुलना में 45% प्रस्तावित है।

आय एवं व्यय विश्लेषण

कुल आय वर्ष 2007-08 के रु. 8,776 करोड़ की तुलना में 2008-09 में 28.04% की वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 11,237 करोड़ तक पहुँच गई। अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज में 32.02% की उच्चतर वृद्धि होने के कारण गत वर्ष के रु.5,522 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु.7,290 करोड़ की वृद्धि हुई। यह 24.16% की उच्चतर वृद्धि और देशीय क्षेत्र में काफी वसूलियों के साथ अग्रिमों पर ठोस प्रतिफल की वजह से संभव हुआ। परिणामस्वरूप अग्रिमों पर देशी प्रतिफल में 2007-08 के 10.80% के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 11.13% की बढ़त हुई। कुल ब्याज आय में निवेशों के निवल परिशोधनों के बाद 2007-08 के रु. 7739 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008-09 में 24.58% की वृद्धि के साथ रु.9,641 करोड़ तक बढ़त हुई।

कमीशन और विनिमय उपार्जन गत वर्ष के रु.467 करोड़ की तुलना में 26.65% की वृद्धि के साथ रु. 594 करोड़ पर पहुँच गया। आर्थिक मंदी के बावजूद विनिमय पर लाभ गत वर्ष के रु. 110 करोड़ की तुलना में रु.157 करोड़ रहा। निवेशों की बिक्री पर लाभ गत वर्ष के रु.230 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु.637 करोड़ तक बढ़ गया।

पिछले वर्ष के 18.27% की कुल जमा वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 27% की कोर जमा-वृद्धि में बैंक की महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण ब्याज व्यय में वृद्धि वर्ष 2007-08 के 61.67% से घटकर वर्ष 2008-09 में 28.04% हो गई। कुल जमाओं के प्रति प्रतिशतता के रूप में कार्ड प्लस जमाएँ मार्च 2009 में 14.10% तक प्रमुख रूप से कम हो गई जबकि मार्च 2008 में यह 19.69% थी। देशीय जमा लागत 2007-08 के 6.50% की तुलना में 2008-09 में 6.87% बढ़ी, जो मुख्यतः सावधि जमाओं पर ब्याज दर परिशोधन की वजह से हुआ।

मजदूरी परिशोधन और पेन्शन के लिए उच्चतर प्रावधान करने के कारण कुल व्यय में वृद्धि 28.64% तक अधिक रही जिसके लिए उद्योग स्तर पर बातचीत चल रही है। गत वर्ष के रु.1,485 करोड़ की तुलना कुल परिचालनात्मक व्यय बढ़कर रु.1,942 करोड़ हो गई। गैर स्टाफ व्यय भी वर्ष के दौरान मुख्यतः मूल्यहास, किराया एवं करों में वृद्धि के कारण रु.536 करोड़ से बढ़कर रु.670 करोड़ हो गया। फिर भी निवल ब्याज आय में वर्ष 2008-09 के दौरान 17.14% की वृद्धि के साथ रु.2870 करोड़ की बढ़त हुई। परिणामस्वरूप निवल ब्याज मार्जिन गत वर्ष के 3.00% की तुलना में 2.84% रहा, जो अच्छा है। अतः बैंक के परिचालनात्मक लाभ में 2007-08 के रु.2,002 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु.2,524 करोड़ की बढ़त सहित 26.07% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

मार्च 2009 के अंत तक बेसल-11 मानदण्डों के मुताबिक जोखिम भारित अस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात 13.20% रहा।

Net Profit / Dividend

Net profit of the Bank increased to Rs.1,326 crore in 2008-09 compared to Rs.1,202 crore in 2007-08. Growth in net profit was at 10.32%. Dividend for the year 2008-09 is being proposed at 45 % as against 35% paid last year.

Income and Expenditure Analysis

The total income increased to Rs.11,237 crore in 2008-09 compared to Rs.8,776 crore in 2007-08, with a growth of 28.04%. The higher growth was contributed by 32.02% increase under interest received on advances amounting to Rs.7,290 crore compared to Rs.5,522 crore last year. This was possible due to higher credit growth at 24.16% and increased yield on advances in domestic front with substantial recoveries. As a result, domestic yield on advances increased to 11.13% in 2008-09 from 10.80% in 2007-08. The total interest income increased to Rs.9,641 crore in 2008-09 from Rs.7,739 crore in 2007-08 with a growth of 24.58% after netting amortisation of investments in interest income.

The commission and exchange earnings stood at Rs.594 crore against Rs. 469 crore last year with a growth of 26.65%. Profit on exchange increased to Rs.157 crore compared to Rs.110 crore in last year despite slowdown in economic growth. The profit on sale of investments was higher at Rs.637 crore against Rs.230 crore last year.

The increase in interest expenditure was brought down to 28.04% in 2008-09 from 61.67% in 2007-08, due to Bank's significant achievement in core deposits growth at 27% when compared to total deposits growth of 18.72% during the year. The card plus deposits as percentage to total deposits significantly came down to 14.10% in March 2009 compared to 19.69% in March 2008. The domestic cost of deposits increased from 6.50% in 2007-08 to 6.87% in 2008-09 mainly due to interest rate revision on term deposits.

The growth in total expenses was higher at 28.64% due to higher provisions made for wage revision and pension, which are under negotiation at the industry level. This increased the total operating expenses to Rs.1,942 crore compared to Rs.1,485 crore last year. The non-staff expenditure also increased to Rs.670 crore from Rs. 536 crore mainly due to higher depreciation, rent and taxes during the year. As a result, the total expenditure was at Rs.8,714 crore against Rs.6,774 crore last year. However, Net Interest Income increased to Rs.2,870 crore in 2008-09 with a growth of 17.14%. Consequently Net Interest Margin stood comfortable at 2.84% compared to 3.00% last year. Thus, the Bank's operating profit recorded significant growth of 26.07% to reach Rs.2,524 crore compared to Rs.2,002 crore in 2007-08.

Capital Adequacy Ratio

As at the end of March 2009, the Capital to Risk Weighted Assets Ratio stood at 13.20% as per the Basel II norms.



शाखा नेटवर्क

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने 35 नई शाखाएँ खोलीं और पूर्ण शाखाओं के रूप में 17 उप शाखाओं का उन्नयन किया। रिपोर्टिंग अवधि तक कुल देशी शाखा नेटवर्क 1913 रहा। जनसंख्या-वर्गवार विवरण-583 ग्रामीण (31%), 491 अर्धशहरी (26%), 467 शहरी (24%) और 372 महानगरीय शाखाएँ (19%)। उप शाखाओं की संख्या 33 रही।

छोटे बैंकों को लेकर अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए बैंक अवसर की तलाश में था। इस संबंध में महाराष्ट्र में श्री सुवर्णा सहकारी बैंक लि. (एसएसएसबीएल) एक शहरी सहकारी बैंक (अधिस्थगन अवधि के तहत) एक अच्छा अवसर साबित हुआ। रिज़र्व बैंक ने शाखा लाइसेन्स के बिना एसएसएसबीएल की कुछ आस्तियों एवं देयताओं को लेने के लिए अनुमोदन दिया है, किन्तु महाराष्ट्र राज्य में 12 शाखाओं के लिए अलग से लाइसेन्स जारी किया है। बैंक एसएसएसबीएल की निवर्तमान शाखाओं का परिचालन मई 20, 2009 से शुरू करना चाहता है।

ग्राहक सेवा

वर्ष के दौरान बैंक ने स्टाफ कालेज की सहायता से “ग्राहक संतुष्टि” पर आंतरिक सर्वेक्षण किया था। बैंक ने बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टैण्डर्ड बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआई) की प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है। बीसीएसबीआई के अनुदेशों के अनुपालन में स्टाफ सदस्यों को कोड का प्रचार करने हेतु बैंक के स्टाफ कालेज/स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा संबंधी निम्नांकित नीतिगत दस्तावेजों को बीसीएसबीआई एवं आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया गया:

प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों का विवरण निम्नांकित हैं:

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	54
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1328
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1335
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	47

बैंकिंग लोकपाल द्वारा किए गए निर्णयों की संख्या और बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्णयों की संख्या का विवरण:

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	2
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2

वर्ष 2008-09 के दौरान 1382 शिकायतों को संभाला गया जिसमें से 1335 शिकायतों का 96.60% की निपटान दर पर समाधान किया गया।

यह बहुत ही अच्छी बात है कि ग्राहक सेवा केंद्र ने, जिसके लिए बैंक चेन्नै शहर का संयोजक है, इस वर्ष के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया।

शिकायतें सीधे केन्द्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को (पत्रों, ई-मेल और टेलीफोन के जरिए) और अन्य माध्यम जैसे भारतीय

Branch Network

During 2008-09, the Bank opened 35 new branches and upgraded 17 extension counters into full-fledged branches. As at the end of the reporting period, total domestic branch network stood at 1913. Population-groupwise break-up showed 583 rural (31%), 491 semi-urban (26%), 467 urban (24%) and 372 metropolitan branches (19%). The number of extension counters stood at 33.

The Bank has been on the look out for expanding its business through take over of small banks. In this regard, Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd. (SSSBL), a urban co-operative bank (under moratorium) located in Maharashtra proved to be a good opportunity. The RBI has approved the takeover of certain assets and liabilities of SSSBL without branch licences but issued separate licences for the 12 branches in the State of Maharashtra. The Bank proposes to commence operations at the erstwhile branches of SSSBL from May 20, 2009.

Customer Service

During the year, the Bank had undertaken an internal survey on “Customer Satisfaction” with the assistance of Staff College. The Bank has adopted the Code of Commitment of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). Sensitisation programmes were conducted at Staff college/ Training centres to disseminate the Code to Staff members in compliance with instructions from BCSBI.

During the year, the Compensation Policy document related to customer service was amended as per the instructions of BCSBI and RBI.

The details of customer complaints received and redressed are given below:

a	No. of complaints pending at the beginning of the year	-	54
b	No. of complaints received during the year	-	1328
c	No. of complaints redressed during the year	-	1335
d	No. of complaints pending at the end of the year	-	47

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year-	2
b	No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	- 2
c	No. of awards implemented during the year	- 2
d	No. of unimplemented awards at the end of the year	- 2

During the year 2008-09, 1382 complaints were handled of which 1335 complaints were resolved with the settlement rate at 96.60 %.

It is a healthy trend that Customer Service Centre, for which the Bank is the Convenor in Chennai City, had resolved all the complaints during this year.

The Complaints are being received directly by Central Office and Regional Office (through letters, e-mails and telephone) and also through other channels like



रिजर्व बैंक , बैंकिंग लोकपाल, भारत सरकार आदि से प्राप्त हो रही हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने बाह्य एजेन्सी की सेवाएँ लेकर टॉल फ्री टेली सर्विसेज (नं.1800-425-4445) आरंभ की जिसके जरिए ग्राहक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों का निपटान 48 घंटों में किया जा रहा है।

रिटेल बैंकिंग व विपणन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग कार्यकलापों का कारोबार अच्छा रहा। ग्रुप जीवन बीमा से जुड़े उत्पाद “आइओबी जीवन” और ग्रुप स्वास्थ्य बीमा से जुड़े उत्पाद “आइओबी हेल्थ केयर प्लस” से भी काफी मुनाफा मिला। “सुरक्षा सहित विद्याज्योति”, “विद्या सुरक्षा” (शैक्षिक ऋणों के लिए बीमा आवरण) योजनाओं ने भी वर्ष के दौरान जोर पकड़ा।

जीवन बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए एलआईसी के साथ कार्पोरेट एजेंट के रूप में बैंक के गठजोड़ से शुल्क आधारित आय में अच्छी वृद्धि आई। दिनांक 20.12.2008 से प्रभावी गैर जीवन बीमा उत्पादों के लिए युनाइटेड इंडिया इंशूरेन्स कंपनी लिमिटेड और यूनिवर्सल सोम्पो जेनरल इंशूरेन्स कंपनी लिमिटेड (इलाहाबाद बैंक, कर्नाटक बैंक, डाबर निवेश निगम और सोम्पो जापान बीमा इंक. के साथ बैंक का गैर जीवन बीमा संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ कार्पोरेट एजेंसी व्यवस्था ने भी गैर जीवन बीमा वितरण कारोबार में बहुत सुधार किया।

जीवन पॉलिसियों और जीवन संबद्ध पॉलिसियों के विपणन से प्राप्त आय रु. 582.56 लाख रहा और गैर-जीवन पॉलिसियों और हेल्थकेयर पॉलिसियों से प्राप्त आय रु. 265.05 लाख रहा। रिटेल स्वर्ण की बिक्री से प्राप्त आय करीब 6 करोड़ रही। समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने 3 प्रस्तावों के सिंडिकेशन शुल्क के रूप में रु. 6.66 करोड़ की आय प्राप्त की। मार्च 2009 तक 5 प्रस्ताव निपटानाधीन थे जिसमें से करीब 3.5 करोड़ की आय प्राप्त होगी।

म्यूचुअल फंड वितरण के तहत संग्रहण जारी रहा और यह बैंक के शुल्क आधारित आय का कारण रहा। चार रिटेल ऋण संसाधन केंद्र (आरएलपीसी) ने भी रिटेल ऋण के संसाधन और संवितरण में काफी मात्रा में योगदान दिया।

उत्पाद विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित नए ग्राहक-मैत्री उत्पाद प्रारंभ किए गए :

1. एसबी सिल्वर तथा एसबी गोल्ड
2. चालू खाता क्लासिक तथा चालू खाता सूपर
3. गोल्ड आवर्ती जमा योजना
4. आभूषण के प्रति कमर्शियल नकद उधार

वर्ष 2008-09 के दौरान कासा जमा अभियान और स्वर्ण सिक्कों की रिटेल बिक्री का अभियान चलाया गया।

राजभाषा नीति

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किये। अधिकतम स्टाफ सदस्यों को हिन्दी में प्रशिक्षण

Reserve Bank of India, Banking Ombudsman, Government of India etc. Customers are provided with the facility of Toll Free Teleservices (No.1800-425-4445) by engaging an outside agency for receiving complaints. These complaints are being resolved within 48 hours.

Retail Banking and Marketing

Retail Banking activities continued to generate good business during the year under review. Group Life Insurance Linked Product, IOB Jeevan and Group Health Insurance linked product, IOB Healthcare Plus generated good volumes. The coverage under Vidya Jyothi with Suraksha (insurance cover for Educational Loans) has picked up momentum.

Bank's tie up with LIC of India as a Corporate Agent for distribution of Life policies has resulted in increased fee based business and income for the Bank. The non - life insurance distribution business also showed good improvement with Corporate Agency arrangements with United India Insurance Company Limited and with Universal Sompo General Insurance Company Limited (Non - Life Insurance Joint Venture Company of the Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sompo Japan Insurance Inc.) with effect from 20.12.08 for distribution of non - life insurance products.

The income from marketing of life policies and life insurance linked policies stood at Rs.582.56 lacs and income from non-life policies and healthcare policies stood at Rs.265.05 lacs. Income from sale of retail gold coins has clocked around Rs.6 crore. The Bank earned Rs.6.66 crore as Syndication fee from 3 proposals for the period under review. There were 5 proposals in the pipeline as on March 2009 involving an income of about Rs.3.5 crore.

The mobilization under Mutual Fund Distribution continued to receive focus and contributed to the fee-based income of the Bank. Retail Loans registered healthy growth in the reporting period. The four Retail Loan Processing Centres (RLPCs) continued to generate good volumes in processing and disbursement of retail loans.

In the product development side, the following new customer friendly products were launched:

1. SB Silver and SB Gold
2. Current Account Classic and Current Account Super
3. Gold Recurring Deposit Scheme
4. Commercial Cash Credit against Jewellery.

CASA Deposit Campaign and Campaign on Retail Sale of Gold Coins were conducted during 2008-09.

Official Language Policy

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2008-09. Special efforts were taken to train



देने के लिए और कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए प्रशिक्षण देने के विशेष प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान 233 सदस्यों को आई ओ बी प्रवीण में प्रशिक्षित किया गया और 852 स्टाफ सदस्यों को जिन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 19.04.2008 को केंद्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2008 को केंद्रीय कार्यालय के उच्च कार्यपालकों के लिए राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

मंडल स्तर की समितियों की बैठकों के सभी कार्यवृत्त का अनुवाद हिन्दी में किया गया। बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एपीएस कार्पोरेट द्विभाषा साफ्टवेयर की स्थापना की है और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग के प्रयोजन की दृष्टि से आई ओ बी ऑनलाइन में हिन्दी “शुद्धा” फॉण्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। बैंक ने 535 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर कार्य करने के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया। केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनिकोड की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिनांक 23.03.2009 को बैंक के सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए हिन्दी यूनिकोड पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बैंक की गृह-पत्रिका वाणी को ऑन-लाइन कर दिया गया है। बैंक का नया वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध करा दिया गया है।

केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्डें प्रदान की गईं।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख व साक्ष्य उप-समिति ने वास्को-ड-गामा (गोवा), दिल्ली और एरणाकुलम नगर के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य बैंकों के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। हमारे बैंक को इन सभी जगहों पर चर्चा हेतु शामिल किया गया और समिति ने इन स्थानों पर हमारे बैंक के कार्यानिष्ठादन पर संतुष्टि व्यक्त की।

वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘ग’ क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार और ‘ख’ क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार और ‘क’ क्षेत्र में चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2007-08 के लिए बैंक की गृह-पत्रिका वाणी को भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतर बैंक हिन्दी पत्रिका प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य करने के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड के तहत बैंक को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 2008 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

16 अक्टूबर 2008 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 के लिए चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को, जिसके लिए बैंक संयोजक है द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। समिति की ओर से बैंक द्वारा दो सामान्य हिन्दी

maximum number of staff members in Hindi and impart training to work in Hindi on computers. During the year, 233 members were trained in IOB Praveen. 852 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops. Rajbhasha Sangoshti was held on 19. 04. 2008 for heads of Central Office departments and also a Rajbhasha Seminar for all top executives of Central Office was held on 12. 09. 2008 which was presided over by Chairman & Managing Director of the Bank.

Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi.

Bank has installed APS Corporate bilingual software in all Regional Offices and has provided the facility of Hindi font Shusha on IOB ONLINE for downloading purpose in branches. Bank has provided necessary training to 535 staff members for the use of Hindi in computers. Use of Hindi Unicode font in Central Office and Regional Offices has been initiated. A special training programme on Hindi Unicode was conducted on 23. 03. 2009 for all Official Language Officers of Bank. Bank has made Hindi magazine “VANI” online. Bank’s new website has been made available in Hindi also.

Regional Offices were inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

The drafting and evidence Sub -Committee of Parliamentary Committee on Official Language had discussions with the Chairman and heads of Banks of Town Official Language Committees at Vasco-da-gama (Goa), Delhi and Ernakulam. The Bank was also included for discussion at all these places and the committee expressed satisfaction over the performance of the Bank in these locations.

The Bank has been awarded with First Prize in “C” Region and Third Prize in “B” Region and Fourth Prize in “A” Region by Reserve Bank of India for commendable work done for Official Language implementation for the year 2007-08. The Bank has been awarded First Prize for Hindi house magazine “VANI” for the year 2007-08 by Reserve Bank of India in the Inter-Bank Hindi Magazine Competition conducted by RBI for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Bank has been awarded Third Prize under Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2007-08 for doing commendable work in the area of Official Language Implementation. The award was received by Bank’s Chairman & Managing Director Shri S A Bhat from Hon’ble President of India Smt. Pratibha Patil on September 14, 2008.

Chennai Town Official Language Implementation Committee for which the Bank is the convener, has received the Second Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2007-08 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India on



कार्यशालाओं, द्विभाषी कंप्यूटर प्रशिक्षण, अंतर-बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं, संयुक्त हिन्दी माह समारोह तथा हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा दो अर्द्ध-वार्षिक बैठकों का आयोजन भी किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् पांडियन ग्राम बैंक और नीलाचल ग्राम्य बैंक (उड़ीसा के भूतपूर्व पुरी ग्राम्य बैंक और धंकेनल ग्राम्य बैंक की समामेलित ईकाई) का कार्य निष्पादन इस वर्ष के दौरान अच्छा रहा। इस वर्ष दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निवल लाभ अर्जित किया।

कापोरिट गवर्नेन्स

बैंक द्वारा नियामक प्राधिकारियों द्वारा सभी क्षेत्रों में निर्धारित निबंधनों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अच्छे कापोरिट गवर्नेन्स को अपनाने में बैंक हमेशा ही सक्रिय रहा है। निदेशक मंडल बैंक के सभी स्टैकधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही को अच्छी तरह समझते हुए बैंक की संपत्ति एवं साधन जुटाने, संरक्षित करने और उसमें वृद्धि लाने के लिए, उनके कार्यानिष्पादन पर समय पर एवं पारदर्शी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बैंक ने एक सुपरिभाषित आचार संहिता बनाई है जो मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसका कापोरिट गवर्नेन्स प्रेमवर्क अपने स्टैकधारकों को अपेक्षित सूचना का समय पर तथा सही प्रकटीकरण करता है। बैंक अपने संपूर्ण गवर्नेन्स प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व को भली-भांति समझता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग को बनाए रखा जा सके और उच्च नैतिक मानकों के अनुपालन हेतु प्रकटीकरण मानदण्ड बनाए गए।

शेयरधारकों के निरंतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने 25 नवंबर 2008 को असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन किया जिसमें सेवानिवृत्त होनेवाले तीन निदेशकों के स्थान पर शेयरधारक निदेशकों का चयन किया गया और उम्मीदवारों संबंधित बायोग्राफिकल सूचना भी दी गई ताकि शेयरधारक इस जानकारी की सहायता से मतदान कर सकें।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कापोरिट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ-साथ कापोरिट गवर्नेन्स के अधीन आनेवाली शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग रहता है।

निदेशक मंडल

16.05.2008 को श्री.वाई.एल.मदान ने एक और कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

डॉ. शशांक सक्सेना के स्थान पर दिनांक 10.06.2008 से डॉ.विनीता कुमार को भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल के लिए नामित किया गया। श्री.सूरज खत्री एवं श्री.एम.एन.कन्दस्वामी बैंक के निदेशक मंडल में अपने तीन वर्ष पूरा कर क्रमशः दिनांक 08.12.2008 और 06.02.2009 को सेवा निवृत्त हुए।

October 16, 2008. On behalf of the committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, Bilingual computer training, Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration and Hindi Unicode training programme besides two half yearly meetings.

Regional Rural Banks

The Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, viz., Pandyan Grama Bank and Neelachal Grama Bank (Amalgamated entity of erstwhile Puri Gramya Bank and Dhenkanal Gramya Bank in Orissa) performed well during the year. Both the RRBs have recorded net profit during the year.

Corporate Governance

The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas. The Bank has always been proactive in adopting as well as practicing good Corporate Governance. The Board recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner. The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

The Bank ensures that its Corporate Governance framework provides for timely and accurate disclosures of information required to be disseminated to its stakeholders. The Bank appreciates its fiduciary duty and responsibility for ensuring the effectiveness of its overall governance process, for ensuring the maintenance of effective financial reporting and disclosure norms and adherence to high ethical standards.

To ensure continued representation to shareholders on the Board of the Bank, the Bank had conducted an Extraordinary General Meeting on 25th November, 2008 for the purpose of election of three shareholder directors in place of the retiring directors and dissemination of relevant biographical information on candidates was ensured to enable shareholders to make informed voting decisions.

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, a Management Discussion & Analysis Report, a Report on Corporate Governance as well as a certificate by the auditors regarding compliance of the conditions of Corporate Governance form part of this Annual Report.

Board of Directors

Shri Y.L. Madan assumed charge as one more Executive Director on 16.05.2008.

Dr. Vinita Kumar was nominated by the Government of India to the Board with effect from 10.06.2008 in place of Dr. Shashank Saksena. Shri Sooraj Khatri and Shri M.N. Kandaswamy retired on completion of their term of office of three years on the Board of the Bank on 08.12.2008 and 06.02.2009 respectively.



श्री.बी.वी.अप्पा राव को भारत सरकार ने दिनांक 29.08.2008 से तीन वर्ष के लिए निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया। 25 नवंबर 2008 को हुए बैंक के असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में शेयरधारकों ने तीन निदेशकों को चुना जिनके नाम श्री.ए.के.भार्गव, डॉ.चिरन्जीब सेन और श्री.ए.वेल्लयन हैं जिन्होंने 8 दिसंबर 2008 को कार्यभार संभाला। निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदानों को रिकार्ड किया और नए निदेशकों का हार्दिक स्वागत किया।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, विभिन्न राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग को रिकार्ड करता है। निदेशक मंडल हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवाएँ, कोरिया, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, बैंक नेगरा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के प्रति भी उनके सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल प्रतिष्ठित ग्राहकों, शेयरधारकों, अन्य हिताधिकारियों और भारत व विदेशों में स्थित संपर्ककर्ताओं के प्रति, उनके सुनाम व संरक्षण के लिए अपने आभार को रिकार्ड करता है। निदेशकगण बहुत खुश हैं कि कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण एवं सुखद हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै

4 मई, 2009

एस ए भट

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri B.V. Appa Rao was nominated by the Government of India to the Board as part-time non-official Director for a period of three years with effect from 29.08.2008. The Shareholders other than the Central Government in the Extraordinary General Meeting of the Bank (EGM) held on November 25, 2008 elected three directors viz. Shri A.K. Bhargava, Dr. Chiranjib Sen and Shri A. Vellayan and they assumed office on December 8, 2008. The Board of Directors place on record the valuable contribution made by erstwhile directors and extend warm welcome to the new Directors.

Acknowledgements

The Board of Directors place on record the valuable co-operation received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, various State Governments and Financial Institutions. The Board expresses its gratitude to the Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Financial Supervisory Services, Korea, Central Bank of Sri Lanka, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara, Malaysia, Bank of Thailand and State Bank of Vietnam for their support.

The Board of Directors records the patronage and goodwill of the valued customers, shareholders, other stakeholders and correspondents of the Bank in India and abroad. The Directors are very happy that the industrial relations are very cordial and happy on account of positive attitude on the part of Employees' Union and Officers' Association.

For and on behalf of
the Board of Directors

Chennai

May 4, 2009

S. A. BHAT

Chairman and Managing Director



प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिवेश

वर्ष 2008-09 के दौरान वैश्विक मंदी के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सामान्य वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक गतिविधियों ने निर्यात एवं निधियों के अंतर्प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि क्यू 1 के 7.9% से घटकर क्यू 2 में 7.6% रही और आगे क्यू 3 में 5.3% रही और पूरे वर्ष के लिए वृद्धि लगभग 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे उच्च दर है। वर्ष 2009-10 के अर्ध-वर्ष के बाद अर्थ-व्यवस्था वापस पटरी पर आने की संभावना है।

बैंकिंग परिवेश

वर्ष के प्रारंभिक छह महीनों के दौरान मौद्रिक नीति का ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर था। इस दृष्टि से सीआरआर अप्रैल 2008 में 7.75% थी, जो कि अगस्त 2008 में धीरे-धीरे बढ़कर 9.00% तक पहुँच गया था। रेपो दर भी अप्रैल 2008 के 7.75% से तेजी से बढ़कर जुलाई 2008 में 9.00% तक पहुँच गई। फिर भी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के परिपाक स्वरूप चल निधि की स्थिति दबाव में आई और सितंबर 2008 के मध्य तक वातावरण में विशेष बदलाव आया। इस प्रकार नीति की केंद्रबिंदु बदल गई और अनेक उपायों के जरिए वित्तीय व्यवस्था में चलनीति उपलब्ध कराने की ओर दिया। तदनुसार जनवरी 2009 तक सीआरआर घटकर 5.0% हो गया और दिसम्बर 2008 में रेपो दर 5.5% हो गया। मार्च 2009 में फिर रेपो दर घटकर 5.0% हो गई। अर्थ-व्यवस्था की दर-संरचना में समग्र गतिविधियों के मद्देनजर वर्ष के पहले अर्ध वर्ष के दौरान बैंक की जमाओं एवं अग्रिमों पर ब्याज दर ने बढ़ोत्तरी दिखाई और दूसरे अर्ध-वर्ष में कम होने लगी।

बैंक के परिचालन

जमा राशियाँ

बैंक की औसत देशी जमाएँ मार्च 2008 के रु. 80,842 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च 2009 में रु.95,434 करोड़ हो गई। कोर जमा में 27% की विशेष वृद्धि रही। बैंक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्ड प्लस जमाओं के स्तर को रोक रखने में सक्षम रहा।

उधार

बैंक के कुल देशी निवल अग्रिम रु. 57,261 करोड़ से रु.68,480 करोड़ तक पहुँच गये। पूरे बैंकिंग प्रणाली में वर्ष के दूसरे अर्ध-वर्ष में कुल अग्रिम प्रवाह सुस्त रहा; बल्कि बैंक ने उधार के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि प्राप्त की।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत निर्धारित मानदण्ड पूरे किए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2008-09 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत उपलब्धि को मार्च 2008 के आधार पर बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार (एएनबीसी)को आधार मानकर परिकलित किया जाता है। मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम की प्रतिशतता 42.62% रही जिसकी रकम रु.24,294 करोड़ रही।

लघु एवं मध्यम उद्यम

बैंक ने मार्च 2009 के अंत तक एसएमइ क्षेत्र को रु. 9,395 करोड़ तक का उधार उपलब्ध कराया। इसमें माइक्रो और लघु उद्योगों को

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment

Indian economy recorded moderate growth in 2008-09 mainly due to global slowdown. The global developments adversely affected exports and inflow of funds. GDP growth declined from 7.9% in Q1 to 7.6% in Q2 and further to 5.3% in Q3 and for the full year the growth is estimated to be around 6.5%, which is among the highest at the global level. The economy is likely to be back on track in the second half of 2009-10.

Banking Environment

During the first half of the year, the focus of the monetary policy was on controlling inflation. With this in view, CRR was raised gradually from 7.75% in April 2008 to 9.00% by the end of August 2008. Repo rate also went up sharply from 7.75% in April 2008 to 9.00% at the end of July 2008. However, the environment changed significantly by mid-September 2008 and liquidity position came under pressure as a result of the global financial problems. Thus the policy shifted its focus to provide liquidity into the financial system through a series of measures. Accordingly CRR came down to 5.0% as on January 2009 and Repo rate to 5.5% in December 2008 in stages. Repo rate was further reduced to 5.0% in March 2009. In keeping with the overall movements in the rate structure in the economy, interest rates on deposits and advances of banks showed a rising trend in the first half of the year and started downward journey in the second half.

THE BANK'S OPERATIONS

Deposits

Aggregate domestic deposits of the Bank increased from Rs.80,842 crore in March 2008 to Rs.95,434 crore in March 2009. There was a significant growth in core deposits at 27%. The Bank was able to contain the level of card plus deposits during the financial year.

Credit

The Bank's domestic gross advances went up from Rs. 57,261 crore to Rs.68,480 crore. The off-take in credit was sluggish for the system as a whole in the second half of the year; the Bank was able to achieve a healthy growth in credit front.

Priority Sector Credit

The Bank fulfilled the stipulated norm under Priority Sector credit. As per the guidelines of RBI, achievement under Priority Sector for the year 2008-09 is computed taking the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) of March 2008 as the base. For the year ended March 2009, the percentage of Priority Sector advances to Adjusted Net Bank Credit was at 42.62%, the quantum being Rs.24,294 crore.

SME

The Bank has extended credit of Rs.9,395 crore to SME sector as at the end of March, 2009. This includes advances to Micro and Small Enterprises to the tune of Rs.6488 crore which forms a part of Priority Sector



दिए गए रु. 6,488 करोड़ भी शामिल है, जो प्राथमिकता उधार क्षेत्र का ही एक भाग है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एण्टरप्राइसेस (सीजीटीएमएस) के तहत रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक खातों की संख्या पिछले वर्ष के 2076 से बढ़कर 2938 हो गई। इसी अवधि के दौरान सीजीटीएमएस गारंटी के तहत शामिल रकम रु. 65.40 करोड़ से बढ़कर रु. 107.48 करोड़ हो गई।

बैंक ने दिसम्बर 2008 में घोषित एसएमई क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को कार्यान्वित किया है। ब्याज दर में कमी सहित विभिन्न रियायतों एसएमई क्षेत्र को दी गई हैं। एसएमई उद्यमियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित किए गए। बड़ी संख्या में एसएमई उधार खातों को पुनर्संरचित किया गया है।

एसएमई उधारकर्ताओं को अविलंब भावी पूँजीगत व्यय आवश्यकताओं हेतु उधार की दूसरी व्यवस्था के रूप में आपाती वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए एसएमई क्षेत्र में नए उधार उत्पाद प्रारंभ किए गए यथा एसएमई अग्रिम सावधी ऋण मंजूरी योजना।

कॉरर इंडस्ट्रीज़ को पुनःजीवन देने, आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन योजना (रीमोट) के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने दिनांक 02.12.2008 को कॉरर बोर्ड के साथ एमओयू किया। महिलाओं के व्यापार संबंधी एण्टरप्राइज़रशिप सहायता तथा विकास (टीआरइएडी) के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने दिनांक 17.11.2008 को भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक और एमओयू किया। बैंक ने एसएमई को दिए जा रहे अग्रिमों को 24.58% तक बढ़ाया और मंत्रालय द्वारा दिए गए परिशोधित लक्ष्य को पार कर दिया।

कृषि

बैंक के कृषि उधार में रु. 2,128 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई जो मार्च 2008 में रु. 8,689 करोड़ से बढ़कर रु. 10,817 करोड़ तक पहुंची। निवल बैंक उधार को समायोजित कृषि अग्रिम का अनुपात 18.42 प्रतिशत रहा जो निर्धारित मानदंड 18 प्रतिशत से अधिक है।

बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना (एस ए सी पी) के तहत रु. 10,170 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु. 10,224 करोड़ वितरित किए। पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र को वितरित किए गए उधार की तुलना में इस वर्ष 30.75 प्रतिशत वृद्धि रही जो भारत सरकार द्वारा विशेष फार्म क्रेडिट पैकेज के तहत निर्धारित 30 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धिशील उधार प्रवाह से अधिक रही।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी)

वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 2,18,481 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। मार्च 2009 तक बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संख्या 17,15,398 हो गयी।

कृषि कारोबार परामर्श सेवाएँ (एबीसीएस)

एबीसीएस की स्थापना नाममात्र शुल्क पर प्रगतिशील कृषकों, कृषि-कारोबार एण्टरप्राइज़रों व कार्पोरेटों जो हाइ-टेक कमर्शियल कृषि का कार्य करने वालों के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी और बंजर जमीन के विकास पर विशेष थ्रस्ट सहित मार्केट सर्वे के आयोजन, सूखे जमीन की खेती, बागबानी, जडी-बूटी / औषधि पौध उगाई, खाद्य सामग्री संसाधन और शीत भंडार / ग्रामीण गोदामों की स्थापना पर विशेष जोर देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों / मूल्यांकन रिपोर्टों की तैयारी, व्यावहार्यता अध्ययन तथा

Credit. The number of accounts under Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) coverage has grown from 2076 last year to 2938 as at the end of the reporting period. The amount covered under CGTMSE guarantee has increased from Rs.65.40 crore to Rs.107.48 crore in the same period.

The Bank implemented the relief package for SME sector announced in December 2008. Various concessions including reduced rate of interest were granted to SME sector. SME Facilitation Centres were set up at all Regional Offices for speedy redressal of grievances of SME entrepreneurs. Large number of SME borrowal accounts have been restructured.

A new credit product for the SME sector viz. SME Advance Term Loan Sanction Scheme has been introduced, a standby line of credit to SME borrowers providing finance for future capital expenditure requirements without delay.

The Bank signed an MOU with COIR Board on 02.12.2008 for implementing the Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation Scheme for Coir Industries (REMOT). Another MOU with Ministry of MSME, Government of India was also signed by the Bank on 17.11.2008 for implementing the Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development Scheme for Women (TREAD). The Bank increased its advances to SME by 24.58% and surpassed the revised target prescribed by Ministry of Finance.

Agriculture

Agricultural credit registered a growth of Rs. 2,128 crore from Rs. 8,689 crore in March 2008 and reached a level of Rs. 10,817 crore. Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 18.42%, exceeding the 18% norm required.

The Bank disbursed Rs.10,224 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of Rs.10,170 crore. The increase over last year's disbursement was 30.75% as against 30% mandated by the Government of India under Special Farm Credit Package.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

The Bank has issued 2,18,481 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2009 stood at 17,15,398.

Agri Business Consultancy Services (ABCS)

ABCS was established for providing technical Consultancy Services at a nominal fee to progressive farmers, agri-business entrepreneurs & Corporates venturing into hi-tech commercial agriculture and to undertake preparation of detailed Project Reports / Appraisal Reports, conduct of Feasibility Studies and Market Surveys with special thrust on projects for waste land development, dry land farming, horticulture, herbal / medicinal plant cultivation, food processing and setting up of Cold Storages / Rural Godowns. During the year,



मार्केट सर्वे का कार्य करने के लिए की गई थी। वर्ष के दौरान एबीसीसेवाओं द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक सुगर मिल की स्थापना के लिए व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई।

लघु वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.789.25 करोड़ के क्रेडिट आउट- ले के साथ 64294 स्वयं सहायता दलों का उधार संयोजन किया। मार्च 2009 की समाप्ति तक बैंक द्वारा उधार प्रदत्त स्व सहायता दलों की कुल संख्या मार्च 2008 तक के 2,28,213 (वितरित रकम रु. 1373.43 करोड़) से बढ़कर 2,92,507 (वितरित रकम रु. 2162.68 करोड़) हो गयी।

जनश्री बीमा योजना (जेबीवाइ)

जेबीवाइ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गाँवों व शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे गरीबों के लिए जीवन बीमा उपलब्ध कराता है। बैंक ने एलआइसी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के आवरण के लिए योजना प्रारंभ की है। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने इस योजना के तहत 8074 स्वयं सहायता समूहों के 84456 महिला सदस्यों को बीमा दिलाया है।

महिलाओं को उधार प्रवाह

वर्ष की समाप्ति तक पर महिलाओं बैंक की उधार राशि रु.3,095 करोड़ तक पहुँची, जो निर्धारित मानदण्ड 5 प्रतिशत की तुलना में बैंक के निवल उधार का 5.43 प्रतिशत रहा।

अग्रणी बैंक योजना

तमिलनाडु में बारह जिलों और केरल के एक जिले में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक पर है। बैंक तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक भी है। वर्ष के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस एल बी सी), तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने तीन एस एल बी सी बैठकों और एक राज्य स्तरीय एस एल बी सी की बैठक का आयोजन किया। इसके अलावा भारत सरकार के कृषि ऋण राहत और ऋण माफ़ी योजना 2008 पर बैंक ने विशेष एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया। जनवरी 2009 से मासिक आधार पर एमएसएमई, ऑटो व हाउसिंग क्षेत्र के लिए विशेष बैठकों का आयोजन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड की प्रतिनिधियों के अलावा सदस्य बैंकों और भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया। संसदीय समिति ने “स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामाजिक उधार” पर अपने अध्ययन दौरे के रूप में दिनांक 02.02.2009 को बैंक का दौरा किया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक कॉर्पोरेट संस्था होने के नाते समाज सेवा करने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रयास में समग्रतः देश की प्रगति के साथ-साथ सम्मिलित प्रगति के लिए सामाजिक, धर्मार्थ, शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल-कूद कार्यों को प्रायोजित किए जाते हैं। बैंक ने पुणे की एनजीओ अन्नपूर्णा महिला मंडल को जो शहरी गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है रु.2 करोड़ का दान दिया है। मुख्यमंत्री राहत निधि, तमिलनाडु के लिए रु.1 करोड़ का दान दिया। बैंक ने बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत निधि, बिहार को रु.1 करोड़ का अंशदान दिया। अगस्त 2008 में स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु रु.22 लाख का दान दिया।

ABC Services prepared a feasibility report for establishment of a sugar mill in Tirunelveli District of Tamilnadu.

Micro Finance

During the year the Bank has credit linked 64294 SHGs with a credit outlay of Rs.789.25 crore. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank increased from 2,28,213 (Amount Disbursed Rs. 1373.43 crore) as at the end of March 2008 to 2,92,507 (Amount Disbursed Rs.2162.68 crore) as of March 2009.

Janashree Bima Yojana (JBY)

JBY is a Social Security Scheme to provide life insurance cover to the rural and urban poor living below the poverty line. The Bank, in association with LIC of India, has launched the scheme to cover women Self-Help Group members. During 2008-09, the Bank has covered 84456 women members belonging to 8074 Self Help Groups under the scheme.

Credit Flow To Women

As at the end of the year, the Bank's credit to women amounted to Rs.3,095 crore constituting 5.43% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee(SLBC) of Tamil Nadu. During the year under review, as Convenor of SLBC, the Bank conducted three SLBC Meetings and one State Level Review Meeting. In addition, the Bank convened Special SLBC Meetings on Govt. of India's Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008. Special SLBC meetings on MSME, Auto & Housing Sectors are also being conducted on monthly basis from January 2009 onwards. Senior level officials from member Banks and Government of Tamil Nadu participated in these meetings apart from representatives from RBI and NABARD. Parliamentary Committee, as part of their Study Tour on 'Social Credit by Public Sector Banks with special reference to Self Help Groups' visited the Bank on 02.02.2009.

Corporate Social Responsibility

The Bank is committed to serving the society as a corporate entity. In this endeavour, social, charitable, educational, cultural and sports activities are sponsored for overall as well as inclusive growth of the country. The Bank has donated Rs.2 crore to Annapoorna Mahila Mandal, an NGO based in Pune which works for the upliftment of urban poor. An amount of Rs.1 crore was donated to the Chief Minister's Relief Fund, Tamil Nadu. The Bank contributed Rs.1 crore to Chief Minister's Relief Fund, Bihar towards flood relief. On the occasion of the Founder's Centenary Celebrations in August 2008, the Bank donated Rs.22 lakhs towards the cause of promoting education.



शक्ति - इण्डियन ओवरसीस बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट

श्री एम सीटी.एम.चिदम्बरम चेट्टियार- बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हेतु, उनकी व्यावहारिक कुशलता में सुधार करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है।

ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए 40 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित किए हैं जिससे 1475 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। इन महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए, उनके उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए कुछ शाखाओं में ‘‘आइओबी शक्ति बाजार’’ आयोजित किए गए।

आइओबी संपूर्ण- संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना

बैंक ने पूर्ण ग्रामीण विकास के उद्देश्य से तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कूत्तम्बाक्कम एवं पडूर ग्राम में, नागपट्टिनम जिले के कामेश्वरम ग्राम में तथा कोयम्बतूर जिले का दालियूर ग्राम में आइओबी संपूर्ण नामक ग्रामीण विकास परियोजना प्रारंभ की। यह जीविकोपार्जन के कई प्रकार के अवसर प्रदान करती है ताकि ग्रामीण जनता का हर प्रकार से विकास हो सके। इसमें उधार तथा गैर-उधार संघटक जैसे वित्तीय समावेशन, कारोबार कररेस्पॉण्डेंट मॉडल के तहत बयो-मेट्रिक स्मार्ट कार्डों सहित आइटी आधारित बैंकिंग परिचालन, वृक्षारोपण तथा सामाजिक वनरोपण, जलाशयों की सफाई, हेल्थ केयर, कम्प्यूटर और बीपीओ में युवकों को कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबारी संसाधन आउटसोर्सिंग, गैर-पारंपरिक ऊर्जा संवर्धन एवं ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं।

ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसी)

बैंक ने अपने अग्रणी जिलों - शिवगंगा, तिरुनेलवेली और तंजाऊर में स्थापित तीन ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों में (एक नाबार्ड तथा इण्डियन बैंक के साथ संयुक्त रूप में) किसानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शिक्षित बेरोज़गार युवकों, कारीगरों और कमजोर वर्ग के लाभभोगियों के लिए कक्षाएँ और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण चलाए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिसमें 3781 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय समावेशन

पहले बैंकिंग व्यवस्था से न जुड़े लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु बैंक ने 7,28,894 नो-फ्रिल्स बचत बैंक खाते खोले और साधारण प्रयोजन हेतु 19,934 क्रेडिट कार्ड दिए।

सुनामी में ध्वस्त हुए कूत्तम्बाक्कम (तिरुवल्लूर जिला) और कामेश्वरम (नागपट्टिनम जिला - जिसे पहले सुनामी ने ध्वंस किया) में ग्रामीण लोगों के घरों तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाने हेतु बयो मेट्रिक कार्ड व हैंड-हैंड डिवाइसेस के प्रयोग से स्मार्ट बैंकिंग की शुरुआत की। स्थानीय भाषा में प्रयुक्त ये डिवाइसेस अशिक्षितों के लिए यूजर फ्रेंडली है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1173 बयो मेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए।

Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettiar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union to perpetuate the memory of Bank's founder Shri M.Ct.M. Chidambaram Chettiar, is continuing to provide training to women for improving their vocational skills thereby empowering them socially and financially.

The Trust has also conducted 40 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) exclusively for Women so far at various centres benefiting 1475 women. For the Women Entrepreneurs and Self Help Groups, ‘‘IOB Sakthi Bazaars’’ are organised at a few of the branches, for exhibition cum sale of their products.

IOB-Sampoorna – A Total Village Development Project

The Bank has launched an innovative rural development project aiming at Total Village Development called IOB-Sampoorna in Kuthambakkam and Padur villages in Tiruvallur district, Kameshwram village in Nagapattinam district and Dhaliyur village in Coimbatore district in Tamil Nadu. It encompasses several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population. It comprises of credit and non-credit components such as Financial Inclusion, I.T. enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer and BPO, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism.

Rural Training Centres (RTCs)

Three Rural Training Centres set up by the Bank (one jointly with NABARD and Indian Bank) are functioning in its Lead Districts of Sivaganga, Tirunelveli and Thanjavur in the State of Tamil Nadu to impart both classroom and practical training to the farmers, SHG members, Educated Unemployed Youth, Artisans and people from weaker sections. During the year under review, the Bank has conducted 100 training programmes and trained 3781 beneficiaries.

Financial Inclusion

In order to bring hitherto excluded people under banking fold, the Bank has opened 7,28,894 No-frills SB accounts and granted 19,934 General Purpose Credit Cards.

Smart card banking with the use of bio-metric smart cards and Hand Held Devices to facilitate banking transactions at the doorsteps of villagers has been introduced at Kuthambakkam (Tiruvallur Dist) and Kameshwram (Nagapattinam district – which was earlier devastated by Tsunami). The devices are voice enabled in vernacular language and user friendly for illiterates. 1173 biometric smart cards have been issued during the year under review.



कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 घोषित की। योजना के तहत बैंक ने 3.05 लाख छोटे व सीमांत कृषकों के रु.577.35 करोड़ के ऋण के साथ-साथ 0.74 लाख पात्र अन्य कृषकों के रु.132.30 करोड़ रकम को ऋण माफी के लिए पहचाना है जो कुल मिलाकर क्रमशः 3.79 लाख कृषक व रु.709.65 करोड़ थी। बैंक ने रिजर्व बैंक से माफी की दावा रकम की राशि के रूप में रु.235.53 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त की।

जोखिम प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क (बेसल II) अपनाया है और 31 मार्च 2009 तक के लिए पूंजी के परिकलन के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपना रहा है। 31 मार्च 2006 से बैंक बाजार जोखिम पूंजी का परिकलन मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार लागू कर रहा है।

आगे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भविष्य में उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन हेतु नए दृष्टिकोणों में ढालने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का उन्नयन करने की प्रक्रिया में है।

भविष्य में उधार जोखिम पूंजी के परिकलन के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आइआरबी) को अपनाने के लिए बैंक ने रु 1 करोड़ और उससे अधिक रकम की जोखिम-रेटिंग उधार के लिए अत्याधुनिक आंतरिक जोखिम-रेटिंग मॉडल की व्यवस्था कर ली है। अधिक मूल्य के अग्रिमों के संबंध में आंतरिक रेटिंग को कारोबार विभाग के अलावा जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा वैधीकृत किया जाता है। इसमें विस्तार व कवरेज को बढ़ाने के लिए बैंक ने रु.1 करोड़ से कम उधारों से संबंधित विशिष्ट खण्डों में जोखिम रेटिंग ऋण खातों के लिए शाखाओं / अन्य कार्यालयों के प्रयोग हेतु अतिरिक्त आंतरिक जोखिम आधारित संवेदी रेटिंग मॉडल विकसित किए।

आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण के जरिए बाजार जोखिम पूंजी परिकलित करने हेतु अत्याधुनिक जोखिम पर मूल्य (वीएआर) मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्नत माप दृष्टिकोण (आइएमए) का प्रयोग करते हुए परिचालनात्मक जोखिम पूंजी परिकलित करने के उन्नत तरीके को अपनाने के लिए हानिगत आँकड़े तैयार किए जा रहे हैं।

अनुपालन जोखिम

अनुपालन जोखिम को कम करने हेतु बैंक ने शाखाओं में अनुपालन के स्तर के सत्यापन की प्रणाली बना रखी है जिससे एक शाखा का अधिकारी दूसरी शाखा में त्रैमासिक आधार पर 'उच्च' व 'मध्यम' जोखिम वाले प्रमुख मुद्दों में अनुपालन स्तर का सत्यापन कर सकता है। शाखाओं में अनुपालन जोखिम के स्तर की गणना भी की गयी है। समग्र अनुपालन जोखिम को 31.12.2007 तक 11.87% से 31.12.2008 तक 4.69% तक घटाया गया। विदेशी शाखाओं में शुरू की गयी स्वनिर्धारण प्रक्रिया स्थिर हो गई है और विनियामक अनुपालन जाँच सूची के रूप में है। करेन्सी चेस्ट व सीसीओ में अनुपालन हेतु स्वनिर्धारण प्रक्रिया शुरू की गई है।

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008 was announced by the Hon'ble Union Finance Minister, Govt. of India. Under the Scheme, the Bank has identified 3.05 Lac Small and Marginal Farmers eligible for waiver to the tune of Rs.577.35 crore and 0.74 Lac Other Farmers eligible for relief of Rs.132.30 crore totaling 3.79 Lac farmers and Rs.709.65 crore respectively. Bank received an amount of Rs.235.53 crore as first installment from Reserve Bank of India being reimbursement of Waiver claim amount.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008 and continues with the Standardized Approach (SA) for Credit Risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risks to compute capital as on March 31, 2009 in conformity with the RBI guidelines. The Bank has been applying the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for Market Risks with effect from March 31, 2006.

Further, the Bank is in the process of upgrading its risk management systems and practices for migrating to more sophisticated and risk sensitive advanced approaches for computation of capital in respect of credit risk, market risk and operational risk in future, with the approval of Reserve Bank of India.

For adopting internal risk based approach (IRB) for credit risk in future, the Bank has been using a sophisticated internal risk-rating model for risk-rating exposures of Rs. 1 crore and above. The internal ratings relating to high value advances are validated at Risk Management Department, independent of business department. In order to widen the scope and coverage further, the Bank has developed additionally risk sensitive rating models in-house for use at Branches / other Offices for risk rating borrowal accounts in specific segments relating to exposures of less than Rs.1 crore.

For calculating market risk capital by Internal Models Approach (IMA), a sophisticated Value at Risk (VaR) model is already put to use. For computing operational risk capital using Advanced Measurement Approach (AMA), loss data are being built up for eventual transition to the advanced approach.

Compliance Function

In order to mitigate the Compliance Risk, the Bank has put in place a system of verification of level of compliance in branches whereby an official of one branch would verify the level of compliance in core issues in another branch which are of "High" and "Medium" risk on a quarterly basis. The level of Compliance Risk in the branches has also been quantified. The overall Compliance Risk of 11.87% as on 31.12.2007 was brought down to 4.69% as on 31.12.2008. The Self-Assessment procedure introduced in overseas branches has stabilized and serves as Regulatory Compliance Check List. The compliance self-assessment process has been introduced at Currency Chests and CCOs.



वसूली प्रबंधन

जानकारी बाँटना, अभिप्रेरणा / सहयोग, नई और नवोन्मेषी योजनाओं के ज़रिए अधिकार सौंपने और प्रबोधन करने जैसे कई सक्रिय उपाय किए गए। इन उपायों से परिचालनात्मक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया और एनपीए प्रबंधन के तहत क्षेत्रों / शाखाओं के निष्पादन में काफी सुधार हुआ।

बैंक ने सभी पात्र मामलों में सरफासी के तहत 100 प्रतिशत कार्रवाई पर और जहाँ संभव हो खातों को अपग्रेड करने में 'नियत रकम' की वसूली पर बल दिया। अन्य विशेष उपायों में रिकूप 'RECOUP' (रिकवरी/अपग्रेडेशन) 1.10.2008 से स्लिपेज अभियान शुरू किया गया और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार एक बारगी उपाय के रूप में पदनामित अधिकारियों को विवेकाधिकार देकर 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 के दौरान रु.10 लाख से कम एनपीए की वसूली / अपग्रेड करने हेतु "आइओबी क्लस्टर ओरिएण्टेड रिकवरी प्लस अपग्रेडेशन सिस्टम (आइओबी कॉर्पस)" गहन वसूली कैम्प शुरू किया है। बैंक की वसूली नीति के अनुसार कैम्प के दौरान समझौतों का निपटान कड़ाई से किया गया। बैंक ने बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली सहित रु.479 करोड़ की वसूली की। वर्ष के दौरान रु.822 करोड़ तक की एनपीए रकम को अपग्रेड / पुनर्संरचित किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पेशनों का निपटान

वर्ष 2008-09 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक को 983 याचिकाएँ प्राप्त हुईं। सभी अनुरोधों का जवाब निर्धारित समय अर्थात् 30 दिनों के अंदर दिया गया। लगभग 77 प्रतिशत याचिकाओं पर सकारात्मक जवाब दिया गया और शेष आवेदन मांगे गए विवरण के लिए अपात्र पाए गए।

प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी द्वारा 133 प्रथम अपील प्राप्त किए गए और उनका निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया। वर्ष के दौरान माननीय केन्द्रीय सूचना अधिकारी के पास 14 याचिकाएँ द्वितीय अपील के रूप में प्राप्त हुईं। सीआईसी द्वारा 13 याचिकाओं का निपटान किया गया और एक याचिका लंबित है। मार्च 2009 तक की 37 द्वितीय अपीलों पर बैंक ने अनुकूल निर्णय दिया।

औद्योगिक पुनर्वास

रिपोर्टिंग वर्ष के अन्त में बीआईएफआर/ एएआईएफआर के तहत रु.145.10 करोड़ उधार के कुल 28 मामले थे। इनमें से कुल रु.114.55 करोड़ के 8 खाते मानक एवं अर्जक थे। अनर्जक खातों में से 14 मामलों में वर्ष के दौरान रु.27.99 करोड़ की वसूली की गई जिसमें, एआरसीआइएल को बेचे गए रु.1.94 करोड़ का एक खाता भी शामिल है। एक मामले में, एक कंपनी जिसकी रु.1.90 करोड़ की जोखिम थी, एसआईसीए (विशेष प्रावधान) के दायरे से बाहर आयी क्योंकि उसका नेटवर्थ सकारात्मक में बदला।

कार्पोरेट ऋण पुनःसंरचना

31 मार्च 2008 तक की समाप्ति तक रु.371.70 करोड़ के बकाया सहित 9 मामलों की तुलना में, मार्च 2009 के अंत तक रु.176.50 करोड़ की बकाया के साथ 9 मामले सीडीआर तंत्र के तहत पुनःसंरचित किए गए। वर्ष के दौरान एक खाता समायोजित किया गया, एक खाता

Recovery Management

Many pro-active measures such as dissemination of information, motivation/support, empowerment through new and innovative schemes and monitoring of progress were initiated. These measures infused a positive outlook at the operational level and there was a perceptible improvement in the performance of Regions/Branches under NPA Management.

The Bank continued to emphasise 100% action under SARFAESI in all eligible cases and on recovery of "critical amount" towards upgrading the accounts wherever possible. Other special measures include launching of campaign "RECOUP" (Recovery/Upgradation) SLIPPAGES Campaign w.e.f 01.10.2008 and launching of Intensive Recovery Camps "IOB's Cluster Oriented Recovery Plus Upgradation System [IOB'S CORPUS]" for Recovery/Upgradation of NPAs below Rs. 10 lacs during January 1, 2009 to March 31, 2009 by extending the discretionary powers to the designated officials as a one time measure as per Board approval. The compromise settlement during the camp was done strictly as per Bank's Recovery Policy. The Bank made substantial recovery of Rs. 479 crore including recovery from written-off accounts. NPAs to the extent of Rs. 822 crore were also upgraded/restructured during the year.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 983 petitions seeking information under RTI Act during the year 2008-09. All the requests were duly replied within the specified period of 30 days. About 77% of the petitions were positively replied and the balance applications were found ineligible for the requested details.

First Appellate Authority received 133 first appeals and they were duly disposed as per the due provisions of the Act. 14 petitions resulted as second appeals during the year with the Hon'ble Central Information Commission (CIC). 13 petitions were disposed by CIC and one appeal is pending decision. Bank had maintained favourable decisions in all the 37 Second Appeals faced as at the end of March 2009.

Industrial Rehabilitation

Total cases under BIFR/AAIFR as at the end of reporting year were 28 with an exposure of Rs. 145.10 crore. Of this 8 accounts aggregating to Rs. 114.55 crore were standard and performing. Out of NPA accounts, the Bank has recorded a substantial recovery in 14 cases amounting to Rs. 27.99 crore including sale of one account for Rs.1.94 crore to ARCIL. In one case, the borrowal account with an exposure of Rs. 1.90 crore came out of the purview of SICA as its net worth turned positive.

Corporate Debt Restructuring

As at the end of March 2009, the total number of cases restructured under CDR mechanism was 9 with an outstanding of Rs.176.05 crores as against 9 cases with an outstanding of Rs.371.70 crores as at the end of 31.03.2008. One account was adjusted during the



सीडीआर तंत्र के बाहर था और इस वर्ष रु.28.44 करोड़ ऋण के दो नए मानक खाते सीडीआर तंत्र में शामिल हुए। सीडीआर के तहत 9 खातों में से रु.6.16 करोड़ बकाया के 2 खाते अवमानक प्रवर्ग के हैं और रु.169.89 करोड़ के 7 खाते मानक प्रवर्ग के तहत हैं। अवमानक खातों के उन्नयन / वसूली के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

निवेश

कुल निवेश 31 मार्च 2009 को रु 30,497 करोड़ थी जो 31 मार्च 2008 तक रु 27,468 करोड़ था। इसमें 11.03 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रतिभूतियों में रु 1609.46 करोड़ की और 6.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गैर एसएलआर निवेश में रु 1419.88 करोड़ बढ़त हुई क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ सुधारने हेतु प्रबंधन द्वारा सही निर्णय लिया गया था।

वर्ष 2008-09 के दौरान रु 2191.89 करोड़ के लिए प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) से परिपाक में रखी (एचटीएम) सेगमेंट में, रु 1682.90 करोड़ एचटीएम से एएफएस में, रु 810.84 करोड़ व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) से एचटीएम में अंतरित की गई और रु 246.01 करोड़ एचएफटी से एएफएस में अंतरित किए गए। 31.03.2009 तक एचटीएम में धारित एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत सीमा के प्रति 31.03.2008 तक 22.65 प्रतिशत की तुलना में 22.62 प्रतिशत रही।

बाजार अस्थिर था और बैंक ने पूरे वर्ष में इन्विस्टी शेयरों में अपना कारोबार बनाए रखा। वर्ष 2007-08 के दौरान रु 1,99,540 करोड़ के प्रति वर्ष 2008-09 में सेकेण्डरी बाजार में कारोबार किए गए शेयरों का कुल (बही मूल्य) रु 83,581 करोड़ रहा। प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त कुल लाभ रु 636.83 करोड़ था जबकि वर्ष 2007-08 के इसी अवधि के दौरान यह रु 228.55 करोड़ रहा। कुल निवेशों पर प्रतिलाभ (प्रतिभूतियों व परिशोधन की बिक्री पर लाभ को छोड़कर) वर्ष 2007-2008 के 8.15% से 2008-2009 में 8.19% रहा।

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक रु 375 करोड़ के लिए नए रुपया ब्याज दर स्वीप शामिल हुआ और 31.03.2009 तक बैंक द्वारा धारित कुल रुपया ब्याज दर स्वीप पिछले वर्ष के रु.1,425 करोड़ की तुलना में रु.1800 करोड़ तक बढ़ा। सावधि जमाओं की लागत कम करने हेतु और टायर II की देयताओं को कम करने के साथ-साथ जी-सेक पोर्टफोलियो की प्रतिरक्षा के लिए नए स्वीपों में शामिल होना पड़ा।

फॉरेक्स परिचालन

विदेशी विनिमय पण्यवर्त (मर्चेन्ट तथा अंतर बैंक) वर्ष 2007-08 के रु.2,20,230 करोड़ से वर्ष 2008-09 में रु.3,02,696 करोड़ तक बढ़ गया है जो 37.45 प्रतिशत की वृद्धि है। फलस्वरूप अर्जित आय रु.125.72 करोड़ से बढ़कर रु.157.61 करोड़ हो गई है। उसी अवधि में सोने के सिक्कों की बिक्री से कारोबार 558 किलोग्राम से 614 किलोग्राम तक बढ़ गया।

ग्राहक संतुष्टि में प्रगति लाने और बाजार में हो रहे विकास के साथ चलने के लिए बैंक ने नया ऑनलाइन विप्रेषण उत्पाद “क्विक रेमिट” शुरू करने के लिए बड़े विदेशी बैंक के साथ गठजोड़ किया। यह उत्पाद आरंभ में यूएसए में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा और बाद में अन्य देशों के लिए भी उपलब्ध किया जाएगा।

year, one account came out of purview of CDR mechanism and 2 new, both standard, accounts entered CDR mechanism with an exposure of Rs.28.44 crores, in this year. Of the 9 accounts under CDR, 2 accounts with outstanding of Rs.6.16 crores are under sub-standard category and the remaining 7 accounts with an outstanding of Rs.169.89 crores under standard category. Efforts are on for upgradation/recovery of the sub-standard accounts.

Investments

Gross Investments in India as of March 31, 2009 stood at Rs. 30,497 crore as against Rs. 27,468 crore as of March 31, 2008 registering a growth of 11.03%. SLR securities registered a growth of 6.42% and Rs.1609.46 crore in absolute terms during the year while Non SLR Investments increased by Rs.1419.88 crore due to a conscious decision taken by the Management to improve the yield on such securities.

During the year 2008-09, securities for Rs.2191.89 crore were transferred from Available for Sale (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment, Rs.1682.90 crore from HTM to AFS, Rs.810.84 crore were transferred from Held For Trading (HFT) to HTM and Rs.246.01 crore were transferred from HFT to AFS. As on 31.03.2009, the extent of SLR securities held in HTM stood at 22.62% of DTL against the limit of 25% prescribed by Reserve Bank of India, compared to 22.65% as on 31.03.2008.

The market was volatile and the Bank continued to trade both in Fixed Income Securities and Equities throughout the year. Total turnover (Book Value) in the secondary market stood at Rs.83,581 crore during the year 2008-09 as against Rs.1,99,540 crore during the year 2007-08. Total profit on sale of securities amounted to Rs. 636.83 crore as against Rs. 228.55 crore in 2007-08. Return on total investments (excluding Profit on Sale of Securities & amortisation) improved from 8.15% in 2007-08 to 8.19% in 2008-09.

During the year 2008-09, the Bank entered into fresh rupee interest rate swap for Rs.375 crore and the total Rupee interest rate swaps held by the bank as on 31.03.2009 increased to Rs 1800 crore as against Rs.1,425 crore last year. The fresh swaps were entered to reduce the cost of Term Deposits and Tier II liabilities and also hedge the G Sec portfolio.

Forex Operations

The foreign exchange turnover (merchant and interbank) improved from Rs.2,20,230 crore during 2007-08 to Rs.3,02,696 crore during 2008-09 with a growth of 37.45%. This has resulted in the income earned improving from Rs.125.72 crore to Rs.157.61 crore. The business from the sale of gold coins rose from 558 kgs to 614 kgs in the same period.

To increase the customer satisfaction and to keep pace with the market developments, the Bank has tied up with a large Foreign Bank for a new online remittance product “Quick Remit” which will initially be available for customers in USA and to be extended to other countries.



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने जेपीवाइ 4892 मियो का समूहन ऋण लिया और अपने स्रोत को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धी दर पर निधि को भारतीय रुपए में स्वैप किया। यूएसडी 100 मियो का अन्य ऋण भी विदेशी परिचालनों के लिए समूहन किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर निर्यात संवर्धन के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति [एसएलबीसी] की उप समिति ने सितंबर 2008 और फरवरी 2009 में बैंकें आयोजित कीं तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी विभागों, ईसीजीसी, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, एफआईआईओ, ईईपीसी, सीएलपीसी इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्थानीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर फेडाई की ओर से आवधिक बैंकों का आयोजन किया गया। एफआईआईओ के सहयोग से विरुधुनगर में निर्यातक जागरूकता बैंक का प्रायोजन किया गया।

एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं सहित फोरेक्स गतिविधियों में होने वाली सभी जोखिमों को कवर करते हुए बनाई गई है। बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित, मुद्रावार दैनिक / एक दिवसीय ऋणों का, दैनिक आधार पर प्रबंधन किया जा रहा है। ऋण को कवर करने के लिए प्रति पार्टी सीमाओं, एकल लेनदेन सीमा और स्टॉप लॉस सीमाओं [प्रति लेनदेन और प्रति डीलर प्रतिदिन] का दैनिक आधार पर प्रबंधन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

क्रेडिट कार्ड

बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड वीजा इन्टरनेशनल के संघ से संबद्ध है और इस वर्ष उसका निष्पादन अच्छा रहा है। इस अवधि में कार्ड आधार में 23.51 प्रतिशत और टर्नओवर में 37.42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्रेडिट कार्ड परिचालन से प्राप्त आय में 35.29 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

व्यापारी बैंकिंग

बैंक ने डिबेंचर न्यासी, निर्गमों के लिए वसूलीकर्ता बैंकर और लाभांश / ब्याज अदाकर्ता बैंकर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक की व्यापारी बैंकिंग गतिविधियाँ मामूली स्तर पर थीं क्योंकि सार्वभौमिक घटकों के कारण ईक्विटी बाजार आकर्षक नहीं था।

निक्षेपागार परिचालन

बैंक चेन्नै व मुम्बई में दो शाखाओं सहित एनएसडीएल का डिपॉजिटरी प्रतिभागी है। वर्ष के दौरान मुम्बई डीपी शाखा का चेन्नै डीपी शाखा के साथ विलयन हो गया और बैंक ने 28 डीपी सेवा केन्द्र शाखाएँ जोड़ी, जिससे कुल सं 53 हो गई और इन शाखाओं में डीपी सुविधाएँ प्रदान की गयीं। वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के पास 14200 लाभार्थी खाते थे।

ऋण समूहन कार्यकलाप

समूहन कार्यकलाप का लाभ उठाने हेतु ऋण समूहन डेस्क बैंक के व्यापारी बैंकिंग विभाग के भाग के रूप में कार्य कर रहा है। बैंक ने भारत में तथा विदेश में देशीय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी व्यवस्थापक / सह अग्रणी व्यवस्थापक की भूमिका निभायी। बैंक ने वर्ष 2007-08 में रु 1.50 करोड़ के मुकाबले समीक्षाधीन अवधि के दौरान समूहन शुल्क के रूप में रु 6.66 करोड़ का अर्जन किया।

During the year under review, the bank raised a syndicated loan of JPY 4892 Mio and swapped the funds to Indian Rupees at a very competitive rate to augment the resources. Another loan of USD 100 Mio was also syndicated for overseas operations.

The Sub-Committee of SLBC for Export Promotion constituted at the instance of RBI, under the Chairmanship of the Executive Director of the Bank, convened meetings during September 2008 and February 2009, attended by representatives from various nationalized banks, Government departments, ECGC, EXIM Bank, RBI, FIEO, EEPC, CLPC, etc. Periodical meetings were arranged on behalf of FEDAI, as its local committee Chairman. Exporters Awareness Meet at Virudhunagar was sponsored in association with FIEO.

A comprehensive Risk Management Policy, with limits duly approved by the Board, covering all risks arising out of forex activities, is in place. Currency wise Day Light/Overnight exposures, duly approved by the Board, are being monitored on a daily basis. Counter party limits to cover the credit exposure, single deal limit and stop loss limits (peer deal and per dealer per day) are being monitored effectively on a daily basis.

Credit Card

The Bank's own credit card is in affiliation with Visa International and its performance has been good during the year. The card base recorded a growth of 23.51% and turnover 37.42% in this period. Total income received from credit card operations went up by 35.29%.

Merchant Banking

The Bank continues to act as Debenture Trustee, Collecting Bankers to Issues and Dividend/Interest Paying Banker. During the year, the Merchant Banking activities of the Bank were on a low key as the Equity Market was not attractive due to global factors.

Depository Operations

The Bank is a Depository Participant of NSDL with two branches, one at Chennai and the other at Mumbai. During the year the Mumbai DP branch was merged with Chennai DP branch and the Bank added 28 DP service centre branches taking the total to 53 and these branches are offering extended DP facilities. As at the end of the financial year, there were 14200 beneficiary accounts.

Loan Syndication Activities

Loan Syndication Desk has been functioning as part of the Merchant Banking Division of the Bank to take advantage of Syndication Activity. The Bank acted as Lead Arranger/Co-Lead Arranger for loans to Companies both in India and abroad in domestic as well as foreign currency. The Bank earned Rs.6.66 crore as Syndication fee for the period under review as against Rs.1.50 crore earned during 2007-08.



सरकारी लेखा

कर वसूलियाँ

बैंकों को 217 शाखाओं पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क (ई ए एस आइ इ एस टी) की वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया है। बैंक को केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, ई-भुगतान स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्राधिकृत किया गया है जिसका कार्यान्वयन दिसम्बर 2006 से किया जा रहा है। हैडोज रोड शाखा चेन्नै केन्द्रीय उत्पाद की वसूली और नरामन प्वाइंट शाखा मुंबई सेवा कर की वसूली के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के तौर पर काम कर रही हैं।

बैंक को 354 शाखाओं के जरिए ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग प्रणाली (ओ एल टी ए एस) से आय कर और अन्य प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया है। टैन डाटा क्वालिटी 99.5% और पैन डाटा क्वालिटी 98.7% है। बैंक को प्रत्यक्ष कर का संग्रहण ई-भुगतान के जरिए स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्राधिकृत किया गया है, इस सुविधा का कार्यान्वयन दिसम्बर 2007 से किया जा रहा है। जेमिनी सर्किल शाखा, चेन्नै प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए ई संग्रहण शाखा के तौर पर कार्य कर रही है।

पेंशन का भुगतान

बैंक केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, टेलीकॉम और राज्य सरकारों, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन और मलेशियन सरकार पेंशन और कोयला खदान पेंशनरों से संबंधित पेंशन भुगतानों को संभालता है। बैंक ने केन्द्रीय पेंशन संसाधन केन्द्र (सी पी पी सी) की स्थापना की है और जनवरी 2009 से केन्द्रीय सिविल पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया है। वर्ष के दौरान बैंक ने छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सिविल और रक्षा पेंशनरों के बकाया राशि का संवितरण किया।

अन्य सरकारी कारोबार

तमिलनाडु सरकार और उड़ीसा सरकार का क्रमशः 9 शाखाओं और 01 शाखा में ट्रेजरी कारोबार संभालने के अलावा बैंक भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% कर योग्य बॉण्ड और सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी बचत योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदार है। तमिलनाडु में पोस्ट ऑफिस संग्रहण का अनुरक्षण 42 शाखाओं में किया जाता है।

मुद्रा तिजोरी

बैंक के पास कुल 32 मुद्रा तिजोरियां हैं और वर्ष 2009-10 के दौरान अम्बलूर (चेन्नै), तंजाऊर, इरोड और गजपतिनगर (ब्रह्मपुर) में 4 अन्य मुद्रा तिजोरी खोली जाएंगी।

अंतर शाखा लेखा समाधान

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आइबीआर खातों में सभी नामे और जमा प्रविष्टियों का 6 महीनों की अवधि में समाधान/निरसन किया जाना अपेक्षित है। बैंक समाधान चक्र को कम करने, कम्पास और माँग ड्राफ्टों की नामे प्रविष्टियों को 15 दिनों में निरसन करने में सफल रहा। बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी निधि अन्तरण और तार अन्तरण प्रविष्टि एक महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

निरीक्षण

वर्ष 2008-09 के दौरान, ईडीपी ऑडिट और निप्सा (NIPSA) के साथ 1274 शाखाओं में केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण किया गया। वर्ष

Government Accounts

Tax Collections

Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIST) at 217 branches. Bank has been given All India authorization to receive e-payment of Excise and Service Tax, which was implemented since December 2006. Haddows Road branch, Chennai is functioning as e-Focal Point branch for Central Excise and Nariman Point branch, Mumbai is functioning as e-Focal Point branch for Service Tax.

Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches. TAN data quality is 99.5% and PAN data quality is 98.7%. Bank is given All India authorization to receive e-payment of Direct taxes and this facility has been implemented since December 2007. Gemini Circle branch, Chennai is functioning as e-Collection branch for Direct Tax collections.

Payment of Pension

The Bank handles payment of Pension in respect of Central Civil, Defence, Railways, Telecom and State Governments, TNEB, Chennai Port Trust, Employees' Provident Fund Organisation Pension, Malaysian Government Pension and Coal Mines Provident Fund Pensioners. The Bank has established Centralised Pension Processing Centre (CPPC) and commenced payment of Central Civil Pension from January 2009. During the year, the Bank disbursed pension arrears under 6th Pay Commission for Civil & Defence pensioners, as per Government directives.

Other Government Business

The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond, Public Provident Fund besides handling Treasury business of the Government of Tamil Nadu in 9 branches and Government of Orissa in 1 branch. Post Office Collection Account is maintained at 42 branches in Tamil Nadu.

Currency Chest

The Bank has 32 Currency Chests and four more Currency Chests viz. Ambattur (Chennai), Thanjavur, Erode and Gajapatinagar (Berhampur) are expected to be opened during the year 2009-10.

Inter Branch Reconciliation

As per the directives of the Reserve Bank of India, all debit and credit entries in the IBR accounts are required to be reconciled/eliminated within a period of six months. The Bank was successful in reducing the reconciliation cycle, elimination of the Compass and Demand Draft debit entries to 15 days. The Bank also ensured that no funds transfer and telegraphic transfer entry is outstanding for more than one month.

Inspection

During the year 2008-09, Central Office Inspection was carried out in 1274 branches along with EDP Audit



के दौरान, 1032 शाखाओं का ऑन लाइन निरीक्षण किया गया, 239 शाखाएं मैन्युअल निरीक्षण से इस वर्ग में आई हैं। निरीक्षित शाखाओं में से 426 शाखाएं अच्छी रेटिंग की थीं। अवाधि के दौरान कोलम्बो, सिंगापुर, सोल, बैंकाक स्थित विदेशी शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शाखाओं में आवधिक अल्पकालीन/गैर - औद्योगिक प्राथमिकता क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया।

41 क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 15 विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षण किया गया। कम से कम 50% समवर्ती लेखा परीक्षण के तहत शामिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार करते हुए बैंक ने 56.15% के जमा कारोबार और 71.78% अग्रिमों वाली कुल 301 शाखाओं का समवर्ती लेखा-परीक्षण के तहत लेखा-परीक्षण किया। 1319 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षण और 289 शाखाओं में टेस्ट चेक लेखा-परीक्षण किया गया। चयनित आधार पर 496 खातों का स्टॉक ऑडिट कार्य किया गया।

विशेष कार्य के तौर पर 102 टॉप शाखाओं का (अग्रिमों के आधार पर) राजस्व लेखा परीक्षण किया गया। 100 टॉप उधारी खातों की भी आय लेखा परीक्षा की गई। केन्द्रीय कार्यालय के निरीक्षण के साथ-साथ सभी 1274 समवर्ती शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) की गई और सभी शाखाओं के लिए अलग से जोखिम ढ़ांचा तैयार किया गया। क्षेत्रों की जोखिम आधारित रूप रेखा बनाकर आरबीआईए के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रबंधन लेखा-परीक्षण किया गया।

सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट कक्ष ने 41 क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों का आईएस ऑडिट किया। 4 अपवादस्वरूप बहुत बड़ी शाखाओं, 96 बृहत शाखाओं और 221 बहुत बड़ी शाखाओं वाले 321 शाखाओं का आईएस ऑडिट किया गया। ट्रेजरी(विदेशी), ट्रेजरी(देशी), क्रेडिट कार्ड डिवीजन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग परिचालन यथा कोर बैंकिंग, ए टी एम, आन्तरिक बैंकिंग, आर टी जी एस, बी सी पी, नेटवर्क विभाग का आई एस ऑडिट योग्य लेखा परीक्षकों के द्वारा कराया गया।

ऑडिट उप समिति

26 अगस्त 2008 को संपन्न मंडल की बैठक में ऑडिट उप समिति (एएससी) के गठन का अनुमोदन किया गया। ऑडिट उप समिति की पहली बैठक दिनांक 06.11.08 को संपन्न हुई और इसके बाद इसकी बैठकें जनवरी - फरवरी 2009 में की गईं। ए एस सी की कार्यवाहियों को तिमाही आधार पर ए सी बी के समक्ष रखी जाती हैं।

सतर्कता

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक द्वारा लॉबित सतर्कता अनुशासनिक मामलों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान 120 सतर्कता अनुशासनिक मामलों को निपटाया गया। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं बृहत मूल्य की धोखाधड़ियों का प्रबोधन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति ने आवधिक तौर पर रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का विश्लेषण किया और समिति द्वारा सुझाए/ बताए गए प्रेक्षणों / सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित किया। वर्ष के दौरान बैंक ने निवारक सतर्कता के तहत - सीवीओ के 14 परिपत्र "निवारक सतर्कता - सीवीओ विशेष परिपत्र" के नाम पर जारी किए जिसमें विभाग द्वारा संचाले गए सतर्कता अनुशासनिक मामलों के विस्तृत विवरण दिए गए। दंड के विवरण को शामिल करते हुए जाने योग्य निवारक सतर्कता उपायों (क्या करें या क्या न करें) की सूचना दी गई ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

and NIPSA. Out of 1032 branches inspected On line, 239 branches were switching over from manual inspection. Out of the branches inspected, 426 branches were rated Good. Inspection of Colombo, Seoul, Bangkok, Singapore branches were also conducted during the period.

Periodical Short Inspection of Branches was carried out by Regional Offices. Management Audit of all 41 Regional Offices and 15 Central Office Departments were also conducted. A total of 301 branches were brought under Concurrent Audit covering 56.15% of deposits and 71.78 % of Advances thereby exceeding RBI guidelines of covering atleast 50% of Bank's Business. Revenue Audit was carried out in 1319 branches and Test Check Audit in 289 branches. Stock Audit was conducted for 496 accounts on selective basis.

Revenue Audit was carried out in 102 Top branches (on the basis of advances) as a special assignment. Also Income Audit was conducted in 100 Top Borrowal accounts. Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted at all the 1274 branches where CO Inspection was carried out. Management Audit of Regional Offices was also conducted under RBIA by preparing Risk Profile of the Regions.

Information System (IS) Audit Cell has conducted IS Audit of all the 41 Regional Computer Centres. IS Audit has been completed in 321 branches consisting of 4 Exceptionally Extra Large branches, 96 Exceptionally Large branches and 221 Very Large branches. IS Audit on Treasury (Foreign), Treasury (Domestic), Credit Card Division I.T Department operations Viz. Core banking, ATM, Internet banking, RTGS, BCP, Net work Department were conducted by engaging qualified External Auditors.

Audit Sub Committee

Board of Directors in the meeting held on August 26, 2008 has approved the formation of Audit Sub Committee (ASC). The first meeting of the ASC was held on 6.11.08 and subsequent meetings were held in January - February 2009. Proceedings of the ASC are put up to ACB quarterly.

Vigilance

During the year 2008-09 the Bank has taken effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary Cases within the time frame fixed by CVC. During the year 120 Vigilance Disciplinary Cases were disposed. The Operational Risk Management Committee and the Committee of the Board to monitor Large Value Frauds analysed the frauds reported periodically and observations/ remedial measures made/ suggested by the Committee have been implemented by the Bank. The Bank issued 14 Circulars captioned, 'Preventive Vigilance - CVO's Special Circular' elaborating the Vigilance Disciplinary Cases handled, besides incorporating the details of punishments awarded, and the important preventive measures to be taken.

Further emphasis has been given by the Bank towards Preventive Vigilance through periodical Branch inspection by Chief Vigilance Officer and Vigilance



इसके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण द्वारा बैंक ने निवारक सतर्कता उपायों पर जोर दिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के आवधिक दौर के दौरान प्रणालियों एवं कार्यपद्धतियों के अनुपालन में सभी स्तरों पर स्टाफ सदस्यों की भूमिका के बारे में खासकर केवाईसी मानदण्डों, एएमएल दिशानिर्देशों, धोखाधड़ी उन्मुख क्षेत्रों आदि पर जोर दिया गया। नवंबर 2008 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सूचना प्राद्यौगिकी

सभी नेटवर्क शाखाओं एवं उप-शाखाओं (इसी) को सीबीएस के तहत लाया गया है। दिनांक 31.03.2009 तक, बैंक के 99% घरेलू व्यापार को कवर करते हुए 1824 शाखाओं एवं 24 उप-शाखाओं (इसी) को नेटवर्क में लाकर सीबीएस किया गया। इसके अलावा, 41 क्षेत्रीय कार्यालयों, 13 केन्द्रीय समाशोधन कार्यालयों, केन्द्रीय कार्यालय के 4 विभाग एवं 6 निरीक्षणालयों को भी सीबीएस के तहत लाया गया।

135 एटीएम (34 ऑफसाइट और 16 रेलवे एटीएम सहित) स्थापित किए गए हैं जिससे दिनांक 31.03.2009 तक एटीएम की कुल संख्या 576 हो गई है। सभी विंकर-सीमेन्स एटीएम, जिनकी कार्यक्षमता समाप्त हो चुकी है को बदल दिया गया है। एटीएम की देख-रेख की सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए सफल विक्रेताओं को खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं। एटीएम देख-रेख सेवाओं में सभी एटीएम में सुरक्षा उपाय के तहत वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

वर्ष के दौरान 483 शाखाओं / उप-शाखाओं को बैंक के वाइड एरिया नेटवर्क के तहत लाया गया जिससे कुल नेटवर्क संस्था 2060 हो गई है। डाटा केन्द्रों एवं क्षेत्रीय नोड और एमपीएलएस वीपीएन तकनीकी के बीच के प्वाइंटवार लीड लाइन कनेक्टिविटी से स्थानांतरण पूरा हो चुका है। सभी डाटा केन्द्रों एवं 31 मे से 25 क्षेत्रीय नोडों के वैकल्पिक सेवा प्रदान करने वालों से अनावश्यक एमपीएलएस वीपीएन संपर्क निकाल दिए गए हैं। व्यर्थता के लिए वैकल्पिक सेवा प्रदान करने वालों से 294 शाखाओं को वायरलेस एमपीएलएस-वीपीएन (रेडियो फ्रीक्वेंसी और वीसेंट) प्रदान किया गया है जबकि सभी अन्य नेटवर्कीकृत शाखाओं में उक्त का कार्यान्वयन चल रहा है।

डाटा केन्द्र

चैन्नै का प्राइमरी डाटा केन्द्र एवं कमान्ड केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत है और हैदराबाद का डीआरएस प्रतिष्ठापन के लिए तैयार है। तीनों केन्द्रों में सीबीएस सेवा स्थापित है और कार्यशील भी है। सीबीएस सेवाओं की आवश्यकता क्लस्टरिंग/ रिडन्डन्ट सर्वर के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डाटा में वास्तविकता को प्राइमरी एवं कमान्ड केन्द्रों के तुल्य प्रतिरूपन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। प्राइमरी डाटा केन्द्र, चैन्नै, कमान्ड केन्द्र, चैन्नै एवं डीआर साइट हैदराबाद की थ्री-वे (three way) प्रतिरूपन परीक्षाधीन है।

नेटवर्क कनेक्टिविटी रिडन्डन्सी सहित स्थापित की गई है। वर्तमान में हैदराबाद डीआरएस के आरंभ होने तक, चैन्नै स्थित कमान्ड केन्द्र सीबीएस के लिए डीआरएस का कार्य कर रही है। दोनों साइट के चूक एवं कमियों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। दिनांक 11.11.2008 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस अनुसूची के लिए चलाए गए डीआर ड्रिल में बैंक ने सफलता पूर्वक भाग लिया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में डाटा केन्द्रों के लिए सेवा प्रदान करने वाले तीन विभिन्न केन्द्रों से उच्च बैंडविड्थ वाले एमपीएलएस कनेक्शन स्थापित किए गए हैं।

Officers attached to Vigilance Cell at select Regional Offices. The role of staff at all levels in adherence to Systems and Procedures especially compliance to KYC Norms, AML Guidelines, fraud prone areas, etc. has been emphasized during periodical visits to Regional Offices and branches by Chief Vigilance Officer. Vigilance Awareness Week was observed in November 2008.

Information Technology

All networked branches and ECs have been brought under CBS. As on 31.3.2009, 1824 branches and 24 ECs were networked and brought under the CBS, covering 99 % of the Bank's domestic business. In addition, 41 Regional Offices, 13 Central Clearing Offices, 4 Central Office Departments and 6 Inspectorates have also been brought under CBS.

135 ATMs have been installed (including 34 offsite and 16 Railway ATMs) taking the total number of ATMs to 576 as on 31.3.2009. All the Wincor – Siemens ATMs which reached their end-of-life have been replaced. Purchase orders have been issued to the successful vendor for outsourcing of ATM Managed services. Installation of Video surveillance systems in all ATM sites is included as a security measure under the scope of the work of ATM Managed Services.

483 branches/Extension Counters have been brought under the Bank's Wide Area Network during the year, taking the total Networked Entities to 2060. Migration from point to point leased line connectivity between the data centres and regional nodes to MPLS VPN technology was completed. Redundant MPLS VPN links from an alternate service provider was also commissioned, at all the data centres and 25 out of 31 Regional nodes. 294 branches have been provided with Wireless MPLS-VPN (Radio Frequency and VSAT) from an alternate service Provider for redundancy, while implementation of the same in all other networked branches is on.

Data Centres:

The Primary Data Centre and the Command centre at Chennai are fully functional and the DRS at Hyderabad is ready for commissioning. CBS servers at all the three places are installed and active. Availability of CBS servers has been ensured through Clustering / Redundant servers. Data integrity is ensured through synchronous replication between the Primary and Command Centres. Three-way replication between Primary Data centre, Chennai, Command Centre, Chennai and the DR site at Hyderabad is being tested.

Network Connectivity has been established with redundancy. Till the commissioning of the DRS at Hyderabad, the Command Centre at Chennai is acting as the DRS for CBS, for the present. The fail-over and fall-back have been successfully tested at both the sites. The Bank also successfully participated in the DR Drill for RTGS scheduled by RBI on 11.11.2008. On the networking side, high bandwidth MPLS connections from three different service providers has been established for the Data Centres.



सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण एवं कार्यान्वयन

- सीबीएस में एसबी (स्वर्ण, सिलवर, नो-फ्रिल्स थोक खाता खोलना और लिक्विड जमा), सीडी (क्लासिक एवं सुपर, सीसी-वाणिज्यक आभूषण ऋण), स्वर्ण आरडी और कर बचत योजना के तहत नई योजनाओं को उनके सारे विशेषताओं के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- सिबिल, एएमएल और केवाईसी की अपेक्षाओं की अनुरूप ग्राहक पहचान सिद्धांत लागू किया गया है।
- गारंटी पत्र, लॉकर रख-रखाव, स्थायी अनुदेश, ग्राहकों की जानकारी का रख-रखाव, हेल्थ केयर बीमा कार्यक्रम, ईसीएस लिखितों की एक साथ पोस्टिंग कर पारित करना, डीमेट खातों से संबंधित केन्द्रीकृत जमा के जमा प्रभार, केन्द्रीय नागरिक पेंशन का केन्द्रीकृत उधार, कर्मचारी वेतन एवं पेंशन, चैंनें नगर-निगम पेंशन व वेतन और शाखाओं द्वारा स्कूल फीस के संग्रहण के लिए विभिन्न प्रोग्राम बनाए और कार्यान्वित किए गए हैं।
- उच्च प्रबंधन को कारोबार प्रबंधन जांच एवं निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कई रिपोर्ट कार्यक्रम विकसित कर पोर्ट किए गए हैं। विभिन्न विभागों से एमआईएस की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया गया है और अब 525 से भी अधिक रिपोर्ट हमें सीबीएस / इन्ट्रानेट द्वारा प्राप्त हैं।
- अभी हाल तक, सीबीएस सर्वर के साथ आरटीजीएस एवं एनईएफटी का इन्टरफेस आउटसोर्स किया गया था। वेब द्वारा संचालित होने पर भी, आरटीजीएस एवं एनईएफटी लेनदेन के लिए उपयोगकर्ताओं को अलग से लॉग-इन करना पड़ता था। इस असुविधा को रोकने और सीबीएस के साथ एक बेहतर समेकित एकीकरण के लिए, सीबीएस के एक मॉड्यूल को एक और इन्टरफेस से बढ़ा कर, आरटीजीएस एवं एनईएफटी (आवक और जावक) को एक ही सीबीएस लॉगइन से जोड़ दिया गया है। इस प्रयोक्ता-अनुकूल इन्टरफेस ने उपयोगकर्ता द्वारा एनईएफटी लेनदेन में लिए जाने वाले समय को कम कर दिया है और परिणामतः शाखाओं द्वारा जावक लेनदेन की संख्या बढ़ी है।
- एफआईएनएस- (विदेशी विनिमय सूचना प्रणाली) पैकेज, ट्रेजरी(विदेशी) के लगभग 95% कार्यकलापों को अपने घेरे में लेता है जिसमें नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, मेर्चन्ट, सौदा, आवक विप्रेषण, जमा, बहुमूल्य वस्तुएं अनुभाग शामिल हैं। ग्राहकों को ओवरसीज कैश- प्रीपेड विदेशी यात्रा कार्ड प्रदत्त है। इन्ट्रानेट पर ई-विप्रेषण उत्पाद जैसे ई-कैश होम, मनी होम भी प्रदत्त हैं।
- आन्तरिक सॉफ्टवेयर के द्वारा घरेलू ट्रेजरी परिचालन एवं जमा सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।
- डाटा वेरहाउसिंग के तहत, तुलन पत्र विश्लेषण, आसित देयता प्रबंधन एवं क्रेडिट के लिए डाटा मार्ट आन्तरिक रूप में बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के सरलीकरण के लिए मार्च 1998 से आखिरी तिमाही तक सामान्य लेडजर, लाभ-हानि, एसीएफ सारांश एवं कर्मचारी संख्या के ऐतिहासिक आंकड़े

Software development, testing and implementation:

- New Schemes under SB(GOLD, Silver, NO-Frills-bulk account opening and Liqui deposit), CD (Classic and Super, CC-Commercial Jewel loans), Gold RD and Tax Saver scheme with all features have been implemented in CBS.
- Customer Identification concept has been introduced in line with the requirement of CIBIL, AML and KYC.
- Various programmes have been developed and implemented for Letter of Guarantee, Locker Maintenance, Standing Instructions, Customer details maintenance, Health Care Insurance Program, Bulk posting and passing of ECS instruments, Centralised debit of Depository charges relating to Demat accounts, Centralised credit of Central Civil Pension, Staff Salary and Pension, Chennai Corporation Pension and Salary, and collection of school fees by the branches.
- Various report programs have been developed and ported to help the Top Management monitor business and aid decision-making. MIS requirements from various departments have been ascertained and more than 525 reports are now available through CBS applications/ Intranet .
- Till recently, the interface for RTGS & NEFT with CBS Server was an outsourced one. Though web-enabled, this interface required a separate login for the users to put through RTGS & NEFT transactions. To avoid this inconvenience and for a better seamless integration with CBS, one module in CBS has been enhanced with an interface to put RTGS & NEFT transactions (both inward & outward) from within a single CBS login. This user-friendly interface has resulted in reduction of time taken by users for handling NEFT transactions and consequently the number of outward transactions put by the branches is on the rise.
- FINS – (Foreign Exchange Information System) package nearly covers 95% of activity in Treasury (Foreign) including Nostro, Vostro, Merchant, Deal, Inward Remittance, Deposits, Precious Metal sections. Overseas Cash - Prepaid foreign Travel Card is offered to customers. E-Remittance products like E-Cash Home, Money Home are also offered on Internet platforms.
- Domestic treasury operations and Depository Services have been fully computerised through in-house software.
- Under Data Warehousing, Data Marts for Balance Sheet Analysis, Asset Liability Management and Credit have been developed in-house. Historical data of General Ledger, Profit and Loss, ACF Summary and Staff Strength data are available from March 1998 upto the latest quarter facilitating various types of analysis. In Credit data mart,



प्राप्त हैं। क्रेडिट डाटा माट में विभिन्न एमआइएस रिपोर्ट बनाने और उधारकर्तावार विवरण के आधार पर रिपोर्ट ढूँढने की भी सुविधा प्राप्त है। सीआइबीएल द्वारा ग्राहक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में अपेक्षित आंकड़ों को प्रेषित करने की भी सुविधा प्रदान की गई है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

जून 2008 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)- दिल्ली समाशोधन के तहत आ रही 85 शाखाओं में चेक ट्रंकेशन प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रोजेक्ट को जल्द ही चेन्नई में भी लागू करने जा रही है।

ई-सी (इन्टरनेट) बैंकिंग

दो फेक्टर प्रमाणीकरण द्वारा हमारे बैंक में विकसित इन्टरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर से बचत, चालू खाता और नकद उधार खातों में शेष जानने के लिए, पिछले कुछ लेन देन, खातों के विवरण, चेक संख्या द्वारा लेन देन का पता लगाना, आईओबी के साथ निधि अन्तरण एवं एनईएफटी के जरिए अन्य बैंकों के साथ निधि अन्तरण, आईओबी क्रेडिट कार्ड के बकाया का ऑनलाइन भुगतान, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर और उपादेयता बिल का भुगतान सुरक्षित रूप से करने का सेवा प्रदान करता है। कार्पोरेट ग्राहक अपने निधि अन्तरण के लिए बहु-स्तरीय प्राधिकरण प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक के वेबसाइट www.iob.in के द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग के वेबसाइट www.iobnet.co.in तक पहुँचा जा सकता है। वेबसाइट को फिल्टरिंग रूटर्स, यूनिफाइड थ्रेंट मनेजमेंट अपलायन्स, वेरिसाइन डिजिटल प्रमाण-पत्र और सेक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) द्वारा ग्राहक आंकड़ों के लिए 128 बिट एन्क्रिप्टन सुरक्षा उपलब्ध है।

आईओबी के वेबसाइट (www.iob.in) को एक नये रूप में पुनः डिजाइन किया गया है और उसे अधिक सूचनाप्रद एवं प्रयोक्ता-अनुकूल बनाया गया है। केन्द्रीय कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय में एकीकृत संचार सुविधा जैसे वीडियो कॉन्फरेन्स एवं आईपी दूरभाष कार्यान्वित किए गए। अन्तर राष्ट्रीय शाखाएं/कार्यालय एवं मोबाइल प्रयोक्ताओं को सुरक्षित सॉकेट लेयर -वीपीएन तकनीकी के तहत बैंक के नेटवर्क में लाया गया है। इससे अन्तर राष्ट्रीय शाखाओं की पहुँच बैंक के आन्तरिक अनुप्रयोग जैसे क्रिसिल-रैम रेटिंग, बैंक की इन्ट्रानेट, मेलिंग प्रणाली आदि तक होगी। एसएसएल-वीपीएन द्वारा जनित इलेक्ट्रॉनिक टोकन से अब अन्तर राष्ट्रीय शाखा अनिवासी खाता खोल पाएँगे।

मेसर्स डी एन वी ने सितंबर 2008 में आइएसओ 9001:2000 के प्रयोजन हेतु आइ टी विभाग का पुनःप्रमाणन लेखा परीक्षा किया। आइ टी विभाग को तीन साल के लिए आइएसओ 9001:2000 सहित पुनःप्रमाणन किया गया है। मोबाइल बैंकिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ले ली गयी है और विकास प्रगति पथ पर है।

परिचालनों की लागत

लागत कक्ष ने वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय वर्ष 2007-08 से संबंधित नकद प्रोत्साहन के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय कार्यालय के विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मानदण्डों का निर्धारण सफलतापूर्वक किया है। कक्ष ने बैंक के लिए समग्र रूप से लाभ बजट तैयार करना जारी रखा इस के अलावा शाखा स्तर पर आगे के प्रयोग हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बजटी माड्यूलस भेजा रहा। लागत और लाभ अंशों का आवधिक तौर पर विश्लेषण किया जा रहा है और अपूर्ण विभिन्नता को उच्च प्रबन्धन/संबंधित

package enables generation of various MIS reports and search reports based on the Borrower wise data. Facility to transmit data required by CIBIL in respect of consumer and commercial segment data is also made available.

Cheque Truncation System:

Cheque Truncation System was launched and is running successfully in 85 branches coming under National Capital Region(NCR)-Delhi Clearing from June2008. RBI is proposing to extend the project to Chennai shortly.

E-See (Internet) banking

Internet Banking software developed in-house, allows secured transactions using two factor authentication, in savings, current account and cash credit accounts for Balance Enquiry, Last few transactions, Statement of accounts, search transactions by cheque number, Funds transfer within IOB and to other banks through NEFT, Online Payment of IOB Credit Card dues, Direct & Indirect Taxes and payment of utility bills. Corporate customers can avail multi-level authorization for their funds transfer.

Internet Banking site, www.iobnet.co.in can be accessed through Bank's website www.iob.in. The website is protected by Filtering routers, Unified Threat Management Appliance, Verisign Digital Certificate and Secure Socket Layer (SSL) with 128 bit encryption for customer data.

IOB's website (www.iob.in) has been redesigned with a new look and has been made more informative and customer-friendly. Unified communication facilities like Video Conference and IP telephones were implemented at all the Regional Offices and Central Office. Overseas Branches/Offices and Mobile Users have been brought into the Bank's Network through Secured Socket Layer- VPN Technology. This will enable the Overseas Branches to access internal applications like CRISIL-RAM Rating, Bank's Intranet, Mailing Systems etc. Overseas Branches will be able to open Non-Resident Accounts directly using the Electronic tokens generated through the SSL-VPN.

M/S D.N.V has conducted a re-certification Audit of the IT Department for the purpose of ISO 9001-2000 in September 2008. IT Department has been re-certified with ISO 9001-2000 certificate for three years. RBI permission has been obtained for introducing Mobile Banking and the development is in progress.

Costing of Operations

During the year 2008-09, Costing Cell had successfully undertaken assessment of key parameters relating to branches/ROs/CO Departments as fixed by the Board for implementation of cash incentives pertaining to the financial year 2007-08. The Cell continued to formulate profit budget for the Bank as a whole apart from sending budgeting modules to all the Regional Offices for further use at branch level. Cost and yield factors are analysed periodically and abrupt variations are reported to Top Management/concerned regions



क्षेत्रों के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत संकल्प विवरण में गत कार्यनिष्पादन, वर्तमान बाजार प्रवृत्तियों तथा भावी संभावनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण मानदण्डों का विकास शामिल है।

सुरक्षा

बैंक के सभी शाखाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा उपाय सख्ती से कार्यान्वित किया गया है तथा आवधिक तौर पर समीक्षा की गयी। स्थानीय कानून व व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रख कर सुरक्षित परिवेश को सृजित करने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाये गये। बैंक ने सुरक्षा एवं आग बुझाने की व्यवस्थाओं के लिए निवारण उपायों और स्टाफ में सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण देने पर जोर देना जारी रखा।

मानव संसाधन विकास

स्टाफ संख्या

9921 अधिकारियों, 10980 लिपिकों व 4446 अधीनस्थ कर्मचारियों को मिलाकर 31 मार्च 2009 तक भारत में बैंक के स्टाफ की संख्या 25347 रही। कुल स्टाफ में से 6260 स्टाफ अनुसूचित जाति के, 1195 स्टाफ अनुसूचित जन जाति के तथा 1348 अन्य पिछड़े वर्ग की जाति के थे। बैंक के स्टाफ में 4746 महिला कर्मचारी, 1700 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, 723 भूतपूर्व सैनिक तथा 566 शारीरिक रूप से अशक्त सदस्य शामिल हैं।

बैंक ने चयनित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विभागों में कार्यरत अधिकारियों / पंचाट कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणात्मक उपायों के तौर पर कार्यनिष्पादन से जुड़े वर्ष 2007-08 के लिए नकद प्रोत्साहन योजना तहत अब तक बैंक ने रु. 9.60 करोड़ वितरित किया। लगभग 4900 स्टाफ सदस्यों ने कार्यनिष्पादन पुरस्कार प्राप्त किया।

मानव संसाधन पहल

वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक ने 200 विशिष्ट अधिकारियों (100 आई टी अधिकारी, 49 कृषि अधिकारी, 16 विधि अधिकारी, 16 वित्तीय विश्लेषक, 9 राजभाषा अधिकारी, 6 तकनीकी अधिकारी (3 सिविल इंजीनियर और 3 वास्तुविद) तथा 4 सुरक्षा अधिकारी) की भर्ती की। इसके अलावा 393 परिवीक्षाधीन अधिकारियों (कनिष्ठ प्रबन्धन -I में 387, मध्यम प्रबन्धन -II में 6) की भर्ती की गयी। विशिष्ट भर्ती अभियान के तहत 275 अनुसूचित जन जाति के लिपिकीय स्टाफ की भर्ती की गयी।

व्यावसायिक वृद्धि तथा विकास और निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होनेवालों को दृष्टि में रख कर 1250 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 1000 लिपिकीय स्टाफ सदस्यों को भर्ती करने की योजना बनाई गई है।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में आंतरिक व बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं के ज़रिए बैंकिंग के आधारभूत क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसामयिक विषयों पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जोखिम प्रबन्धन तकनीकों तथा कम्प्यूटर जागरूकता के अलावा उधार मूल्यांकन / उधार प्रबोधन व पर्यवेक्षण, अनर्जक आस्तियों का प्रबोधन और वसूली पर भी जोर दिया जाना जारी रखा गया। इसके अलावा विदेशी विनिमय, प्राथमिकता ऋण, केवाईसी/ए एम एल, बी सी एस बी आई, आस्त-देयता प्रबन्धन, उधार विपणन, एस एम ई / माइक्रो वित्त और आरटीजीएस/ एनइएफटी पर जोर देते हुए आई टी उत्पाद आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया गया। जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सदस्य लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग की पदोन्नति के लिए पात्र हैं और जो

immediately. Statement of Intent submitted to Finance Ministry involves projecting growth of key parameters based on past performance, present market trends and future potentials.

Security

Security measures were strictly implemented at all the branches and administrative offices of the Bank and were reviewed periodically, keeping in view the local law and order situation and additional steps as necessary were taken to create a safe environment. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and imparting security consciousness among staff.

Human Resources Development

Staff Strength

The Bank's staff strength in India stood at 25347 comprising 9921 Officers, 10980 Clerks and 4446 Sub-staff as of 31st March, 2009. Of the total staff strength, 6260 members belonged to SC category, 1195 to ST Category, and 1348 to OBC Category. Staff includes 4746 Women employees, 1700 employees from Religious minority community, 723 ex-servicemen and 566 physically challenged members.

As a part of Motivational Measure, Bank has disbursed so far Rs 9.60 Crores under Performance linked Cash incentive Scheme for the year 2007-08 to Officers/ Award Staff attached to select branches, Regional Offices and Departments at Central Office. Nearly 4900 staff members received Performance Incentive.

HR Initiative

During the year 2008-09, the Bank recruited 200 Specialist Officers (100 IT Officers, 49 Agricultural officers, 16 Law Officers, 16 Financial Analysts, 9 Official language officers, 6 Technical Officers (3 Civil Engineers and 3 Architects) and 4 Security officers). Besides 393 Probationary officers (387 in JMG Scale I and 6 in MMG Scale II) were also recruited. 275 Scheduled Tribe Clerical Staff were recruited under Special Recruitment Drive.

Keeping in view Business Development and Growth and also Retirement in immediate future, it is planned to recruit 1250 Probationary Officers, and 1000 Clerical Staff members.

Training

In training the focus was on contemporary issues of banking apart from basic areas through the internal and external mode. The focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring & Supervision, NPA Management & Recovery in addition to Risk Management Techniques and Computer awareness. Apart from the above, training was also given in areas such as Foreign Exchange, Priority Credit, KYC/ AML, BC/SBI, Credit Marketing, SME /Micro Finance, and IT Products with emphasis on RTGS/NEFT.

Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion from Clerical to Officer cadre and for officers from one grade to another were conducted at various Staff Training Centres.



अधिकारी एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं उनको विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

अनुपालन नीतियों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता लाने के लिए भी सत्र सम्मिलित किए गए। स्टाफ महाविद्यालय तथा स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवारक सतर्कता पर सत्र शामिल किए गए।

स्टाफ महाविद्यालय में केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय तथा आरसीसी के अधिकारियों को प्रशिक्षण, यूजर प्रशिक्षण भी दिया गया। मदुरै तथा चेन्नै में संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान जो अधिकारी सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, उन के लिए सेवानिवृत्त के पूर्व परामर्श कार्यक्रम चलाया गया।

आंतरिक

आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में स्टाफ महाविद्यालय, 9 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र तथा 1 ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। 890 कार्यक्रमों का आयोजन करके 13972 स्टाफ को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 7541 अधिकारी, 5659 लिपिक और 772 अधीनस्थ स्टाफ शामिल थे। प्रशिक्षित कुल स्टाफ में 4090 अ.जा के और 617 अ.ज. के थे।

बाहरी प्रशिक्षण व विदेश में प्रशिक्षण

बैंक ने प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 52 कार्यपालक, 247 अधिकारी तथा 3 लिपिक स्टाफ को प्रतिनियुक्त किया। इनके अलावा 3 कार्यपालकों एवं 4 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

क्षे.ग्रा.बैंक के स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण

बैंक ने नीलाचल ग्राम्य बैंक तथा पांडियन ग्राम बैंक के 629 स्टाफ सदस्यों को 31 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। कुल प्रशिक्षित स्टाफ-सदस्यों में अनुसूचित जाति के 159 तथा अनुसूचित जनजाति के 11 सदस्य थे।

संसदीय समितियों का दौरा

बैंक ने चेन्नै की निम्नांकित संसदीय समितियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम किया:

1. उद्योग पर संसदीय समिति (राज्य सभा) - जून 1-4, 2008.
2. कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय समिति (राज्य सभा) - जून 21-24, 2008.
3. उद्योग पर संसदीय समिति (राज्य सभा) - सितंबर 30 से अक्टूबर 1, 2008.
4. आकलन पर संसदीय समिति (लोक सभा) - जनवरी 30 से फरवरी 4, 2009.
5. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग - अगस्त 22, 2008.

संभावनाएँ

विश्व की आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी गति पाई गयी। लेकिन वर्ष 2009-10 के द्वितीय अर्ध वर्ष में इस प्रवृत्ति में बदलाव की प्रत्याशा की जाती है। वृद्धि प्रदान करनेवाली मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ मौजूद हैं और इससे वृद्धि को कायम रखने के लिए आवश्यक बैंकड्राप मिलना है। विश्व स्तर में मौजूद आर्थिक मंदी की स्थिति में घरेलू माँगों को ही केंद्रित किया जाए।

Session on Compliance Policies and Official Language Implementation were also included in training programmes to create awareness. Sessions on Preventive Vigilance were included in all the training programmes conducted at Staff Training College and Staff Training Centres.

Adherence to KYC/AML guidelines - user training was conducted at Staff college wherein officers from Regional office and RCC were trained. Workshop on Suspicious Transaction Reporting was also conducted at Chennai and Madurai. The Pre Retirement counseling programme for Officers was conducted for officers who are retiring during the year.

Internal

The internal training system comprises of Staff College, nine Staff Training Centres and one Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 13972 staff comprising of 7541 Officers, 5659 Clerical and 772 Sub-staff by conducting 890 programmes. Of the total staff trained 4090 belonged to SC and 617 belonged to ST.

External and Overseas Training

The Bank had deputed 52 Executives, 247 Officers and 3 clerical staff for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these 3 Executives and 4 Officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of RRB's

The Bank had trained 629 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 31 Training Programmes. Of the total staff trained 159 belonged to SC and 11 belonged to ST.

Visit of Parliamentary Committees

The Bank was the nodal agency during the visit of the following Parliamentary Committees to Chennai:

1. Parliamentary Committee on Industry (Rajya Sabha) - June 1-4, 2008.
2. Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice (Rajya Sabha) - June 21-24, 2008.
3. Parliamentary Committee on Industry (Rajya Sabha) - September 30 to October 1, 2008.
4. Parliamentary Committee on Estimates (Lok Sabha) - January 30 to February 4, 2009.
5. National Commission for Safai Karamcharis - August 22, 2008.

Prospects

Indian economy witnessed a slowdown in 2008-09 in the background of global economic and financial conditions. But it is expected to reverse this trend in the second half of 2009-10. Growth-facilitating monetary and fiscal policies are in place and this should provide the necessary backdrop for sustaining growth. Domestic demand may be the focus area in the context of recessionary trends prevailing at the global level.



वर्ष 2008-09 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेंस कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेंस मूल्यों और नैतिक व्यावसायिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में है। इससे बैंक के प्रबंधन की व्यापक अंतर्दृष्टि की जानकारी मिलती है और इसमें उसके कार्पोरेट व अन्य ढाँचे, उसकी संस्कृति, नीतियाँ व विविध हिताधिकारियों के साथ बैंक जिस तरह का व्यवहार करता है, शामिल हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति, निष्पादन, स्वामित्व एवं गवर्नेंस के बारे में समय पर एवं सही जानकारी प्रकट करना कार्पोरेट गवर्नेंस का महत्वपूर्ण भाग है। इससे बैंक के संरचनात्मक ढाँचे, कार्यकलाप एवं नीतियों के बारे में जनता की जानकारी बढ़ती है। फलस्वरूप बैंक निवेशकों को आकर्षित कर पाता है और हिताधिकारियों के विश्वास एवं धन में वृद्धि लाने के साथ-साथ उनके भरोसे को बरकरार रख पाता है।

हमें विश्वास है कि निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वस्थ कार्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है। हम अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट गवर्नेंस के उत्कृष्ट सदाचार का अनुकरण करने और पूर्ण निष्ठा के साथ अपने निष्पादन मानकों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा बोर्ड अपनी न्यासीय जिम्मेदारियों को व्यापक अर्थ में निभाता है। यह हमारा प्रयास रहा है कि हमारे सभी व्यावसायिक निर्णयों में दीर्घाधि श्रेय धारक मूल्य को बढ़ावा मिले एवं हमारे समस्त कारोबारी निर्णयों में अल्पसंख्यक-अधिकारों को ध्यान में रखा जाए।

हमारी कार्पोरेट गवर्नेंस नीतियाँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं :-

- ⇒ कानून का अक्षरशः अनुपालन हो।
- ⇒ पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स्तर बनाए रखना।
- ⇒ बैंक का आंतरिक कामकाज कैसे चलता है उसके बारे में सही जानकारी बाहर देना।
- ⇒ जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उन सभी देशों के कानून का अनुपालन करना।
- ⇒ यह समझना कि प्रबंधन जनता की निधियों का केवल न्यासी और संरक्षक है और उसका स्वामी नहीं है।

बैंक की वर्तमान कार्पोरेट दृष्टि: लाभ व वृद्धि के क्षेत्र में सबसे आगे रहकर ग्राहकों को सुरक्षित तथा नैतिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना। बैंक अपने संसाधनों व प्रबलता और रणनीतियों से इस विज़न को प्राप्त करना जारी रखेगा।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2008-09

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance is about commitment to values and ethical business conduct. It gives a broad insight into the management of the Bank including its corporate and other structures, its culture, policies and the manner in which it deals with various stakeholders. The timely and accurate disclosure of information regarding the financial situation, performance, ownership and governance of the Bank is an important part of corporate governance. This improves public understanding of the structure, activities and policies of the Bank. Consequently the Bank is able to attract investors and enhance the trust and wealth of the stakeholders besides retaining their confidence.

We believe that sound corporate governance is critical to enhance and retain investor confidence. We always seek to emulate the best practices in international corporate governance and to attain our performance standards with integrity. The Board exercises its fiduciary responsibilities in the widest sense of the term. It is also our endeavor to enhance long-term shareholder value and respect minority rights in all our business decisions.

The Bank's Corporate Governance policies are based on the following principles:

- ⇒ Satisfy the law both in letter and in spirit
- ⇒ Be transparent and maintain a high degree of disclosures levels.
- ⇒ Communicate externally in a truthful manner about how the bank is run internally
- ⇒ Comply with laws of all the countries in which the Bank operates
- ⇒ Realise that management is only the trustee and custodian of the public funds and not the owner

The Bank's existing corporate vision: to be a Leader in terms of Profit and Growth Providing Safe & Ethical Banking Services to Customers. The Bank will continue to focus its resources, strengths and strategies to achieve this vision.



2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2009 तक 12 सदस्य रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व नौ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें तीन निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त/ कार्यकाल की समाप्ति
01	श्री एस ए भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	04.06.2007	-
02	श्री जी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	07.11.2007	-
03	श्री वाई एल मदान	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	16.05.2008	---
04	डॉ शशांक सक्सेना	सरकारी नामिती निदेशक	सरकारी गैर-कार्यपालक	20.08.2007	09.06.2008 को कार्यालय त्याग दिया
05	डॉ. विनीता कुमार	सरकारी नामिती	सरकारी गैर-कार्यपालक	10.06.2008	---
06	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	भा रि बैंक के नामिती निदेशक	गैर कार्यपालक	27.02.2007	---
07	श्री एन श्रीधरन	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	20.04.2007	---
08	श्री जे डी शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09.03.2006	---
09	श्री एम रवींद्र विक्रम	सनवी लेखाकर निदेशक/ अंशकालिक	गैर सरकारी	11.10.2006	---
10	श्री सूरज खत्री	गैर सरकारी निदेशक/ अंशकालिक	गैर कार्यपालक	09.12.2005	08.12.2008 को कार्यालय त्याग दिया
11	श्री एन एम कंदस्वामी	गैर सरकारी निदेशक/ अंशकालिक	गैर कार्यपालक	07.02.2006	06.02.2009 को कार्यालय त्याग दिया
12	श्री बी वी अप्पा राव	गैर सरकारी निदेशक/ अंशकालिक	गैर कार्यपालक	29.08.2008	---
13	श्री ए के भार्गव	गैर सरकारी शेरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008*	---
14	श्री चिरंजीब सेन	गैर सरकारी शेरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008*	---
15	श्री एम एन वेंकटेशन	गैर सरकारी शेरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2005	07.12.2008 को कार्यालय त्याग दिया
16	श्री ए वेल्लयन	गैर सरकारी शेरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008**	---

* दिनांक 25.11.2008 को संपन्न ईजीएम में शेरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 08.12.2008 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार संभालने के लिए पुनः निर्वाचित।

** दिनांक 25.11.2008 को संपन्न ईजीएम में शेरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 08.12.2008 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार संभालने के लिए चुने गए।

बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध में दिया गया है।

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2009 is twelve directors comprising three whole time Directors and nine non-executive Directors, which includes three directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2008-2009:

Sl No	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri S A Bhat	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	04.06.2007	---
02	Shri G Narayanan	Executive Director	Executive / Whole Time	07.11.2007	---
03	Shri Y L Madan	Executive Director	Executive / Whole Time	16.05.2008	---
04	Dr. Shashank Saksena	Govt.Nominee Director	Official - Non Executive	20.08.2007	09.06.2008 - demitted office
05	Dr. Vinita Kumar	Govt. Nominee Director	Official - Non Executive	10.06.2008	---
06	Smt. Chitra Chandramouliswaran	RBI Nominee Director	Non Executive	27.02.2007	---
07	Shri N Sridaran	Workmen Employee Director	Non Executive	20.04.2007	---
08	Shri J D Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	09.03.2006	---
09	Shri M. Ravindra Vikram	Chartered Accountant Director / Part-time Non-Official	Non Executive	11.10.2006	---
10	Shri Sooraj Khatri	Director / Part-time Non-Official	Non Executive	09.12.2005	08.12.2008 - demitted office
11	Shri M.N. Kandaswamy	Director/ Part-time Non - Official	Non Executive	07.02.2006	06.02.2009 - demitted office
12	Shri B V Appa Rao	Director/ Part-time Non-Official	Non Executive	29.08.2008	---
13	Shri A.K. Bhargava	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008*	---
14	Dr. Chiranjib Sen	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008*	---
15	Shri M.N. Venkatesan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2005	07.12.2008 - demitted office
16	Shri A Vellayan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008**	---

* Re-elected as Shareholder Directors at the EGM held on 25.11.2008 to hold office with effect from 08.12.2008 for a further period of three years

** Elected as Shareholder Director at the EGM held on 25.11.2008 to hold office with effect from 08.12.2008 for a period of three years

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.



यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं या बैंक के किसी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और सभी महा प्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री के सुंदर राजन, उप महा प्रबंधक अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव हैं और डॉ गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार वे बोर्ड के भी सचिव हैं ।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची की सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें। समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें हर तिमाही में कम-से-कम एक के हिसाब से वर्ष में छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में 14 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को 14 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
01	28.04.2008	चेन्नै
02	30.05.2008	चेन्नै
03	13.06.2008	चेन्नै
04	16.06.2008	कोयम्बतूर
05	30.06.2008	चेन्नै
06	28.07.2008	चेन्नै
07	26.08.2008	चेन्नै
08	30.09.2008	चेन्नै
09	30.10.2008	दिल्ली
10	26.11.2008	चेन्नै
11	29.12.2008	चेन्नै
12	30.01.2009	चेन्नै
13	21.02.2009	अमृतसर
14	28.03.2009	चेन्नै

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों / दिनांक 14.06.2008 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

It is declared that none of the directors are related to each other or related to any of the employees of the bank.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager, a qualified Company Secretary, attached to Board Services Department, is also the Secretary to the Board, in accordance with the recommendations of the Dr. Ganguly Committee.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

- During the financial year 2008-09, the Board meetings were held 14 times on the following dates and places :

SL NO	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	28 04 2008	Chennai
02	30 05 2008	Chennai
03	13 06 2008	Chennai
04	16 06 2008	Coimbatore
05	30 06 2008	Chennai
06	28 07 2008	Chennai
07	26 08 2008	Chennai
08	30 09 2008	Chennai
09	30 10 2008	Delhi
10	26 11 2008	Chennai
11	29 12 2008	Chennai
12	30 01 2009	Chennai
13	21 02 2009	Amritsar
14	28 03 2009	Chennai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 14.06.2008 are furnished below:



क्र.सं.	निदेशकों के नाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
01	श्री एस. ए. भट, अ व प्र नि	14/14	हाँ
02	श्री जी. नारायणन	14/14	हाँ
03	श्री वाई. एल. मदान	13/13	हाँ
04	डॉ. शशांक सक्सेना	01/02	एजीएम की तारीख के पहले कार्यालय को त्याग दिया
05	डॉ. विनीता कुमार	08/12	नहीं
06	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	14/14	हाँ
07	श्री एन. श्रीधरन	13/14	हाँ
08	श्री जे. डी. शर्मा	14/14	हाँ
09	श्री एम. रवींद्र विक्रम	11/14	हाँ
10	श्री सूरज खत्री	09/10	हाँ
11	श्री एम. एन. कंदस्वामी	10/12	नहीं
12	श्री बी. वी. अप्पा राव	07/07	एजीएम तारीख के बाद नियुक्त
13	श्री ए. के. भार्गव	14/14	हाँ
14	डॉ. चिरंजीव सेन	11/14	हाँ
15	श्री एम. एन. वेंकटेशन	10/10	हाँ
16	श्री ए. वेल्लयन	02/04	एजीएम तारीख के बाद नियुक्त

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य या अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों को छोड़कर) जिनमें वे सदस्य / मंडल के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं (आई ओ बी को छोड़कर)
श्री एम रवींद्र विक्रम	04- सदस्य	06 - सदस्य
श्री ए के भार्गव	03 - सदस्य	01- अध्यक्ष 05 - सदस्य
श्री ए वेल्लयन	03 - अध्यक्ष 05 - सदस्य	05 - सदस्य

ङ. समितियों में सदस्यता

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं है या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

3. मंडल की समितियाँ

निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended	Attendance in the last AGM
01	Shri. S A Bhat, CMD	14/14	Yes
02	Shri G Narayanan	14/14	Yes
03	Shri Y L Madan	13/13	Yes
04	Dr. Shashank Saksena	1/2	Demitted office before the date of AGM
05	Dr. Vinita Kumar	08/12	No
06	Smt. Chitra Chandramouliswaran	14/14	Yes
07	Shri N Sridaran	13/14	Yes
08	Shri J D Sharma	14/14	Yes
09	Shri M. Ravindra Vikram	11/14	Yes
10	Shri Sooraj Khatri	09/10	Yes
11	Shri M N Kandaswamy	10/12	No
12	Shri B V Appa Rao	07/07	Appointed after the date of AGM
13	Shri A K Bhargava	14/14	Yes
14	Dr. Chiranjib Sen	11/14	Yes
15	Shri M.N. Venkatesan	10/10	Yes
16	Shri A Vellayan	02/04	Appointed after the date of AGM

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member/Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies) in which he /she is a member/Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which he /she is a member of the Board
Shri M. Ravindra Vikram	04 - Member	06 - Member
Shri A.K. Bhargava	03 - Member	01- Chairman 05 - Member
Shri A. Vellayan	03 - Chairman 05 - Member	05 - Member

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/ membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation and the minutes thus approved, are placed before the Board Meeting for their information.



• 3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी)

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य हैं :

- क. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)।
- ख. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव।
- ग. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव।
- घ. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित।
- च. वाद/अपील दायर करना, उनपर प्रतिवाद करना इत्यादि।
- छ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना।
- ज. दान।
- झ. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो।

मद (क) से (ज), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में हैं।

समिति वर्ष के दौरान 21 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्र सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं
01	श्री एस ए भट्ट, अ व प्र नि अध्यक्ष		04.06.2007	21/21
02	श्री जी नारायणन	सदस्य	07.11.2007	21/21
03	श्री वाई.एल.मदान	सदस्य	16.05.2008	18/19
04	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	12.07.2007	20/21
05	श्री एम रवीन्द्र विक्रम	सदस्य	11.10.2006	14/21
06	डॉ चिरंजीब सेन	सदस्य	01.12.2007 08.12.2008	31.05.2008 08/10
07	श्री एन श्रीधरन	सदस्य	08.12.2007 22.03.2009	07.06.2008 04/04
08	श्री जे डी शर्मा	सदस्य	22.09.2008	21.03.2009 10/10
09	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08.06.2008	07.12.2008 10/11
10	श्री एम एन कंदस्वामी	सदस्य	22.03.2008	21.09.2008 10/10
11	श्री ए के भार्गव	सदस्य	01.12.2008	07/07
12	श्री एम एन वेंकटेशन	सदस्य	01.06.2008	30.11.2008 11/11

• 3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under :

- a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded)
- b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals
- c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure
- d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.
- e. Filing of suits / appeals, defending them etc.
- f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.
- g. Donations
- h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD.

The committee met 21 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01-04-2008 to 31-03-2009 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
01.	Shri S.A. Bhat, CMD	Chairman	04.06.2007	21/21
02.	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007	21/21
03.	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008	18/19
04.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	12.07.2007	20/21
05.	Shri M. Ravindra Vikram	Member	11.10.2006	14/21
06.	Dr. Chiranjib Sen	Member	01.12.2007 08.12.2008	31.05.2008 08/10
07.	Shri N. Sridaran	Member	08.12.2007 22.03.2009	07.06.2008 4/4
08.	Shri J.D. Sharma	Member	22.09.2008	21.03.2009 10/10
09.	Shri Sooraj Khatri	Member	08.06.2008	07.12.2008 10/11
10.	Shri M.N. Kandaswamy	Member	22.03.2008	21.09.2008 10/10
11.	Shri A.K. Bhargava	Member	01.12.2008	07/07
12.	Shri M.N. Venkatesan	Member	01.06.2008	30.11.2008 11/11



3.2 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छः सदस्य हैं- कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार है और भारत सरकार परिपत्र दिनांक 18.02.2008 की शर्तों के अनुसार बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के तहत नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हेतु सूचितानुसार एक गैर सरकारी सनदी लेखाकार है।

तदनुसार, बोर्ड द्वारा दिनांक 01.12.2007 को श्री एम रवींद्र विक्रम को अधिनियम के खण्ड 9(3) (जी) के तहत सनदी लेखाकार के प्रवर्ग के तहत गैर सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल कर हमारे बैंक की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और दिनांक 08.12.2007 से उन्हें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- ⇒ मंडल की लेखा परीक्षा समिति को बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करनी है और मार्गदर्शन देना है। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना
- ⇒ बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षण के कार्यकलापों - प्रणाली, उसकी गुणवत्ता और अनुवर्तन के संदर्भ में प्रभावोत्पादकता, व साथ ही विशिष्ट तथा बहुत बड़ी शाखाओं और सभी असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में समीक्षा करना।
- ⇒ कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना
- ⇒ सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक लेखों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना
- ⇒ भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों /चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना

3.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of ED, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a Chartered Accountant and non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

Accordingly, the Audit Committee of our Bank was reconstituted by the Board on 01.12.2007 by including Shri M Ravindra Vikram, the non official director nominated under Chartered Accountant category under clause 9(3)(g) of the Act as a member and also as the Chairman of the Audit Committee with effect from 08.12.2007.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- ⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.
- ⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- ⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas
- ⇒ To review and follow up on the report of the statutory audits, and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- ⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.



यह समिति निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देती है :

- ⇒ अन्तर - शाखा समंजन खाते
- ⇒ अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ
- ⇒ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन
- ⇒ धोखाधडियों एवं आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य सौंपे गए :

- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
- जरूरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं।
- लेखाकरण नीतियों व व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों तथा लेखाकरण मानकों के अनुपालन व वित्तीय विवरणों से जुड़ी विधिक अपेक्षाओं की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ करना।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहात्मक मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद चर्चा करना।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

This committee specially focuses on the follow-up of:

- ⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts
- ⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts
- ⇒ Arrears in balancing of books at various branches
- ⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.



वर्ष के दौरान समिति 12 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

क्र सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		भाग ली गई बैठकों की सं.
			से	तक	
1	श्री एम. रवींद्र विक्रम	अध्यक्ष	08.12.2007		11/12
2	श्री जी नारायणन	सदस्य	07.11.2007		12/12
3	श्री वाई एल मदान	सदस्य	16.05.2008		10/10
4	डॉ शशांक सक्सेना	सदस्य	20.08.2007	09.06.2008	02/02
5	डॉ. विनीता कुमार	सदस्य	10.06.2008		06/10
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	27.02.2007		12/12
7	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08.12.2007	08.12.2008	08/09
8	श्री ए. वेल्लयन	सदस्य	09.12.2008		02/03

● 3.3 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 1.4.2008 से 31.3.2009 के बीच 8 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि		भाग ली गई बैठकों की सं.
		से	तक	
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		07/08
2	श्री जी. नारायणन	01.12.2007		08/08
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008		07/07
4	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		8/8
5	श्री एम.एन. वेंकटेशन	08.12.2005	07.12.2008	7/7
6	श्री बी. वी. अप्पा राव	08.12.2008		1/1

● 3.4 बड़ी मूल्यवाली धोखाधड़ियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान तीन बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या

The committee met 12 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01 04 2008 to 31 03 2009 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings attended
			From	To	
1.	Shri M. Ravindra Vikram	Chairman	08.12.2007		11 /12
2	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007		12/12
3	Shri Y L Madan	Member	16.05.2008		10/10
4	Dr. Shashank Saksena	Member	20.08.2007	09.06.2008	2/2
5.	Dr. Vinita Kumar	Member	10.06.2008		6/10
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	27.02.2007		12/12
7.	Shri Sooraj Khatri	Member	08.12.2007	08.12.2008	8/9
8.	Shri A Vellayan	Member	09.12.2008		2/3

● 3.3 Risk Management Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 8 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership		Number of Meetings attended
		From	To	
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		7 / 8
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007		8 / 8
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008		7/7
4.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		8 / 8
5.	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005	07.12.2008	7 / 7
6.	Shri B V Appa Rao	08.12.2008		1/1

● 3.4 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 3 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:



क्र.सं	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007	3/3
2	श्री जी. नारायणन	30.05.2008	3/3
3	श्री वाई.एल.मदान	16.05.2008	3/3
4	डॉ. शशांक सक्सेना	20.08.2007 09.06.2008	0/1
5	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008	2/2
6	श्री. ए.के. भार्गव	24.02.2006	3/3
7	श्री एम. रवींद्र विक्रम	02.01.2008	1/3

● 3.5 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान समिति चार बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्र.सं	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007	4/4
2	श्री जी. नारायणन	02.01.2008	4/4
3	श्री वाई. एल. मदान	16.05.2008	4/4
4	डॉ. शशांक सक्सेना	20.08.2007 09.06.2008	0/1
5	डॉ. विनीता कुमार	10.06.2008	3/3
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007	4/4
7	श्री एन. श्रीधरन	20.04.2007	4/4
8	श्री जे. डी. शर्मा	09.03.2006	4/4
9	श्री एम. एन. वेंकटरशन	08.12.2005 07.12.2008	3/3
10	श्री बी. वी. अप्पा राव	30.01.2009	1/1

● 3.6 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान समिति चार बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्र.सं	निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007	4/4
2	श्री जी. नारायणन	01.12.2007	4/4
3	श्री वाई. एल. मदान	16.05.2008	4/4
4	डॉ. विनीता कुमार	10.06.2008	3/3
5	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007	4/4

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A . Bhat	04.06.2007	3 / 3
2.	Shri G. Narayanan	30.05.2008	3 / 3
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008	3/ 3
4.	Dr. Shashank Saksena	20.08.2007 09.06.2008	0 / 1
5.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008	2/ 2
6.	Shri A.K. Bhargava	24.02.2006	3 / 3
7.	Shri M. Ravindra Vikram	02.01.2008	1 / 3

● 3.5 Customer Service Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007	4 / 4
2.	Shri G. Narayanan	02.01.2008	4 / 4
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008	4/ 4
4.	Dr. Shashank Saksena	20.08.2007 09.06.2008	0 / 1
5.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008	3/ 3
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007	4 / 4
7.	Shri N. Sridaran	20.04.2007	4 / 4
8.	Shri J.D. Sharma	09.03.2006	4 / 4
9.	Shri M.N. Venkatesan	08.12.2005 07.12.2008	3 / 3
10.	Shri B V Appa Rao	30.01.2009	1/ 1

● 3.6 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007	4 / 4
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007	4 / 4
3.	Shri Y L Madan	16.05.2008	4/ 4
4.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008	3/ 4
5.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007	4 / 4



● 3.7 संपर्ककर्ता खातों की स्थापना के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के दौरान समिति दो बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या

क्र.सं निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1 श्री एस. ए. भट	04.06.2007	2/2
2 श्री जी. नारायणन	01.12.2007	2/2
3 श्री वाई. एल. मदान	30.05.2008	2/2
4 श्री सूरज खत्री	26.05.2006 08.12.2008	2/2
5 श्री ए. के. भार्गव	26.05.2006	2/2

● 3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-1, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति पारिश्रमिक समिति गठित की गई है।

समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1. श्री एम.रवीन्द्र विक्रम - अध्यक्ष
2. डॉ. शशांक सक्सेना (09.06.2008 तक)
3. डॉ. विनीता कुमार (10.06.2008 से प्रभावी)
4. श्रीमती. चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन

समिति दिनांक 14.05.2008 को एक बार मिली और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

● 3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 11 2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 (उपक्रमों के अर्जन तथा अंतरण) में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय 'योग्य तथा उचित' हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मानदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) -दोनों वर्तमान तथा भविष्य पर भी लागू किया जाए।

● 3.7 Committee For Establishment Of Correspondent Accounts:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 2 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
1.	Shri S A Bhat	04.06.2007	2 / 2
2.	Shri G. Narayanan	01.12.2007	2 / 2
3.	Shri Y L Madan	30.05.2008	2 / 2
4.	Shri Sooraj Khatri	26.05.2006 08.12.2008	2 / 2
5.	Shri A.K. Bhargava	26.05.2006	2 / 2

● 3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee are :-

1. Shri M Ravindra Vikram – Chairman
2. Dr. Shashank Saksena (upto 09.06.2008)
3. Dr. Vinita Kumar (w.e.f. 10.06.2008)
4. Smt. Chitra Chandramouliswaran

The Committee met once on 14.05.2008 and all members of the Committee have attended the meeting.

● 3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01 11 2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/ procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.



तदनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 23.02.2008 को एक उप-समिति गठित की है जिसका नाम “नामांकन समिति” है जिसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं:-

1. श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन - अध्यक्ष
2. डॉ. शशांक सक्सेना
3. श्री एम. रवींद्र विक्रम
4. श्री एम.एन.कंदस्वामी

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या

क्र.सं निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1. श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	23.02.2008		1/1
2. डॉ. शशांक सक्सेना	23.02.2008	09.06.2008	-
3. डॉ. विनीता कुमार	10.06.2008		0/1
4. श्री एम रवीन्द्र विक्रम	23.02.2008		1/1
5. श्री एम एन कंदस्वामी	23.02.2008	06.02.2009	1/1

दिनांक 25.11.2008 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए नामांकन दिए हुए उम्मीदवारों की “योग्य व उचित” हैसियत का निर्धारण करने हेतु तत्परता प्रक्रिया अपनाते हेतु दिनांक 12.11.2008 को समिति एक बार मिली।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

क. शेयरधारक शिकायत समिति

दिनांक 25.11.2008 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारक निदेशक के चुनाव के बाद अप्रैल 2001 में गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 29.12.2008 को किया।

अब समिति के अध्यक्ष श्री ए.वेल्लयन हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं। 01.04.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के हर सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र.सं निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1. श्री एम.एन.वेंकटेशन	08.12.2005	07.12.2008	3/3
2. श्री ए.वेल्लयन	29.12.2008		1/1
3. श्री जी.नारायणन	01.04.2008		4/4
4. श्री वाई.एल.मदान*	29.05.2008		-
5. डॉ.चिरंजीव सेन	23.04.2007		2/4

* श्री जी. नारायणन, कार्यपालक निदेशक के बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर बैठक में भाग लेने के लिए शेयर अंतरण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

Accordingly the Bank's Board had constituted a sub-Committee, titled "Nomination Committee" on 23.02.2008 with the following Directors as members :

1. Smt Chitra Chandramouliswaran - Chairperson
2. Dr. Shashank Saksena
3. Shri M. Ravindra Vikram
4. Shri M.N. Kandaswamy

Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Smt Chitra Chandramouliswaran	23.02.2008		1/1
2.	Dr. Shashank Saksena	23.02.2008	09.06.2008	-
3.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008		0/1
4.	Shri M. Ravindra Vikram	23.02.2008		1/1
5.	Shri M.N. Kandaswamy	23.02.2008	06.02.2009	1/1

The Committee met once on 12.11.2008 to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the candidates who filed their nominations for election of shareholder directors at the EGM held on 25.11.2008.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

a. Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was reconstituted by the Board during the year under review on 29.12.2008, consequent to the election of Shareholder Directors at the EGM held on 25.11.2008.

At present, the Chairman of the Committee is Shri A Vellayan and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2008 to 31.03.2009. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005	07.12.2008	3 / 3
2.	Shri A.Vellayan	29.12.2008		1 / 1
3.	Shri G Narayanan	01.04.2008		4/4
4.	Shri Y L Madan*	29.05.2008		-
5.	Dr. Chiranjib Sen	23.04.2007		2/4

* Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee in the absence or inability of Shri G Narayanan, ED to attend meetings.



शेयरधारक शिकायत व निवारण प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का सामयिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

ख. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक होते हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयरों को जारी करना, ट्रांसपोजिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 24 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र.सं निदेशकों के नाम	सदस्यता की अवधि से तक	भाग ली गई बैठकों की सं.
1. श्री जी. नारायणन	01.04.2008	22/22
2. श्री वाई.एल.मदान*	29.05.2008	2/2
3. श्री एम.एन.वेंकटेशन	08.12.2005 07.12.2008	17/17
4. श्री ए.वेल्लयन	29.12.2008	7/7
5. श्री जे.डी.शर्मा	09.03.2006	24/24

* अ. व. प्र. नि. या श्री जी. नारायणन, कार्यपालक निदेशक के बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ रहते समय शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डूप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखा-परीक्षा करने के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्री वी. सुरेश को नियुक्त किया। उनका कार्य 1.1.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया। अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

ग. अनुपालन अधिकारी

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 47 के अनुसार श्री के. सुन्दर राजन, उप महा प्रबंधक तथा कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से अनुपालन अधिकारी हैं।

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practising Company Secretary, Shri V Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

b. Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc., The committee met 24 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From To	Number of Meetings attended
1	Shri G Narayanan	01.04.2008	22 / 22
2	Shri Y L Madan *	29.05.2008	2 / 2
3	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005 07.12.2008	17 / 17
4	Shri A Vellayan	29.12.2008	7 / 7
5	Shri J. D. Sharma	09.03.2006	24 / 24

* Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of CMD or Shri G Narayanan, ED to attend meetings.

The Share Transfer Committee appointed a Practising Company Secretary, Shri V Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01 01 2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

c. Compliance Officer :

In terms of clause 47 of the listing agreement, Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.



घ. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा विचाराधीन शिकायतों की संख्या :

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	01.04.2008 तक लंबित शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2009 तक लंबित की संख्या
1.	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	53	53	शून्य
2.	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	770	770	शून्य
3.	सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम को शिकायतें	02	22	23	01
4.	विविध (पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायत)	शून्य	44	44	शून्य
	कुल	02	889	890	01

डू सूचीबद्ध करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि अनन्य ई-मेल आइ डी investorcomp@jobnet.co.in आबंटित की गई है और हमारे उप महा प्रबंधक और कम्पनी सचिव श्री के सुन्दर राजन को, निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है। हमने यह ई-मेल आइ डी और अन्य संबंधित ब्योरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं।

5. अन्य समितियाँ

विभिन्न अन्य समितियाँ जैसी आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश पुनरीक्षण समिति, उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं, जो कि दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा, निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित की गयी हैं।

6. सामान्य सभा की बैठकें

क. स्थान व समय जहाँ पिछली तीन बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	6वीं एजीएम	16.06.2006 शुक्रवार सुबह 10.15 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006
02	7वीं एजीएम	12.06.2007 मंगलवार सुबह 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
03	8वीं एजीएम	14.06.2008 शनिवार सुबह 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

d. Shareholders Complaints :

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

SL No.	NATURE OF COMPLAINT	PENDING AS ON 01.04.2008	RECEIVED	REDRESSED	PENDING AS ON 31.03.2009
01	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	53	53	Nil
02	Non receipt of Dividend	Nil	770	770	Nil
03	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum	02	22	23	01
04	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	44	44	Nil
	Total	02	889	890	01

e. In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - investorcomp@jobnet.co.in has been allotted and our Deputy General Manager and Company Secretary Shri K Sundar Rajan, is also the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
01	6 th AGM	16 06 2006 Friday 10.15 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
02	7 th AGM	12 06 2007 Tuesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
03	8 th AGM	14 06 2008 Saturday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018



ख. पिछली तीन ए जी एम की बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए।

ग. किसी प्रकार का डाकीय मतदान नहीं था।

घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं:

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	पहली ईजीएम	07.12.2002 शनिवार सुबह 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006
02	दूसरी ईजीएम	30.11.2005 बुधवार सुबह 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006-
03	तीसरी ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार सुबह 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै-600 018

7. प्रकटीकरण

क. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अर्धवार्षिक तौर पर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् पूर्णकालिक निदेशकों के पार्टि संबंधी लेनदेनों के प्रकटीकरणों की समीक्षा की जा रही है।

ख. बैंक के निदेशकों, प्रबन्धन, उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ ऐसे कोई बैंक के महत्वपूर्ण पार्टि लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग. स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2009 तक समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर दण्ड या कटु आलोचना नहीं की गई है।

घ. फिलहाल बैंक में चेतावनी नीति (व्हीसिल ब्लोयर पालिसी) नहीं है। फिर भी लेखा परीक्षा समिति से मिलने से किसी को रोका नहीं गया है।

च. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

छ. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए गए अनुसार अपनाया गया है।

ज. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

b. No special resolutions were put through in the last three AGMs

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
01	1 st EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
02	2 nd EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
03	3 rd EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

7. DISCLOSURES:

a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel ie. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

b. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

c. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI / any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31 03 2009.

d. Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

e. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

f. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

g. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.



झ. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2008-09 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के तिमाही अपरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक सभी शेयर धारकों को तिमाही परिणाम भेजता आ रहा है।

ख. सूचीबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2008	बिजनेज स्टैंडर्ड	दिनमलर(तमिल)	29.04.2008
30.06.2008	बिजनेज स्टैंडर्ड	दिनमलर(तमिल)	29.07.2008
30.09.2008	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमलर(तमिल)	31.10.2008
31.12.2008	द फइनान्शियल एक्सप्रेस	दिनकरन(तमिल)	31.01.2009

ग. तिमाही परिणाम बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएम: तारीख, समय और स्थान

दिनांक	04.07.2009
समय	सुबह 11.00 बजे
स्थान	नारद गान सभा(सद्गुरु ज्ञानानंद हॉल) 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

ख. वित्तीय वर्ष

1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009

ग. बही बंद करने की तारीख

23.05.2009 से 29.05.2009(दोनों दिन शामिल हैं) लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए

घ. लाभांश भुगतान तारीख

14.07.2009 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा के अधीन

h. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the statutory central auditors on corporate governance in the Bank for the year 2008-09 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly results to all the shareholders.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2008	Business Standard	Dinamalar (Tamil)	29 04 2008
30.06.2008	Business Standard	Dinamalar (Tamil)	29 07 2008
30.09.2008	The Hindu - Business Line	Dinamalar (Tamil)	31 10 2008
31.12.2008	The Financial Express	Dinakaran (Tamil)	31 01 2009

c. The quarterly results are also being displayed on the Bank's web-site www.iob.in

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a. AGM: Date, Time and Venue:

Date	04.07.2009
Time	11.00 A.M.
Venue	Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018

b. Financial Year:

01st April 2008 to 31st March 2009

c. Date of Book Closure:

23.05.2009 to 29.05.2009 (Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d. Dividend Payment Date:

On or after 14.07.2009 subject to declaration of dividend by shareholders.



ड. अदत्त लाभांश

16 10 2006 से प्रभावी बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों के अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 बी नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- ⇒ घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाता में पड़ी है, उसे “.....वर्ष के लिए आइ ओ बी का अदत्त लाभांश खाता” नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।
- ⇒ अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, उसे कंपनीज अधिनियम 1956 के 205 सी के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खाता/खातों को अंतरित कर दिया गया है और अतः इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावित हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04(आइ)	04.12.2006
2003-04(एफ)	04.12.2006
2004-05(आइ)	09.12.2006
2004-05(एफ)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008

e. Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16 10 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

- ⇒ Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed /claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled “Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____”
- ⇒ Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205 C of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund :

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (I)	04.12.2006
2003-04 (F)	04.12.2006
2004-05 (I)	09.12.2006
2004-05 (F)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008



च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि. **	आइओबी
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	आइओबी ईक्यू आई बीई बीटी

** दिनांक 14 जून 2008 को आयोजित 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने बैंक के शेयरों को मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सूचीबद्धता से हटा लेने के संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया। तदनुसार बैंक शेयरों को हटा देने के लिए एमएसई को आवेदन दिया गया है और वे उसका संसाधन कर रहे हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2008-09 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

छ. बाजार मूल्यों के आँकड़े

माह-अवधि	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		मुंबई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)
अप्रैल 2008	152.50	119.30	153.00	120.10
मई 2008	156.40	115.35	156.80	115.20
जून 2008	120.50	78.70	121.00	78.20
जुलाई 2008	103.80	69.80	99.00	69.70
अगस्त 2008	103.00	81.50	103.45	81.00
सितम्बर 2008	115.00	80.00	118.00	84.60
अक्तूबर 2008	100.00	66.05	100.00	67.00
नवम्बर 2008	87.80	60.15	88.70	60.30
दिसम्बर 2008	80.00	62.00	76.90	61.85
जनवरी 2009	79.50	60.00	84.15	59.50
फरवरी 2009	61.25	44.80	61.50	44.90
मार्च 2009	49.85	36.50	49.80	37.55

2008-09 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयरों को उच्च / निम्न कीमतों के आँकड़े स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं।

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Madras Stock Exchange Ltd.**	I O B
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

** The shareholders of our Bank at the 8th Annual General Meeting held on 14th June, 2008 had unanimously passed a resolution approving the delisting of the Bank's shares from Madras Stock Exchange Limited. An application for delisting of the Bank's shares has accordingly been submitted to MSE and the same is being processed by MSE.

Annual listing fee for the year 2008-09 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

g. Market price data:


Period - Month	National Stock Exchange		Bombay Stock Exchange	
	High (Rs)	Low (Rs)	High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2008	152.50	119.30	153.00	120.10
May 2008	156.40	115.35	156.80	115.20
Jun 2008	120.50	78.70	121.00	78.20
Jul 2008	103.80	69.80	99.00	69.70
Aug 2008	103.00	81.50	103.45	81.00
Sep 2008	115.00	80.00	118.00	84.60
Oct 2008	100.00	66.05	100.00	67.00
Nov 2008	87.80	60.15	88.70	60.30
Dec 2008	80.00	62.00	76.90	61.85
Jan 2009	79.50	60.00	84.15	59.50
Feb 2009	61.25	44.80	61.50	44.90
Mar 2009	49.85	36.50	49.80	37.55

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2008-09 on the respective Stock Exchanges.




छ. 01-04-2008 से 31-03-2009 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

h. Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2008 to 31.03.2009



01-04-2008 से 31-03-2009 के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2008 to 31.03.2009





झ. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेज लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंजिल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
दूरभाष - 044-28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ज. शेयर अंतरण प्रणाली

अंतरण, ट्रान्समिशन, टॉन्सपोजिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाजिरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (श्री ए वेल्लयन) और बोर्ड द्वारा नामित निदेशक (श्री जे.डी. शर्मा) समिति के अन्य सदस्य हैं।

ट. 31.03.2009 तक शेयरधारण का वितरण

क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक का धारण			
01.	भारत सरकार	333600000	61.23
उप योग		333600000	61.23
गैर-प्रवर्तक का धारण			
02.	संस्थागत निवेशक		
	क. म्यूचुअल फण्ड्स एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	24401152	4.48
	ख. बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	21980171	4.04
	ग. बीमा कंपनियाँ	36956508	6.78
	घ. विदेशी संस्थागत निवेशक	42710024	7.84
उप योग		126047855	23.14
03.	अन्य		
	क. निजी नैगम निकाय	9009392	1.65
	ख. वैयक्तिक	71191502	13.07
	ग. अन्य	4951251	0.91
उप योग		85152145	15.63
कुल योग		544800000	100.00

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Shri A Vellayan) and a Director nominated by the Board (Shri J D Sharma).

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2009:

Sl. No	Category	No. of Shares	% of share holding
PROMOTERS HOLDING			
01	Government of India	333600000	61.23
Sub-Total		333600000	61.23
NON-PROMOTERS HOLDING			
02	Institutional Investors		
	A Mutual funds and UTI	24401152	4.48
	B Banks, Financial Institutions	21980171	4.04
	C Insurance Companies	36956508	6.78
	D Foreign Institutional Investors	42710024	7.84
Sub-Total		126047855	23.14
03	OTHERS		
	A Private Corporate Bodies	9009392	1.65
	B Individuals	71191502	13.07
	C Others	4951251	0.91
Sub-total		85152145	15.63
GRAND TOTAL		544800000	100.00



ठ. 31.03.2009 तक वितरण अनुसूची

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं. का %	प्रत्येक रु.10 के नाममात्र मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयर मूल्य (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
194031	86.97	5000 तक	354130660	6.50
20697	9.28	5001 - 10000	174381590	3.20
5574	2.50	10001 - 20000	78978840	1.45
1032	0.46	20001 - 30000	25659690	0.47
502	0.23	30001 - 40000	18009690	0.33
275	0.12	40001 - 50000	12945430	0.24
449	0.20	50001 - 100000	32753220	0.60
546	0.24	100001 - से अधिक	4751140880	87.21
223106	100.00	योग	5448000000	100.00

ड. 31.03.2009 तक विदेशी शेयर धारण

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2008 तक		31 03 2009 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	99623786	18.29	42710024	7.84
02	ओ सी बी	50150	0.01	48000	0.01
03	अनिवासी भारतीय	3600091	0.66	3645120	0.67
	कुल	103274027	18.96	46403144	8.52

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2009 तक कुल विदेशी शेयरधारण (अनिवासी भारतीय, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 8.52% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

द. 31 03 2009 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
01	महामहिम भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	333600000	61.23
02	भारतीय जीवन बीमा निगम	33103496	6.08
03	सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मारिशियस प्राइवेट लिमिटेड	9071197	1.67
04	भारतीय जीवन बीमा निगम - मार्केट प्लस	8644818	1.59
05	भारतीय जीवन बीमा निगम - प्रॉफिट प्लस	6515555	1.20

ण. शेयर प्रमाण-पत्रों का अमूर्तिकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति

I. Distribution schedule as on 31.03.2009

No. of share holders	% to total of share holders	Share terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
194031	86.97	Upto 5000	354130660	6.50
20697	9.28	5001 - 10000	174381590	3.20
5574	2.50	10001 - 20000	78978840	1.45
1032	0.46	20001 - 30000	25659690	0.47
502	0.23	30001 - 40000	18009690	0.33
275	0.12	40001 - 50000	12945430	0.24
449	0.20	50001 - 100000	32753220	0.60
546	0.24	100001 and above	4751140880	87.21
223106	100.00	TOTAL	5448000000	100.00

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2009

Sl No	Category	As on 31 03 2008		As on 31 03 2009	
		No of shares	% To total capital	No of shares	% To total capital
01	Foreign Institutional Investors (FIIs)	99623786	18.29	42710024	7.84
02	OCBs	50150	0.01	48000	0.01
03	NRIs	3600091	0.66	3645120	0.67
	Total	103274027	18.96	46403144	8.52

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2009 was 8.52% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2009:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
01	HE The President of India - The Government of India	333600000	61.23
02	Life Insurance Corporation of India	33103496	6.08
03	Citigroup Global Markets Mauritius Private Limited	9071197	1.67
04	LIC of India - Market Plus	8644818	1.59
05	Life Insurance Corporation of India - Profitplus	6515555	1.20

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities



डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल हैं। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है - आइएनई 565ए 01014 .

31.03.2009 तक 54.48 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 50.67 करोड़ शेयर या 93% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में हैं और 3.81 करोड़ शेयर या 7% भौतिक रूप में हैं (जिसमें से भारत सरकार 33.36 करोड़ शेयर धारित करता है जोकि औसतन 61.23% है। भारत सरकार की शेयरधारिता मार्च 2008 में अमूर्तीकृत की गई।)

त. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं।

थ. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए हैं: 31-03-2009 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	आबंटन की तारीख (रु.करोड़ों में)	आकार	अवधि	कूपन	प्रत्यावर्तन की तारीख
टायर II					
iv	31.10.2002	175.00	78	07.45	30.04.2009
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01.03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
बीएचओबी	**20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
उच्च टायर II			माँग विकल्प तारीख		
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
टायर I (बेमियादी)			माँग विकल्प तारीख		
i	31.03.2006	200.00	@ बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
कुल		4371.30			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा।

Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2009, out of 54.48 crore equity shares, 50.67 crore shares or 93% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 33.36 crore shares aggregating to 61.23% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008) and 3.81 crore shares or 7% are in physical form.

p. **Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:**

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

q. **The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2009 are as follows:**

Series	Date of Allotment (Rs in crores)	Size	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
iv	31.10.2002	175.00	78	07.45	30.04.2009
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01.03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
BhoB **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
Upper Tier II			Call Option date		
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
Tier I (Perpetual)			Call Option date		
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
TOTAL		4371.00			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.



*इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ भारत ओवरसीज़ बैंक के विलयन के फलस्वरूप भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड (बीएचओबी) द्वारा जारी किए गए टायर II बॉण्ड आइओबी द्वारा अधिगृहीत किए गए। 31-03-2009 तक वर्तमान बकाया उक्त निर्गम में विलयन के समय रु.4 करोड़ के हमारे निवेश का समंजन करने के बाद है।

द. पत्राचार करने का पता

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002
दूरभाष - 044-28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

निवेशक संपर्क कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044-28519491, 28415702
फैक्स : 044-28585675
ई.मेल : investor@iobnet.co.in/
investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ बैंक द्वारा अपनाई गईं
बोर्ड - कंपनी के खर्चों पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, अतः यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
पारिश्रमिक समिति पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार लेता है और बैंक अन्य निदेशकों को सिटिंग फीस वे अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में निदेशक मंडल ने यहाँ आगे दिए गए विवरणों वे अनुसार "पारिश्रमिक समिति" गठित की है (पैरा 3.8 देखें)।

** Being Tier II Bonds issued by Bharat Overseas Bank Ltd.(Bhob) , since taken over by IOB consequent to merger of Bhob with IOB. The present outstanding as on 31.03.2009, is after setting off our investment of Rs. 4 cr in the said issue, at the time of the merger.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519491, 28415702
Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in /
investorcomp@iobnet.co.in

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt. The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished hereinbefore (refer para 3.8).



शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है।	Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
लेखा-परीक्षा अर्हता	अनर्ह वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।	Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है। प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है।	Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूंकि वर्तमान में यह हम पर लागू नहीं है।	Mechanism for evaluating nonexecutive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
विसिल ब्लोअर पॉलिसी (चेतावनी नीति)	वर्तमान में बैंक के पास कोई चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) नहीं है। लेखा-परीक्षा समिति से संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया है।	Whistle Blower Policy	Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. ए. भट)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै

04 मई 2009

For and on behalf of the Board of Directors

(S A BHAT)

Chairman and Managing Director



वर्ष 2008-09 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

निदेशकों का जीवन परिचय

01 नाम	श्री एस.ए.भट
	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 22.10.1950
योग्यता	बी.एससी (आनर्स), सीएआइआइबी भाग 1
नियुक्ति की तारीख	04.06.2007
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2010
अनुभव	बैंकिंग में 37 वर्षों का अनुभव है। वर्ष 1972 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इण्डिया में भर्ती हुए। 2 फरवरी 2006 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आइओबी में वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने तक इस पद पर रहे। बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में देशी और विदेशी परिचालनों में विभिन्न पदों पर आपको व्यापक अनुभव है। विभिन्न समितियों, जैसे तकनीकी सलाहकार समिति, बेसल II के लिए स्टियरिंग ग्रुप, निर्यातकों के लिए ऋण सलाहकार प्रणाली पर समिति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के परिशोधन के लिए कार्य दल के सदस्य के रूप में आपने बैंकिंग उद्योग को कई योगदान दिए हैं। ये सभी समितियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई थीं। बेसल II के कार्यान्वयन के लिए कार्यपद्धति तैयार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की समिति में भी आप शामिल थे। बैंक ऑफ इण्डिया में अपनी कार्यावधि के दौरान आप एसटीसीआइ, आइएल और एफएस तथा इण्डो जाम्बिया बैंक के लिए नामिती निदेशक थे।
आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि. में आइओबी के नामिती निदेशक

02 नाम	श्री जी.नारायणन
	कार्यपालक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 31.10.1949
योग्यता	बी.एससी., सीएआइआइबी
नियुक्ति की तारीख	07.11.2007
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2009
अनुभव	बैंकिंग में 39 वर्षों का अनुभव है। आप 1970 में बैंक ऑफ इण्डिया में भर्ती हुए। आइओबी में आने से पहले आप सेक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। आपके कैरियर का काफी समय अन्तरराष्ट्रीय ट्रेजरी और विदेशी विनिमय संबंधित क्षेत्रों में रहा। बैंक ऑफ इण्डिया में अपने

ANNEXURE TO REPORT OF
THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE
GOVERNANCE FOR THE YEAR 2008-09

DIRECTORS PROFILE

01 Name	Shri S. A. Bhat
	Chairman and Managing Director
Age and Date of Birth	58 years - 22.10.1950
Qualification	B.Sc (Hons.) CAIB Part I
Date of Appointment	04.06.2007
Date of expiry of the Current term	31.10.2010
Experience	Having 37 years of banking experience. Joined Bank of India as Probationary Officer in 1972. He took over as Executive Director of UCO Bank on 2 nd February 2006 and held this position till his present assignment at IOB. He has vast experience across the entire gamut of banking in various capacities in domestic and overseas operations. He has made many contributions to the Banking Industry, as a member of several committees such as the Technical Advisory Committee, Steering Group for Basel II, Committee on Credit Advisory System for Exporters, and Working Group for revision of ALM, all of which were constituted by Reserve Bank of India. He was also on the Indian Banks' Association's Committee for drawing Road Map for implementation of Basel II. During his tenure in Bank of India, he was nominee director for STCI, IL & FS and Indo Zambia Bank.
Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nominee Director of IOB in Universal Sompoo General Insurance Co. Ltd.

02 Name	Shri G. Narayanan
	Executive Director
Age and Date of Birth	59 years - 31.10.1949
Qualification	B.Sc., CAIB
Date of Appointment	07.11.2007
Date of expiry of the Current term	31.10.2009
Experience	Having 39 years of banking experience. He joined Bank of India in the year 1970. Before joining IOB he was the Managing Director & Chief Executive Officer of Securities Trading Corporation of India Limited, Mumbai. Large part of his career was in International Treasury and Foreign Exchange related areas. During his stint



कार्यकाल के दौरान आपने डेरिवेटिव व्यापार और पूरे ट्रेजरी परिचालनों को पूर्णतः स्वचालित वातावरण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय और बैंक ऑफ इण्डिया, प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ आप ट्रेजरी संबंधी विषयों पर अतिथि व्याख्याता के रूप में जुड़े रहे हैं।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य
अन्य निदेशिकता शून्य

Shareholding in IOB Nil
Other Directorships Nil

In Bank of India, he was instrumental for initiation of derivative business and for the moving the entire treasury operations to a fully automated environment. He has been associated with Bankers' Training College of Reserve Bank of India and Bank of India Training College as guest lecturer on Treasury related subjects.

03 नाम

श्री वाई एल मदान

कार्यपालक निदेशक

आयु और जन्म-तिथि 58 वर्ष - 24.08.1950
योग्यता एम.एससी., एम बी ए, सीएआइआइबी
नियुक्ति की तारीख 16.05.2008
वर्तमान कार्यवधि की समाप्ति की तारीख 31.08.2010
अनुभव

आइओबी में शेयरधारिता शून्य
अन्य निदेशिकता शून्य

03 Name

Shri Y L Madan

Executive Director

Age and Date of Birth 58 years - 24.08.1950
Qualification M.Sc., MBA, CAIIB
Date of Appointment 16.05.2008
Date of expiry of the Current term 31.08.2010
Experience

Shareholding in IOB Nil
Other Directorships Nil

Having 36 years of banking experience. He joined Canara Bank in 1973 as Officer Trainee and has 35 years of experience. He served mostly in northern areas of Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar, Delhi and had a posting at Overseas Exchange Company in Doha, Qatar, managed by Canara Bank. He had a one year stint as Faculty in Canara Bank Training Centre, Mumbai. He was General Manager in Canara Bank from October 2003 until his appointment in IOB as its Executive Director.

04 नाम

डॉ. विनीता कुमार

भारत सरकार की नामिती

आयु और जन्म-तिथि 54 वर्ष - 25.12.1954
योग्यता पीएच.डी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), भारतीय आर्थिक सेवाएँ (1977)
नियुक्ति की तारीख 10.06.2008
वर्तमान कार्यवधि की समाप्ति की तारीख सरकार से आगे आदेश मिलने तक
अनुभव सम्प्रति आप भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक सेवाएँ विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। आप वाणिज्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार रह चुकी हैं। आपने दो पुस्तकों की लेखिका हैं - (1) "इकोनॉमिक ग्रोथ एण्ड रूरल पॉवर्टी : द इण्डियन एक्सपीरियंस (1960-65)" (2) "लार्निंग टू शेयर : एक्सपीरियंसेस एण्ड रिफ्लेक्शंस ऑन पीआरए एण्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।

04 Name

Dr. Vinita Kumar

Gol Nominee

Age and Date of Birth 54 years - 25.12.1954
Qualification Ph.D, M.A.(Eco), Indian Economic Service (1977)
Date of Appointment 10.06.2008
Date of expiry of the Current term Until further orders from Govt.
Experience She is presently Economic Advisor, Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI. She held the position of Additional Economic Advisor, Dept. of Commerce. She has authored two books - (1) "Economic Growth and Rural Poverty: The Indian Experience (1960-65)" and (2) "Learning to Share: Experiences and Reflections on PRA and Community Participation"



आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशिकता	शून्य
05 नाम	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन
	भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती
आयु और जन्म-तिथि	64 वर्ष - 26.07.1944
योग्यता	एम .एससी, सीएआइआइबी
नियुक्ति की तारीख	27.02.2007
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश आने तक
अनुभव	आप वर्ष 1967 में भारतीय रिज़र्व बैंक में भर्ती हुईं और आपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आइसीडी, डीबीओडी और विदेशी विनिमय (विनिमय नियंत्रण) विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया है। आप वर्ष 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं ।
आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशिकता	शून्य
06 नाम	श्री एन.श्रीधरन
	कर्मकार निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 10 12 1950
योग्यता	एसएसएलसी
नियुक्ति की तारीख	20-04-2007
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	19-04-2010 और इसके बाद जबतक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए या जब तक वे आइओबी के कर्मकार कर्मचारी नहीं रह जाते, जो भी पहले हो।
अनुभव	02-05-1972 में बैंक में भर्ती हुए। आइओबी में 36 वर्षों का अनुभव है। आप आइओबी में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
अन्य निदेशिकता	शून्य
07 नाम	श्री जे.डी. शर्मा
	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
आयु और जन्म-तिथि	52 वर्ष - 20.07.1956
योग्यता	एम .कॉम, एम .बी. ए, ,डी .आइ .एम, सीएआइआइबी, एलएलबी
नियुक्ति की तारीख	09.03.2006
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	08.03.2009 को उसके बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक या आइ.ओ.बी के कर्मचारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक
अनुभव	बैंक में 22.07.1977 को भर्ती हुए। आइ.ओ.बी में 31 वर्षों का अनुभव है। आप आइ.ओ.बी में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं।
आइओबी में शेयरधारिता	1600 शेयर
अन्य निदेशिकता	शून्य

Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nil
05 Name	Smt. Chitra Chandramouliswaran
	RBI Nominee
Age and Date of Birth	64 years - 26.07.1944
Qualification	M.Sc., CAIIB.,
Date of Appointment	27.02.2007
Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt.,
Experience	Joined RBI in 1967 and has worked in various capacities in IECD, DBOD and Foreign Exchange (Exchange Control) Departments and RBI's Central Office in Mumbai. She retired as Chief General Manager of Reserve Bank of India in 2004.
Shareholding in IOB	Nil
Other Directorships	Nil
06 Name	Shri N. Sridaran
	Workmen Director
Age and Date of Birth	58 years - 10.12.1950
Qualification	SSLC
Date of Appointment	20.04.2007
Date of expiry of the Current term	19.04.2010 and thereafter until his successor is appointed or till he ceases to be a workmen employee of IOB, whichever is earlier.
Experience	Joined the Bank on 02.05.1972. Having 36 years experience in IOB, he is at present a special cadre assistant in IOB.
Shareholding in IOB	100 shares
Other Directorships	Nil
07 Name	Shri J D Sharma
	Officer Employee Director
Age and Date of Birth	52 years - 20.07.1956
Qualification	M Com., MBA, DIM, CAIIB, LLB
Date of Appointment	09 03 2006
Date of expiry of the Current term	08 03 2009 and thereafter until his successor is appointed or till he ceases to be an employee of IOB
Experience	Joined the Bank on 22.07.1977. Possesses 31 years experience. At present a Senior Manager in IOB.
Shareholding in IOB	1600 shares
Other Directorships	Nil



08 नाम श्री एम. रवींद्र विक्रम
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

आयु और जन्म-तिथि 51 वर्ष - 18.05.1957
योग्यता बी. एससी, एफसीए, एलएलबी
नियुक्ति की तारीख 11.10.2006
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 10.10.2009
अनुभव पेशावरत सनदी लेखाकार। एम.आनन्दम एण्ड कं., सनदी लेखाकार हैदराबाद के साझेदार। आपने विशेष और जाँच पड़ताल लेखा परीक्षाएं की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व के लिए अनुपालन अध्ययन भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखाकरण प्रणाली की पुनर्संरचना और तुलन-पत्र पुनर्प्रारूपण के अध्ययन दल के प्रभारी रहे। आप इण्डियन बैंक के निदेशक थे।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य
अन्य निदेशकता एएसएम टेक्नालॉजिस लिमिटेड
जीटीएन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ग्लोकेम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
विंग्स इन्फोनेट लिमिटेड
ए बॉण्ड-स्ट्रैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
नॉर्मैक फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
नॉर्मैक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
एम आनंदम कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
एसोशिएटेड बिजनेस काउन्सिलिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

09 नाम श्री बी वी अप्पा राव
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

आयु और जन्म-तिथि 58 वर्ष - 06 06 1950
योग्यता बी.काम, एफसीए
नियुक्ति की तारीख 29 08 2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 28 08 2011
अनुभव 1980 में सनदी लेखाकार योग्यता प्राप्त कर श्री बी वी अप्पा राव ने तत्काल आन्ध्रा बैंक में एक अधिकारी के रूप में सेवा प्रारंभ करके 6 वर्ष कार्य किया। इसके पश्चात आपने आन्ध्र प्रदेश के मेसर्स द आन्ध्रा शुगर्स लिमिटेड ऑफ आन्ध्र प्रदेश में वरिष्ठ प्रबन्धन में 7 वर्षों तक सेवा की। वर्तमान में आप वर्ष 1994 में गुंटूर में प्रारंभ मेसर्स बी वी राव एसोशियेट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में वरिष्ठ साझेदार हैं।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य
अन्य निदेशकता शून्य

08 Name **Shri M. Ravindra Vikram**
Part Time Non Official Director

Age and Date of Birth 51 years - 18.05.1957
Qualification B.Sc., FCA., LLB
Date of Appointment 11.10.2006
Date of expiry of the Current term 10.10.2009
Experience Practising Chartered Accountant. Partner of M.Anandam & Co., Chartered Accountants, Hyderabad. He has conducted Special and Investigation audits. He has conducted compliance studies for the RBI's Forex Reserves. Spear headed the study group in charge of the Balance Sheet reformatting and redesigning the Accounting Systems of the Reserve Bank of India. He was a Director of Indian Bank.

Shareholding in IOB Nil
Other Directorships ASM Technologies Ltd.
GTN Industries Ltd.
Glochem Industries Ltd.
Wings Infonet Limited
A Bond-Strands Pvt. Ltd.
Normak Fashions Pvt. Ltd.
Normak India Private Ltd.
M. Anandam Consultancy Services Private Limited
Associated Business Counseling Services Private Limited.

09 Name **Shri B V Appa Rao**
Part Time Non Official Director

Age and Date of Birth 58 years - 06.06.1950
Qualification B.Com., FCA
Date of Appointment 29-08-2008
Date of expiry of the Current term 28-08-2011
Experience A qualified Chartered Accountant in 1980, Shri B V Appa Rao, immediately joined Andhra Bank as Officer and served for 6 years. Leaving Andhra Bank, he joined M/s The Andhra Sugars Limited of Andhra Pradesh in the Senior Management and served for 7 years. He is presently a Senior Partner in M/s. B V Rao Associates, Chartered Accountants, Guntur started in the year 1994.

Shareholding in IOB Nil
Other Directorships Nil



10 नाम श्री अशोक कुमार भार्गव
शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि 65 वर्ष - 10-5-1943
योग्यता बी. कॉम, एलएलबी, सीएआइआईबी
नियुक्ति की तारीख 08.12.2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 07.12.2011
अनुभव पंजाब नेशनल बैंक के महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 40 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यावसायिक बैंकर। वर्तमान में प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार हैं।
आइओबी में शेयरधारिता 500 शेयर
अन्य निदेशकता एसएमएस पावर जनरेशन लिमिटेड
दिल्ली असम रोडवेज कार्पोरेशन लिमिटेड
ट्रांसरेल लाजिस्टिक्स लिमिटेड

10 Name **Shri Ashok Kumar Bhargava**
Shareholder Director
Age and Date of Birth 65 years - 10.05.1943
Qualification B.Com, L L B., CAIIB
Date of Appointment 08.12.2008
Date of expiry of the Current term 07.12.2011
Experience Retired as GM of Punjab National Bank. A professional banker with 40 years of experience. He is at present a Management and Financial Consultant.
Shareholding in IOB 500 shares
Other Directorships SMS Power Generation Limited
Delhi Assam Roadways Corporation Limited
Transrail Logistics Limited

11 नाम डॉ. चिरंजीब सेन
शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि 62 वर्ष - 29 09 1946
योग्यता एम ए (अर्थशास्त्र), पीएच.डी
नियुक्ति की तारीख 08 12 2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 07 12 2011
अनुभव इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट, बंगलूर में इकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं और भारत और विदेश में कम से कम 13 विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर हैं।
आइओबी में शेयरधारिता 150 शेयर
अन्य निदेशकता शून्य

11 Name **Dr. Chiranjib Sen**
Shareholder Director
Age and Date of Birth 62 years - 29.09.1946
Qualification M.A(Econ), Ph D
Date of Appointment 08.12.2008
Date of expiry of the Current term 07.12.2011
Experience Professor of Economics in the Indian Institute of Management, Bangalore and a visiting Professor of about 13 universities in India and abroad.
Shareholding in IOB 150 shares
Other Directorships Nil

12 नाम श्री ए वेल्लयन
शेयरधारक निदेशक
आयु और जन्म-तिथि 55 वर्ष - 09 01 1953
योग्यता बी. कॉम, यू.के के वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से बिजनेस स्टडीस में स्नातकोत्तर किया।
नियुक्ति की तारीख 08 12 2008
वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 07 12 2011
अनुभव यू.के में वार्विक बिजनेस स्कूल विश्वविद्यालय से प्रबन्धन स्नातक और बर्मिंघम, यू.के के एस्टन विश्वविद्यालय से औद्योगिक प्रशासन में डिप्लोमा पायी। आप मुरुगप्पा ग्रुप के अध्यक्ष एवं निदेशक हैं जो एक बिजनेस संगठन है तथा इसका प्रधान कार्यालय चेन्नै में है। इस समूह का प्रमुख कार्यक्षेत्र कारोबार के विभिन्न क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, अब्रोसिक्स, वित्त, सामान्य बीमा, साइकिल्स, शूगर, फार्म इन्पुट्स,

12 Name **Shri A Vellayan**
Shareholder Director
Age and Date of Birth 55 years - 09.01.1953
Qualification B.Com, Masters in Business Studies, University of Warwick Business School, UK
Date of Appointment 08.12.2008
Date of expiry of the Current term 07.12.2011
Experience A Management graduate from the University of Warwick Business School in UK and a diploma holder in Industrial Administration from the University of Aston, Birmingham, UK. He is the Vice Chairman and Director – Strategy of the Murugappa Group, a business conglomerate headquartered in Chennai, with interests in diverse areas



उर्वरक, वृक्षारोपण, जैव उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स है। श्री वेल्लयन ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड, कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और अंबाडि एण्टरप्राइजेस लिमिटेड नामक तीन सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप अनेक प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मंडल में भी कार्यरत हैं। श्री वेल्लयन दक्षिण भारतीय चैम्बर ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं। आप फिक्की, दिल्ली के कार्यपालक समिति के सदस्य हैं।

आइओबी में शेयरधारिता
अन्य निदेशिकता

100 शेयर
ईआईडी पैरी (इण्डिया) लिमिटेड
अंबाडी एण्टरप्राइजेस लिमिटेड
कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
चोलमंडलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
कनोडिया कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
इण्डफ्राग लिमिटेड
इण्डियन पोटाश लिमिटेड
कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड
लैजरवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
पैरीवेर रोका प्राइवेट लिमिटेड
सिल्करोड शुगर प्राइवेट लिमिटेड
पैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
निमिता सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
फोस्कर प्राइवेट लिमिटेड, जोहन्नेसबर्ग, दक्षिण आफ्रिका
पैरी मुर्रे एण्ड कंपनी फर्निशिंग & फ्लोर कवरिंग्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
पैरी मुर्रे एण्ड कंपनी लिमिटेड, यूके
द फर्टिलाइजर असोशियेशन ऑफ इण्डिया
तुनीशियन इण्डियन फर्टिलाइजर्स, तुनीशिया
सीएफएल मौरिशस लिमिटेड
पैरी अमेरिका इंक., यूएसए

Shareholding in IOB
Other Directorships

of business including Engineering, Abrasives, Finance, General Insurance, Cycles, Sugar, Farm Inputs, Fertilizers, Plantations, Bio-products and Nutraceuticals. Shri Vellayan is the non-executive Chairman of three Public Limited Companies viz. EID Parry (India) Limited, Coromandel Fertilisers Limited and Ambadi Enterprises Limited and is also on the Board of several reputed Public Limited companies.

Shri Vellayan is the Vice President for Southern Indian Chamber of Commerce & Industry and a member of the Executive Committee of FICCI, Delhi.

100 shares
EID Parry (India) Limited
Ambadi Enterprises Limited
Coromandel Fertilisers Limited
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
Kanoria Chemicals & Industries Limited
Indfrac Limited
Indian Potash Limited
Carborundum Universal Limited
Laserwords Private Limited
Parryware Roca Private Limited
Silkroad Sugar Private Limited
Parry Infrastructure Company Private Limited
Nimita Solutions Private Limited
Foskor Private Limited, Johannesburg, South Africa
Parry Murray and Company Furnishings & Floor Coverings (India) Pvt. Ltd.
Parry Murray & Co. Ltd., UK
The Fertiliser Association of India
Tunisian Indian Fertilisers, Tunisia
CFL Mauritius Limited
Parry America Inc. USA



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002



Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इस संहिता को बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(एस.ए.भट S. A.Bhat)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Chairman and Managing Director

27.04.2009

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (ie. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. the Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

(एस.ए.भट S. A.Bhat)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Chairman and Managing Director

27.04.2009



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002
27 अप्रैल 2009



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

27th April 2009

निदेशक मंडल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31.03.2009 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49 - V सीईओ सीएफओ का प्रमाणीकरण

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि

- क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :
- इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ।
 - ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।
- ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।
- ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।
- घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है :
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना,
 - वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और
 - महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी यदि कोई शामिल है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(वी.कृष्णस्वामी)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एस.ए. भट)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

THE BOARD OF DIRECTORS INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2009-Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges - **CEO/CFO Certification**

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, we certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief :
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(V. KRISHNASWAMY)
GENERAL MANAGER & CFO

(S.A. BHAT)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



**कापोरिट गवर्नेन्स पर लेखा
परीक्षकों का प्रमाण-पत्र**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै के
शेयर धारकों को

हमने 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कापोरिट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज (I) के साथ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कापोरिट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कापोरिट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखे गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कापोरिट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है सिवाए एक शिकायत जो जिला उपभोक्ता निवारण फोरम, राजकोट के समक्ष लंबित है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप पत्र किये हैं।

कृते वैदीश्वरन ऐण्ड कं. कृते महाराज एन. आर सुरेश ऐण्ड कं. कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण सनदी लेखाकारगण सनदी लेखाकारगण
(एस. गणेशन) (एन. आर. जयदेवन) (अशोक कुमार जैन)
साझेदार साझेदार साझेदार
स.सं.019530 स.सं.023838 स.सं.074250

कृते वर्मा ऐण्ड वर्मा कृते पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम कृते भास्करन ऐण्ड रमेश
सनदी लेखाकारगण सनदी लेखाकारगण सनदी लेखाकारगण
(के.एम.सुकुमारन) (एस. राजेश्वरी) (एस. रमेश)
साझेदार साझेदार साझेदार
स.सं.015707 स.सं.024105 स.सं.022183

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 04.05.2009

**AUDITORS CERTIFICATE
ON CORPORATE GOVERNANCE**

To the Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2009, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with stock exchange(s).

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent except one complaint pending before District Consumer Redressal Forum at Rajkot.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Vaithisvaran & Co For Maharaj N.R. Suresh & Co For Om Agarwal & Co
Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants
(S.GANESAN) (N.R. JAYDEVAN) (ASHOK KUMAR JAIN)
Partner Partner Partner
M.No.019530 M.No. 023838 M.No.074250

For Varma & Varma For PKF Sridhar & Santhanam For Bhaskaran & Ramesh
Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants
(K.M.SUKUMARAN) (S.RAJESHWARI) (S.RAMESH)
Partner Partner Partner
M.No.015707 M.No.024105 M.No.022183

Place: Chennai
Date: 04.05.2009



31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2009

(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ	31.03.2009	31.03.2008
		SCHEDULES	31.03.2009	31.03.2008
देयताएँ	LIABILITIES			
पूँजी	Capital	01	544 80 00	544 80 00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	6606 16 33	4321 24 91
जमा राशियाँ	Deposits	03	100115 88 96	84325 58 29
उधार	Borrowings	04	6548 28 24	6353 64 63
अन्य देयताएँ व प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	7258 26 34	6292 43 78
जोड़	TOTAL		121073 39 87	101837 71 61
आस्तियाँ	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	5940 44 42	9124 23 28
और अतिशेष बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	4981 45 75	1217 08 84
विनिधान	Investments	08	31215 43 87	28474 70 84
अग्रिम	Advances	09	74885 27 26	60401 82 09
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	1709 85 96	558 57 75
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	2340 92 61	2061 28 81
जोड़	TOTAL		121073 39 87	101837 71 61
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	38379 26 22	31366 29 24
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		3505 07 48	3126 99 51
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग हैं। Schedules Form Part of the Balance Sheet

एस.ए. भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
जी. नारायणन
कार्यपालक निदेशक

S. A. BHAT
Chairman & Managing Director
G.NARAYANAN
Executive Director

वी. कृष्णस्वामी V. KRISHNASWAMY
महा प्रबंधक General Manager

डॉ. विनीता कुमार
चित्रा चंद्रमौलीश्वरन
एन. श्रीधरन
जे.डी. शर्मा
बी.वी. अप्पा राव
एम. रवीन्द्र विक्रम
ए.के. भार्गव
डॉ. चिरंजीव सेन
ए. वेल्लयन

Dr. Vinita Kumar
Chitra Chandramouliswaran
N. Sridaran
J.D. Sharma
B.V. Appa Rao
M. Ravindra Vikram
A.K. Bhargava
Dr. Chiranjib Sen
A. Vellayan

वैदीश्वरन एण्ड कं.
एस. गणेशन
साझेदार
स.सं. 019530
ओम अग्रवाल एण्ड कं.
अशोक कुमार जैन
साझेदार
स.सं. 074250
पीकेएफ श्रीधर एण्ड सन्तानम
एस. राजेश्वरी
साझेदार
स.सं. 024105

VAITHISVARAN & CO
S. GANESAN
Partner
M.No. 019530
OM AGARWAL & CO
ASHOK KUMAR JAIN
Partner
M.No. 074250
PKF SRIDHAR & SANTHANAM
S. RAJESHWARI
Partner
M.No. 024105

महाराज एन. आर सुरेश एण्ड कं.
एन. आर. जयदेवन
साझेदार
स.सं. 023838
वर्मा एण्ड वर्मा
के.एम. सुकुमारन
साझेदार
स.सं. 015707
भास्करन एण्ड रमेश
एस. रमेश
साझेदार
स.सं. 022183

MAHARAJ N.R. SURESH & CO
N.R. JAYADEVAN
Partner
M.No. 023838
VARMA & VARMA
K.M. SUKUMARAN
Partner
M.No. 015707
BHASKARAN & RAMESH
S. RAMESH
Partner
M.No. 022183

निदेशकगण
चेन्नै
04-05-2009

DIRECTORS
Chennai
04.05.2009

सनदी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS



31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2009

(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ	31.03.2009	31.03.2008
		SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2009	YEAR ENDED 31.03.2008
आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	9641 40 33	7738 76 50
अन्य आय	Other income	14	1595 83 08	1037 10 29
जोड़	TOTAL		11237 23 41	8775 86 79
व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	6771 81 35	5288 79 23
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	1941 69 43	1485 29 45
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		1197 93 47	799 44 54
जोड़	TOTAL		9911 44 25	7573 53 22
लाभ/हानि	PROFIT / LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year		1325 79 16	1202 33 57
अग्रणीत लाभ/हानि	Profit /Loss brought forward		0	0
जोड़	TOTAL		1325 79 16	1202 33 57
विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		398 00 00	361 00 00
अन्य राजस्व एवं आरक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		9 66 34	589 21 45
पूँजी आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		606 30 33	23 15 68
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve		25 00 00	25 00 00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Final Dividend (including Dividend Tax)		286 82 49	203 96 44
तुलन-पत्र में अग्रोषित	Balance amount of profit carried over to			
लाभ की शेष राशि	Balance Sheet		0	0
जोड़	TOTAL		1325 79 16	1202 33 57
प्रति शेयर अर्जन (₹.) मूल/तनूकृत	Earning per share (Rs.) Basic/Diluted		24.34	22.07
(शेयर का अंकित मूल्य ₹.10)	(F.V. of share Rs. 10)			

अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का एक अभिन्न अंग हैं। Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

एस.ए. भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

S. A. BHAT
Chairman & Managing Director

जी. नारायणन
कार्यपालक निदेशक

G.NARAYANAN
Executive Director

वी. कृष्णस्वामी V. KRISHNASWAMY
महा प्रबंधक General Manager

डॉ. विनीता कुमार
चित्रा चंद्रमौलीश्वरन
एन. श्रीधरन
जे.डी. शर्मा
बी.वी. अप्पा राव
एम. रवीन्द्र विक्रम
ए.के. भार्गव
डॉ. चिरंजीव सेन
ए. वेल्लयन

Dr. Vinita Kumar
Chitra Chandramouliswaran
N. Sridaran
J.D. Sharma
B.V. Appa Rao
M. Ravindra Vikram
A.K. Bhargava
Dr. Chiranjib Sen
A. Vellayan

वैदीश्वरन ऐण्ड कं.
एस. गणेशन
साझेदार
स.सं. 019530

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.
अशोक कुमार जैन
साझेदार
स.सं. 074250

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम
एस. राजेश्वरी
साझेदार
स.सं. 024105

VAITHISVARAN & CO
S. GANESAN
Partner
M.No. 019530

OM AGARWAL & CO
ASHOK KUMAR JAIN
Partner
M.No. 074250

PKF SRIDHAR & SANTHANAM
S.RAJESHWARI
Partner
M.No. 024105

महाराज एन. आर सुरेश ऐण्ड कं.
एन. आर. जयदेवन
साझेदार
स.सं. 023838

वर्मा ऐण्ड वर्मा
के.एम. सुकुमारन
साझेदार
स.सं. 015707

भास्करन ऐण्ड रमेश
एस. रमेश
साझेदार
स.सं. 022183

MAHARAJ N.R. SURESH & CO
N.R. JAYADEVAN
Partner
M.No. 023838

VARMA & VARMA
K.M. SUKUMARAN
Partner
M.No. 015707

BHASKARAN & RAMESH
S.RAMESH
Partner
M.No. 022183

निदेशकगण

DIRECTORS

चेन्नै
04-05-2009

Chennai
04.05.2009

सन्दी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS



अनुसूचियाँ SCHEDULES

(रु. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
प्राधिकृत पूँजी प्रत्येक रु.10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर	AUTHORISED CAPITAL 150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	1500 00 00	1500 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी प्रत्येक रु.10/- के 54,48,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित 33,36,00,000 शेयर प्रत्येक रु.10 शामिल हैं)	ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL 54,48,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 33,36,00,000 shares of Rs.10/- each held by Government of India)	544 80 00	544 80 00
अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
I शेयर प्रीमियम	I. SHARE PREMIUM	140 00 00	140 00 00
II. सांविधिक आरक्षितियाँ अथ शेष जोड़ें : परिवर्धन	II. STATUTORY RESERVE Opening balance Add: Additions TOTAL - II	1521 85 57 398 00 00 1919 85 57	1160 85 57 361 00 00 1521 85 57
योग - II			
III. पूँजी आरक्षितियाँ अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ अथ शेष जोड़ें : परिवर्धन घटाएँ: कटौतियाँ/मूल्य-ह्रास*	III. CAPITAL RESERVE A. Revaluation Reserve Opening Balance Add : Additions Less: Deductions / Depreciation * TOTAL - A	113 97 06 1123 55 41 27 95 59 1209 56 88	117 97 22 0 4 00 16 113 97 06
आ. निवेशों की बिक्री पर अथशेष जोड़ें : परिवर्धन योग-आ	B. On sale of Investments Opening Balance Add: Additions TOTAL - B	164 90 74 537 79 93 702 70 67	143 32 44 21 58 30 164 90 74
इ. अन्य अथशेष जोड़ें : परिवर्धन योग - इ योग - III(अ, आ, इ)	C. Others Opening Balance Add: Additions TOTAL - C TOTAL - III (A,B,C)	78 41 92 68 50 40 146 92 32 2059 19 87	76 84 53 1 57 39 78 41 92 357 29 72
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ (i) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ अथ शेष जोड़ें : परिवर्धन घटाएँ: कटौतियाँ योग -(i)	IV. REVENUE & OTHER RESERVES (i) Other Revenue Reserves Opening Balance Add: Additions Less: Deduction TOTAL - (i)	2171 99 56 21 54 53 54 2193 53 55	1729 96 74 570 09 28 128 06 46 2171 99 56
(ii) विशेष आरक्षितियाँ अथ शेष जोड़ें : परिवर्धन योग -(ii)	(ii) Special Reserve Opening balance Add: Additions TOTAL - (ii)	101 60 00 25 00 00 126 60 00	76 60 00 25 00 00 101 60 00
(iii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि अथ शेष जोड़ें : परिवर्धन घटाएँ: कटौतियाँ योग-(iii) योग - IV (i, ii & iii) योग (I, II, III & IV)	(iii) Foreign Currency Translation Reserve Opening balance Add : Additions Less : Deduction Total - (iii) TOTAL - IV (i, ii & iii) TOTAL (I, II, III & IV)	28 50 06 138 47 28 0 166 97 34 2487 10 89 6606 16 33	44 18 68 0 15 68 62 28 50 06 2302 09 62 4321 24 91

* 31.3.2009 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में तत्कालीन मुद्रा-विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण हुए समायोजन शामिल हैं।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2009



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-3 निक्षेप	SCHEDULE - 3 DEPOSITS	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
अ. I. माँग निक्षेप	A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	66 00 66	56 13 54
ii) अन्यो से	ii) From Others	8064 66 94	8942 18 17
योग - I	TOTAL - I	<u>8130 67 60</u>	<u>8998 31 71</u>
II. बचत बैंक निक्षेप	II. SAVINGS BANK DEPOSITS	22156 44 41	19210 69 87
III. कालिक निक्षेप	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	1559 68 08	1195 62 81
ii) अन्यो से	ii) From Others	68269 08 87	54920 93 90
योग - III	TOTAL - III	<u>69828 76 95</u>	<u>56116 56 71</u>
जोड़ - अ (I, II & III)	TOTAL - A (I, II & III)	<u>100115 88 96</u>	<u>84325 58 29</u>
आ. I) भारत की शाखाओं में निक्षेप	B. I) Deposits of branches in India	95433 72 84	80841 90 95
II) भारत के बाहर की शाखाओं में निक्षेप	II) Deposits of branches outside India	4682 16 12	3483 67 34
योग - आ	TOTAL B	<u>100115 88 96</u>	<u>84325 58 29</u>
अनुसूची-4	SCHEDULE - 4	31.03.2009 तक	31.03.2008 तक
लिये गये उधार	BORROWINGS	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
I. भारत में लिए गए उधार	I. BORROWINGS IN INDIA		
भारतीय रिज़र्व बैंक से	Reserve Bank of India	0	0
बैंकों से	Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अधिकरणों से	Other Institutions & Agencies	3086 47 52	4208 92 41
योग (I)	TOTAL (I)	<u>3086 47 52</u>	<u>4208 92 41</u>
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	3461 80 72	2144 72 22
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	<u>6548 28 24</u>	<u>6353 64 63</u>
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	III. Secured borrowings included in I & II above	925 01 67	500 05 54
अनुसूची-5	SCHEDULE - 5	31.03.2009 तक	31.03.2008 तक
अन्य देयतायें व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	As at 31.03.2009	As at 31.03.2008
I. संदेय बिल	I. Bills Payable	692 66 64	915 65 00
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	200 06 67	191 62 74
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	6365 53 03	5182 16 04
योग	TOTAL	<u>7258 26 34</u>	<u>6292 43 78</u>



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	679 96 93	593 85 84
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में इतिशेष	i) in Current Account	5260 47 49	8530 37 44
ii) अन्य खातों में इतिशेष	ii) in Other Accounts	0	0
योग	TOTAL	5940 44 42	9124 23 28

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क. चालू खाते में	a) In Current Accounts	212 07 03	200 25 64
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	2778 79 42	564 16 81
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क. बैंकों के साथ	a) With banks	1145 00 00	200 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग -I	TOTAL - I	4135 86 45	964 42 45
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
क. चालू खातों में	a) In Current Accounts	199 67 83	72 14 07
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	440 77 61	131 52 63
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	c) Money at Call and Short Notice	205 13 86	48 99 69
योग -II	TOTAL - II	845 59 30	252 66 39
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	4981 45 75	1217 08 84



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 8 विनिधान	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
I. भारत में विनिधान	I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	26455 58 11	24769 05 08
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	176 43 58	226 86 61
iii) शेयर	iii) Shares	321 64 13	512 72 40
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	1647 97 36	1276 53 86
v) संयुक्त उद्यम	v) Joint Ventures	28 50 00	28 50 00
vi) अन्य - भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड में विनिधान और वाणिज्यिक पत्र	vi) Others - Units of Unit Trust of India, Investments in other Mutual Funds & Commercial Paper	0 1611 84 59	0 360 92 52
योग - I	TOTAL - I	<u>30241 97 77</u>	<u>27174 60 47</u>
II. भारत के बाहर विनिधान*	II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA*		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	i) Government Securities (including Local Authorities)	801 84 45	1086 83 47
ii) अन्य	ii) Others		
क) शेयर	a. Shares	11 11 68	10 53 76
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	b. Debentures & Bonds	160 49 97	202 73 14
योग - II	TOTAL - II	<u>973 46 10</u>	<u>1300 10 37</u>
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	<u>31215 43 87</u>	<u>28474 70 84</u>
भारत में सकल विनिधान	Gross Investments in India	30497 19 25	27467 85 06
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	255 21 48	293 24 59
निवल विनिधान	Net Investments	<u>30241 97 77</u>	<u>27174 60 47</u>
भारत के बाहर सकल विनिधान*	Gross Investments Outside India*	1056 45 92	1317 06 17
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	82 99 82	16 95 80
निवल विनिधान	Net Investments	<u>973 46 10</u>	<u>1300 10 37</u>
कुल निवल विनिधान	Total Net Investments	<u>31215 43 87</u>	<u>28474 70 84</u>

* 31.3.2009 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों का मुद्रा-विनिमय दर पर परिवर्तनों के कारण हुए समायोजन सहित ।

* Including adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.3.2009.



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
अ. i) क्रय किए गए व मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	4490 94 59	3634 51 29
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंवेद्य उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	30862 66 93	24821 95 30
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	39531 65 74	31945 35 50
योग	TOTAL	<u>74885 27 26</u>	<u>60401 82 09</u>
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत* *बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित	B. i) Secured by Tangible Assets* * includes advances against Book Debts	63200 22 58	51959 72 01
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	3889 69 19	1798 04 27
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	7795 35 49	6644 05 81
योग	TOTAL	<u>74885 27 26</u>	<u>60401 82 09</u>
इ. i) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	24294 08 00	20303 15 66
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	5905 78 75	4504 36 73
iii) बैंक	iii) Banks	210 55 00	193 49 18
iv) अन्य	iv) Others	37205 08 17	31660 41 41
योग	TOTAL	<u>67615 49 92</u>	<u>56661 42 98</u>
II. भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से शोध्य	i) Due from Banks	398 29 75	122 92 48
ii) अन्यो से शोध्य	ii) Due from Others		
क) क्रय किए गए व मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	2908 23 77	1713 07 68
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	1782 11 17	266 99 16
ग) अन्य	c) Others	2181 12 65	1637 39 79
योग	TOTAL	<u>7269 77 34</u>	<u>3740 39 11</u>
योग (ग - I व II)	TOTAL (C-I & II)	<u>74885 27 26</u>	<u>60401 82 09</u>



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
I. परिसर	I. Premises		
1.4.2008 की स्थिति के अनुसार लागत / पुनः मूल्यांकित रकम पर वर्ष के दौरान परिवर्धन*	At cost / revalued amount as on 1.4.2008	464 26 03	447 69 17
	Additions during the year *	1173 85 13	22 12 27
		1638 11 16	469 81 44
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	26 44 89	5 55 41
		1611 66 27	464 26 03
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	117 12 43	90 30 01
योग - I	TOTAL - I	<u>1494 53 84</u>	<u>373 96 02</u>
II. पूँजीगत चालू कार्य	II. Capital work in progress	13 07 04	24 88 27
योग - II	TOTAL - II	<u>13 07 04</u>	<u>24 88 27</u>
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित है)	III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
1.4.2008 की स्थिति के अनुसार लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन *	At cost as on 1.4.2008	638 53 97	552 43 51
	Additions during the year *	193 67 08	104 66 30
		832 21 05	657 09 81
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	91 13 06	18 55 84
		741 07 99	638 53 97
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	538 82 91	478 80 51
योग- III	TOTAL - III	<u>202 25 08</u>	<u>159 73 46</u>
योग (I, II & III)	Total (I, II & III)	<u>1709 85 96</u>	<u>558 57 75</u>

* 31.3.2009 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों का मुद्रा-विनिमय दर पर परिवर्तनों के कारण हुए समायोजन सहित ।

* including adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.3.2009



अनुसूचियाँ (जारी)

SCHEDULES (Contd.)
(रु. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	197 88 86	20 53 77
ii) उपचित ब्याज	ii) Interest Accrued	891 19 54	814 53 57
iii) अग्रिम रूप से संदत्त/ स्रोत पर काटा गया कर	iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	761 29 24	617 64 16
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	6 88 99	6 25 18
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1 54 84	1 46 87
vi) अन्य	vi) Others	482 11 14	600 85 26
योग	TOTAL	2340 92 61	2061 28 81

अनुसूची- 12 समाश्रित दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	31.03.2009 तक As at 31.03.2009	31.03.2008 तक As at 31.03.2008
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	74 51 29	20 53 98
ii) अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व	ii) Liability for partly paid investments	28 24 50	50 45 11
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	15442 01 76	11138 61 60
iv) संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ क. भारत में ख. भारत के बाहर	iv) Guarantees given on behalf of constituents a) In India b) Outside India	8044 63 48 271 90 26	5405 46 52 92 28 79
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	7334 74 75	7088 01 12
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है क. विवादग्रस्त आय-कर दावे/ अपील के अधीन मामले ख. अन्य	vi) Other items for which the bank is contingently liable a. Disputed IT demand / cases under appeal b. Others	639 15 47	709 95 92
i. पूँजी लेखों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंध की अनुमानित राशि	i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	37 57 94	53 99 97
ii. करेंसी स्वैप के तहत बैंक की देयता	ii) Banks liability under currency swaps	2240 33 05	1390 35 65
iii. स्वैप के तहत (यूएसडी) ब्याज दर	iii) Interest rate swaps undertaken (USD)	1756 41 88	2029 99 65
iv. ब्याज दर स्वैप (भा.रु.)	iv) Interest rate swaps (INR)	1800 00 00	1555 82 63
v. रुपये के विकल्प के तहत बैंक की देयता	v) Bank's Liability under Currency Options	0	797 90 11
vi. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप	vi) Credit Default Swaps	675 12 64	532 88 19
vii. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र	vii) Inter bank Participation Certificate	0	500 00 00
viii. स्वर्ण के तहत बैंक की देयता	viii) Banks Liability under Gold	34 59 20	0
योग	TOTAL	38379 26 22	31366 29 24



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES (Contd.)
(रु. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 13	SCHEDULE - 13	31.03.2009	31.03.2008
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008
<i>i)</i> अग्रिमों / बिलों पर प्राप्त ब्याज / बट्टा	i) Interest / discount on advances / bills	7289 55 32	5521 99 77
<i>ii)</i> विनिधानों पर आय	ii) Income on investments	2156 31 60	2006 17 56
<i>iii)</i> भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	168 19 83	200 88 29
<i>iv)</i> अन्य	iv) Others	27 33 58	9 70 88
योग	TOTAL	9641 40 33	7738 76 50

अनुसूची- 14	SCHEDULE - 14	31.03.2009	31.03.2008
अन्य आय	OTHER INCOME	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008
<i>i)</i> कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	593 78 01	468 71 66
<i>ii)</i> विनिधानों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	636 64 80	229 60 93
<i>iii)</i> विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	iii) Profit on Revaluation of Investments (Net)	-117 23 89	-38 36 11
<i>iv)</i> भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	iv) Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	68 50 40	1 57 38
<i>v)</i> विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	157 34 36	110 16 79
<i>vi)</i> विविध आय	vi) Miscellaneous Income	256 79 40	265 39 64
योग	TOTAL	1595 83 08	1037 10 29



अनुसूचियाँ (जारी)
SCHEDULES(Contd.)
 (₹. '000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 15	SCHEDULE - 15	31.03.2009	31.03.2008
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	5955 83 04	4782 23 03
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	502 88 96	253 56 38
iii) अन्य	iii) Others	313 09 35	252 99 82
योग	TOTAL	6771 81 35	5288 79 23

अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16	31.03.2009	31.03.2008
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009	को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधानों)	i) Payments to and provisions for employees	1271 84 21	949 68 47
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	206 41 47	165 89 43
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	15 58 38	13 13 03
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	26 94 74	12 17 49
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depn. transferred from Capital Reserve)	100 94 20	75 09 78
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	89 72	81 51
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditors)	19 81 57	16 32 41
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	6 53 68	3 25 62
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	14 83 87	9 46 73
x) मरम्मत और अनुरक्षण	x) Repairs and Maintenance	7 85 79	7 35 39
xi) बीमा	xi) Insurance	89 33 06	75 76 89
xii) अन्य आय	xii) Other Expenditure	180 68 74	156 32 70
योग	TOTAL	1941 69 43	1485 29 45



अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. सामान्य

यहाँ इस से आगे जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और आगे गतिमान प्रतिष्ठान अवधारणा के अनुमान पर तैयार किए गए हैं।

2. आय का अभिज्ञान

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया गया है। अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एक बारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो, तो मूल रकम के लिए किया गया है।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख-पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उनकी उगाही के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो।

2.5 परिपक्व सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 मुकद्दमा दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर इसे आय में लिया जाता है।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/ हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है।

3. भारतीय परिचालनों के विदेशी विनिमय लेनदेन

3.1 नॉस्ट्रो एवं एसीयू डॉलर खातों के शेष, अंतिम दरों पर दिखाए गये हैं। एफसीएनआर/ईईएफसी / आरएफसी/ एफसीए (सभी विदेशी मुद्रा जमाएँ तथा उनपर उपचित ब्याज) और पीसीएफसी / डबल्यूसीएफसी /टीएलएफसी / एफसीएल (सभी विदेशी मुद्रा उधार) को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडरल

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements have been prepared on historical cost basis unless otherwise stated and further on the assumption of going concern concept.

2. Revenue Recognition

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, except otherwise stated.

2.5 In case of Matured Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, Unclaimed Savings Bank accounts and Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts is charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income & Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign exchange Transactions of Indian Operations

3.1 Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. FCNR/EEFC/RFC/ FCA (all foreign currency deposits including interest accrued thereon) and PCFC/WCFC/ TLFC/FCL (all foreign currency lendings) are



की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की प्रचलित दरों पर दिखाया गया है।

सभी आस्तियों, देयताओं तथा फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत की विनिमय-दरों के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के मूल्यांकन पर लाभ-हानि को राजस्व के अंतर्गत ले लिया गया है, जिस में समनुरूप निवल समायोजनों को, नॉस्ट्रो, एवं एसीयू डॉलर खातों के मामलों को छोड़ कर जहाँ यह खाता अन्तिम दरों पर समायोजित हो जाता है, 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' / 'अन्य आस्तियों के खाते' में बनाए रखा गया है।

3.2. विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत भारतीय परिचालनों की गारंटियों सहित स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताओं को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फ़ेडाई की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है।

3.3. आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में, उनके लेनदेन किए जाने की तारीख को लागू विनिमय दर पर दिखाया गया है।

4. विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण

विदेशी शाखाओं की आस्तियों एवं देयताओं का रूपांतरण लेखाकरण को वर्षांत अन्तिम दर को मानदण्ड 11 का अनुपालन करते हुए किया गया और इससे प्राप्त कुल लाभ / हानि को जब तक कुल निवेश का निपटान नहीं होता तब तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिज़र्व के तहत रखा जाएगा।

5. निवेश

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन निवेशों के मूल्यांकन और प्रकटीकरण को निम्न लिखित 6 वर्गों में दिखाया गया है।

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (राज्य सरकार की प्रतिभूतियों सहित)

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) ऋण पत्र एवं बाँड्स

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड इकाइयाँ व अन्य

5.2. म्यूचुअल फंड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिन से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार नकदी आधार पर की गई है।

stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter. Other Assets, Liabilities and Outstanding Forward Contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

Profit/Loss on valuation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments retained in "Other Liabilities and Provisions"/ "Other Assets Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

3.2 Acceptances, Endorsements and other obligations including guarantees of Indian operations denominated in foreign currencies are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter.

3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rate ruling on the date of incorporating the transaction in the books of account.

4. Translation of the Financial Statements of Foreign Branches

Assets and Liabilities of Foreign branches are translated at the year-end closing rate in compliance with Accounting Standard 11 and the net gain/ loss arising out of this is kept under Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

5. Investments

5.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Valuation and disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government securities (including State Government securities),

b) Other Approved securities,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

5.2 Interest on Investments, where interest / principal is in arrears for more than 90 days and income from units of Mutual Funds is recognised on cash basis as per prudential norms.



5.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है:

5.3.1 “ व्यापार के लिए धारित “ :- इस वर्ग के अन्तर्गत व्यक्तिगत शेयरों को मूल लागत पर धारित किया जाता है । उनका मूल्यांकन, जहाँ कहीं भी लागू हो, बाजार दरों पर मासिक अन्तरालों में किया जाता है ; या एफ आइ एम एम डी ए द्वारा घोषित कीमतों पर और इस वर्ग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग में निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, को आय में प्रभारित किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नज़रंदाज किया जाता है ।

5.3.2 “ बिक्री के लिए उपलब्ध ” :- इस वर्ग में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है । केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों को, एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा घोषित मार्केट दर पर मूल्यांकित किया जाता है । राज्य सरकार, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और डिबेंचरों / बॉण्डों का मूल्यांकन लाभप्रदता, साख क्रय-विक्रय दरों तथा एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा सुझाए गए अन्य तरीकों के अनुसार होता है । कोटेड इक्विटी शेयरों को बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है, जब कि अनकोटेड इक्विटी शेयरों को उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर “ बुक वैल्यू” / एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है अन्यथा रु.1/- प्रति कम्पनी /फण्ड के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

धारित ट्रेज़री बिलों और कामर्शियल पेपरों और जमाओं के प्रमाण-पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है । म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाजार मूल्य या पुनःखरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है ।

पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के लिए समय-समय पर लायी गई वाइटीएम दर के ऊपर अधिमानता शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर किया गया है ।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्गीकरण के तहत निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, को दिया जाएगा और निवल वृद्धि यदि कोई है, को नज़रंदाज किया जाएगा। बाजार के लिए अंकित किए जाने के पश्चात व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बहीगत मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा।

5.3.3 “ परिपक्वता के लिए धारित ” :-ऐसे निवेशों को अधिग्रहण मूल्य / परिशोधन मूल्य पर लिया जाता है । अधिकता, यदि कोई हो, प्रत्येक प्रतिभूति अंकित मूल्य से अधिक होने पर परिपक्वता के लिए बाकी अवधि हेतु परिशोधित की जाती है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूंजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

5.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार निवेश उचित प्रावधान /

5.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:-

5.3.1. “Held for Trading”:- Individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation, if any, is charged to revenue and net appreciation, if any, is ignored.

5.3.2. “Available for Sale”:- Individual securities under this category are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. State Government, other Approved securities and Debentures / bonds are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and Units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheet, otherwise the same is valued at Re.1/- per Company/Fund.

Treasury Bills and Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on their availability.

Valuation of Preference shares is made at YTM basis with appropriate mark up over the YTM rates for Central Govt. Securities put out by the PDAI / FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each classification, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities would not undergo any change after marking to market.

5.3.3. “Held to Maturity”:- Such investments are carried at acquisition cost/ amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortized over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored Institutions and Units of Venture Capital Funds are valued at carrying cost.

5.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line



आय की अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों को जहाँ आवश्यक हो सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्डों के आधार पर आंका जाता है और तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

5.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। “ परिपक्वता के लिए धारित ” वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि “ पूंजी आरक्षित खाते ” में विनियोजित की जाती है।

5.6 प्रतिभूतियों के लिए अंशदान रूप में प्राप्त प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को ‘ मानक ’, ‘ अव-मानक ’, ‘ संदेहास्पद ’ और ‘ हानि-जनक आस्तियाँ ’ में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों की शर्तों के आधार पर प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों पर, जो भी उच्चतर हो।

6.2 विवेक पूर्णमानदण्डों से अधिक की गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए बैंक ने चालू प्रावधान कर रखा है। अलग-अलग समय पर बनाए गए चालू प्रावधानों को लेखा-अवधि के दौरान किसी लाभ या समकारी लाभांश के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

6.3. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

अग्रिम का प्रकार	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रावधान
अ) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम	0.25%
आ) लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
इ) रु.15 लाख से अधिक के रिहाइशी आवासीय ऋण के लिए अग्रिम	0.40%
ई) विशिष्ट क्षेत्रों को अग्रिम जैसे स्थावर संपदा, क्रेडिट कार्ड प्राप्य, पूंजी बाजार जोखिम, वैयक्तिक ऋण और गैर-जमा एनबीएफसी	0.40%
उ) (अ), (आ), (इ) एवं (ई) में नहीं जोड़े गए अन्य अग्रिम	0.40%

ऊपर दी गई अपेक्षाओं से अधिक यदि मानक अग्रिमों के लिए अन्य प्रावधान दिए गए हैं तो वे भविष्य में मानक अग्रिमों की अपेक्षाओं के लिए भी लागू होंगे और उन्हें लाभ-हानि खाते में नहीं डाला जाएगा।

with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Debentures / bonds in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provided for, wherever appropriate.

5.5 Profit / Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in “Held to Maturity” category, an equivalent amount is appropriated to “Capital Reserve Account”.

5.6 Incentive / Front-end fees, etc. received on subscription to securities are taken to Profit and Loss account.

6. Advances

6.1 Advances have been classified as ‘Standard’, ‘Sub-standard’, ‘Doubtful’ and ‘Loss assets’ and provisions for possible losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India and also as per the directives of Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the provision is made on the respective country’s regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

6.2 The Bank holds floating provision for non performing advances over and above the prudential norms. Such floating provisions built over different periods would not be used for any profit or dividend equalisation across accounting periods.

6.3 Provision on Standard Assets:

Type of Advance	Provision made as per RBI Guidelines
a) Direct Advances to Agriculture	0.25%
b) Direct Advances to SME Sectors	0.25%
c) Advances to residential housing loans beyond Rs.15 lacs	0.40%
d) Advances to specific sectors i.e. Real Estate Sector, Credit Card Receivables, Capital Market Exposure, Personal Loans and Non Deposit taking NBFCs.	0.40%
e) All other advances not included in (a), (b), (c) & (d)	0.40%

Provision held, if any for Standard Advances, over and above the requirements stated above would continue to be held for future requirements of Provision towards Standard Advances and shall not be reversed to Profit & Loss a/c.



6.4. मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

7. स्वर्ण-कारोबार

स्वर्ण के क्रय-विक्रय के अतिरिक्त अन्य लेन-देनों की गणना प्रचलित काल्पनिक दर पर की जाती है।

8. डेरिवेटिव्स

ब्याज स्वैप्स के संबंध में, प्राप्य निवल रकम की पहचान इसके उपाच्य के आधार पर की गई है, स्वैप्स के समापन पर हुए लाभ अथवा हानि को आस्थागित किया गया है और इसकी पहचान, स्वैप्स की बची हुई अनुबंधित अवधि से ऊपर अथवा आस्ति/ देयता की बची हुई अवधि, इसमें से जो पहले हो, के आधार पर की गयी है। ऐसी स्वैप्स को केवल हेडिजिंग उद्देश्य हेतु लिया गया है, बाजार में प्रस्तुत करने हेतु नहीं।

9. अचल आस्तियाँ

9.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है और निम्नलिखित शीर्षों के तहत बृहत रूप से वर्गीकृत / समूहबद्ध किया गया है।

i. परिसर

ii. प्रक्रियाधीन पूंजी

iii. अन्य अचल आस्तियाँ

a) धातु फर्नीचर

b) लकड़ी के फर्नीचर

c) इलेक्ट्रिकल उपकरण

d) वाहन

e) कम्प्यूटर* शामिल हैं

* पट्टेवाले और पूर्ण स्वामित्व वाले स्थान के विकास की लागत सहित एटीएम, कम्प्यूटर सहायक उपकरण जैसे यूपीएस, बैटरी आदि और उनकी प्रतिस्थापन की लागत को कम्प्यूटर शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया है।

9.2 मूल्यहास का परिकलन प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गई निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया गया है :

परिसर	2.5 %
फर्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन साज-सामान	20 %
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %

6.4 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

7. Gold Business

Transactions in Gold other than purchase and sale are accounted for at prevalent notional rates.

8. Derivatives

In respect of Interest Swaps, while the net amount receivable is recognised on accrual basis, gains or losses on termination of swaps are deferred and recognised over the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/liabilities, whichever is earlier. Such swaps taken only for hedging purpose are not marked to market.

9. Fixed Assets

9.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost and are broadly classified/ grouped under the following heads:

i) Premises.

ii) Capital Work-in-progress.

iii) Other Fixed Assets including

a) Metal Furniture.

b) Wooden Furniture.

c) Electrical Installation.

d) Vehicles.

e) Computers.*

* ATMs along with cost of development of the leasehold and freehold sites, computer peripherals like UPS, Batteries, etc and their replacement costs are capitalized under the head computers.

9.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50 %
Furniture	10 %
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20 %
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100 %



पुनर्मूल्यांकित आरक्षिती से पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यहास को पूँजीगत आरक्षित निधि खाते से लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है ।

9.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज किए बिना मूल्यहास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है ।

9.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यहास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

9.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का परिशोधन किया गया है ।

9.6 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

10. स्टाफ़-सुविधाएँ

10.1 ग्रैच्युटी व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है और उसे अनुमोदित ग्रैच्युटी/ पेंशन निधि में अंशदानित किया गया है । लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्ति या अन्यथा पर संदेय छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्य पर किया गया है ।

10.2 विदेशी शाखाओं के मामले में ग्रैच्युटी का हिसाब संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

11. निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि खाते में प्रकट निवल लाभ / हानि निम्नलिखित के बाद है :

- i. आय और धन पर करों के लिए प्रावधान
- ii. मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान
- iii. निवेशों पर मूल्यहास / परिशोधन / प्रावधान
- iv. अन्य रिवाजी और आवश्यक प्रावधान

12. कराधान के लिए प्रावधान

- i. करों के लिए प्रावधान अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है जिसमें लेखाकरण मानक 22 के अनुपालन में, आस्थगित कर के लिए किए गए समायोजन शामिल हैं।
- ii. प्रतिभूति लेनदेन कर को लाभ-हानि खाते के लिए प्रभारित किया जाता है।

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

9.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

9.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

9.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

9.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws of the respective countries.

10. Staff Benefits

10.1 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made on actuarial valuation at the year end, in compliance with Accounting Standard 15.

10.2 In respect of Overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

11. Net Profit / Loss

Net Profit / Loss disclosed in the Profit and Loss Account is after:

- i) Provision for taxes on income and wealth
- ii) Provision for non-performing advance and general provision for Standard Advances
- iii) Depreciation/Amortisation/ provision on investments
- iv) Other usual and necessary provisions

12. Provision for Taxation:

- i) Provision for Taxes has been made on the basis of estimated tax liability which includes adjustments for Deferred Tax in compliance with Accounting Standard 22.
- ii) Securities Transactions Tax is charged to Profit & Loss Account.



अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समाधान

अंतर-बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समाधान 31 मार्च, 2009 तक कर लिया गया है। बकाया प्रविष्टियों के निरसन का कार्य जारी है। चूंकि निरसन के लिए बकाया प्रविष्टियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः इससे किसी प्रकार के प्रतिगामी प्रभाव की प्रत्याशा नहीं की जाती है।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है :

प्रवर्ग	बही मूल्य (रु. करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
परिपक्वता के लिए धारित	22901.12	19372.37	75.09%	70.53%
विक्री के लिए उपलब्ध	7596.07	7284.64	24.91%	26.52%
ट्रेडिंग के लिए धारित	शून्य	810.84	शून्य	2.95%

2.2 “परिपक्वता के लिए धारित” के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25 % की सीमा के अंदर है जो मार्च 2009 की समाप्ति तक बैंक की मांग व सावधि देयताओं का 22.62% रही ।

2.3 ‘परिपक्वता के लिए धारित’ प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.222.61 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.229.48 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.5/21.04.141/2008-09 दिनांकित 1 जुलाई 2008 के अनुसार निवेशों पर आय से काटा गया है।

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.100 करोड़ (पिछले वर्ष रु.100 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यता के प्रति उधारों के लिए रु.2200 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3850 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. में रखा गया है।

2.5 वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों के अनुसार रखाव लागत पर प्रायोजित संस्था में निवेश का मूल्यांकन करने की नीति को बदल दिया है, जो अब तक वहन लागत पर मूल्यांकित की जा रही थी और प्रायोजित संस्था के मूल्य में स्थायी कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of inter-bank and inter-branch transactions has been completed up to 31st March 2009. Steps for elimination of outstanding entries are in progress. Since the outstanding entries to be eliminated are insignificant, no material consequential effect is anticipated.

2. Investments:-

2.1 In accordance with RBI guidelines, the Investments Portfolio of the bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments	
	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
Held to Maturity	22901.12	19372.37	75.09%	70.53%
Available for Sale	7596.07	7284.64	24.91%	26.52%
Held for Trading	Nil	810.84	Nil	2.95%

2.2 SLR Securities under “Held to Maturity” accounted for 22.62% of bank’s Demand and Time liabilities as at the end of March 2009, which is within the ceiling of 25% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.222.61 crores was amortised during the year (Previous year Rs.229.48 crores), which is deducted from Income on Investments pursuant to Reserve Bank of India Master Circular DBOD No. BPBC.5/21.04.141/2008-09 dated July 1, 2008

2.4 Securities of face value of Rs.100 crores (previous year Rs.100 crores) towards Settlement Guarantee Fund and securities for Rs. 2200 crores (previous year Rs.3850 crores) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Ltd.

2.5 During the year, the bank has changed the policy to value the Investment in sponsored institution at carrying cost as per Valuation norms prescribed by Reserve Bank of India, which were hitherto valued at carrying cost and permanent diminution in value of



था। इससे प्रावधान में रु.11.56 करोड़ की कमी हुई है और इस हद तक लाभ में तदनु रूप वृद्धि हुई।

2.6 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों को संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत कर मूल्यांकन किया गया।

3. अग्रिम

3.1 प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं के लिए, शाखाओं द्वारा पहचानी गई गारंटी संस्थाओं में निपटान के लिए लम्बित दावों और दायर किए जानेवाले दावों पर इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध और वसूली योग्य हैं।

3.2 कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से केंद्र सरकारी गारंटियों, प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य और बाद के व्यवहार को ध्यान में रखा गया है।

3.3 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार ही किया गया है।

3.4 बैंक की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से ऊपर सकल अनर्जक अग्रिमों के संबंध में बैंक के पास रु. 259.92 करोड़ का अस्थिर प्रावधान था। कृषि ऋण माफ़ी और कृषि राहत योजना 2008 के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 22.09.08 के परिपत्र के जरिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मूल रकम, अप्रभारित ब्याज, दाण्डक ब्याज, विधिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और विविध प्रभार आदि से अधिक ब्याज दर्शाते हुए रु.88.56 करोड़ की रकम, अस्थिर प्रावधान से समतुल्य रकम आहरित करके बैंक द्वारा वहन की गयी है। परिणामस्वरूप, अस्थिर प्रावधान में बचा शेष रु.171.36 करोड़ है। रु.171.36 करोड़ का यह अस्थिर प्रावधान (पिछले वर्ष रु. 259.92 करोड़) अग्रिमों से निवलीकृत किया गया है।

3.5 संभाव्य हानि के लिए अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार किया गया सिवाय रु. 35.89 करोड़ (पिछले वर्ष रु.32.66 करोड़) के अग्रिम के मामले में अग्रिम को एन पी ए के रूप में वर्गीकरण किए जाने पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से बैंक को रोक का आदेश दिया है।

sponsored institution was fully provided. This has resulted in reduction of Provision by Rs. 11.56 crores and a corresponding increase in Profit to that extent.

2.6 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective regulatory authorities.

3. Advances

3.1 For provisioning requirements, claims pending settlement as well as claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.2 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees and subsequent conduct have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.3 The classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.4 The Bank had a floating provision of Rs. 259.92 crores in respect of Gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthening the financial stability of the Bank. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide their Circular dated 22 September 2008 pertaining to Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, an amount of Rs. 88.56 crores representing the interest in excess of the principal amount, unapplied interest, penal interest, legal charges, inspection charges and miscellaneous charges, etc., is borne by the Bank by draw down of an equivalent amount from the floating provision. As a result, the balance remaining in floating provision is Rs.171.36 crores. This Floating provision of Rs.171.36 crores (previous year Rs.259.92 crores) is netted off from advances.

3.5 The classification of advances and provisions for possible loss have been made as per Prudential Norms issued by the Reserve Bank of India except in case of an advance amounting to Rs. 35.89 crores (previous year Rs.32.66 crores), where the bank has been restrained by Order of the Hon'ble High Court, Delhi from classifying the advance as NPA.



3.6 सवतंत्र लेखा परीक्षक की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के लंबित रहते हुए मेतास इन्फ्रा लिमिटेड से बकाया रु.100.84 करोड़ की रकम को मानक आस्ति माना गया है।

4. अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं को छोड़कर अपने परिसरों(भूमि और भवन) का पुनर्मूलांकन किया और आस्तियों कि वर्तमान रखाव मूल्य में रु.1123.55 करोड़ जोड़ दिया है। आस्तियों का पुनर्मूलांकन प्राधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है।

4.2 कुछ कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ लंबित हैं एवं पूरी नहीं हो पाई हैं, छः परिसरों के संबंध में हक विलेखों का निष्पादन/पंजीकरण बैंक के पक्ष में नहीं हो पाया है, जिसकी रकम रु.8.35 करोड़ (पिछले वर्ष सात सम्पतियाँ - रु. 12.37 करोड़) है।

4.3 वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ की रु.68.50 करोड़ की रकम को 31.03.2009 तक पूंजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

रुपया ब्याज दर स्वैप के निरसन पर हुए लाभ की वजह से आस्थगित आय में रु.8.83 करोड़ (पिछले वर्ष रु.2.11 करोड़) की रकम रखी गई है जिसे स्वैप की अनुबंधित शेष आयु से ऊपर अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष आयु जो पहले हो, के रूप में देखा जाना होगा।

6. पूंजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 वर्ष के दौरान बैंक ने निम्न / उच्च टायर II बॉण्ड जारी करके रु.955.30 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष शून्य) की टायर II पूंजी एकत्र की है।

6.2 बैंक ने वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं (गैर-आंतरिक परिचालन के रूप में मानी जाने वाली) की आस्तियों और देयताओं के रूपांतरण से होनेवाले निवल लाभ / हानि को विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती में डाल दिया जो अब तक की पद्धति के अनुसार अन्य देयता / आस्ति में डाला जाता रहा है, उसके विपरीत है। इससे बैंक के लाभ व हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

6.3 वर्ष 1994-95 में विदेशी शाखाओं की आस्तियों और देयताओं के रूपांतरण पर विदेशी विनिमय लाभ के रूप में रु.47.05 करोड़ की रकम को उक्त वर्ष के लाभ हानि खाते में आय के रूप में लिया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बाद के वर्षों में यानी 1995-96 और 1996-97 में

3.6 Pending receipt of special audit report of the independent auditor, the amount of Rs. 100.84 Crores due from Maytas Infra Limited is treated as Standard Asset.

4. Fixed Assets

4.1 During the year, the bank has revalued its premises (land and buildings) other than those at overseas branches and added an amount of Rs. 1123.55 crores to the existing carrying value of assets. The revaluation has been done by approved valuers.

4.2 Pending completion of certain legal and other formalities, title deeds have not been executed/ registered in favour of the Bank in respect of six premises amounting to Rs. 8.35 crores (previous year seven properties - Rs.12.37 crores).

4.3 A sum of Rs. 68.50 crores being profit on sale of Fixed Assets during the year has been appropriated to Capital Reserve as on 31.03.2009.

5. Rupee Interest Rate Swap:

An amount of Rs.8.83 crores (previous year Rs 2.11 crores) is kept in deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate swaps and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 During the year, the Bank has raised Tier II Capital amounting to Rs. 955.30 Crores (previous year NIL) by issue of Lower / Upper Tier II Bonds.

6.2 During the year, the bank has taken the net gain/loss arising out of translation of assets and liabilities of overseas branches (considered as non-integral operations) to Foreign currency Translation reserve as against the practice hitherto followed of taking the same to other liabilities/assets. This does not have any impact on the Profit and loss account of the bank.

6.3 An amount of Rs. 47.05 Crores being foreign exchange gain on translation of Assets and Liabilities of overseas branches in the year 1994-95 was taken as income in the Profit and Loss Account of the said year. As per Reserve Bank of India direction, in the subsequent



बैंक ने उक्त रकम को प्रावधान व आकस्मिकता के तहत लाभ व हानि खाते के नामे कर के प्रत्यावर्तित कर दिया और तुलन-पत्र में अन्य देयताओं के तहत शामिल कर दिया और रकम इसी तरह वहन की जाती रही। वर्ष के दौरान अधिशेष प्रावधान के रूप में उपलब्ध उक्त रकम को अंतरित कर दिया गया और इसे अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान के रूप में लिया गया।

7. कर

अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर/ बिक्री कर से संबंधित रु.641.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु.710.58 करोड़) के विवादित और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

8. वेतन

चालू वर्ष में नवम्बर 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए अनुमानित आधार पर वेतन के बकायों के लिए रु.204 करोड़ का प्रावधान (पिछले वर्ष के रु.60 करोड़ को मिला कर) किया गया है।

9. श्री सुवर्णा सहकारी बैंक लिमिटेड (एसएसएसबीएल) का अर्जन

आवश्यक अनुमोदन लांबित रहते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक और एसएसएसबीएल के बीच विशेष आस्तियों और देयताओं के अर्जन लिए समझौता ज्ञापन इस वर्ष के दौरान लेखों में नहीं लिया गया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं के अर्जन की संभावित तारीख 16 अप्रैल 2009 थी।

10. कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008

10.1 भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 की शर्तों के अनुसार बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से रु.580.19 करोड़ की ऋण राहत की पात्र रकम में से लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋणों के प्रति पहली किस्त के लिए रु.235.53 करोड़ की रकम प्राप्त हुई है।

10.2 बैंक ने उक्त ऋण राहत योजना के तहत उधारकर्ताओं से 30 जून 2009 तक प्राप्य सभी बकायों पर 31 मार्च 2009 तक वर्तमान मूल्य निबंधनों में हानि के लिए अनुमानित आधार पर रु.4.50 करोड़ की रकम का प्रावधान किया है।

years 1995-96 and 1996-97, the bank has reversed the aforesaid amount by debit to Profit and Loss Account under Provisions and Contingencies and included under Other Liabilities in the Balance Sheet and the amount was carried as such. During the year the said amount available as excess provision has been transferred and taken to Provision for Non-performing advances.

7. Taxes

No provision has been considered necessary in respect of disputed and other demands of Income tax/Sales Tax amounting to Rs. 641.39 crores (previous year Rs.710.58 crores) after due consideration of decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts.

8. Salaries

A provision of Rs. 204 Crores (including Rs. 60 Crores relating to previous year) has been made in current year towards arrears of salaries for the period from November 2007 to March 2009 on an estimated basis.

9. Acquisition of Shree Suvarna Sahakari Bank Limited (SSSBL)

Pending necessary approvals, the Memorandum of Understanding between Indian Overseas Bank and SSSBL for take over of the specified assets and liabilities of the latter, has not been given effect to in the accounts of the year. As per Memorandum of Understanding the probable date of takeover of Assets and Liabilities was 16th April, 2009.

10. Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

10.1 In terms of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, framed by the Government of India, the Bank has received Rs. 235.53 crores towards 1st installment from Reserve Bank of India on account of loans to small and marginal farmers, out of the amount eligible for debt waiver of Rs.580.19 crores.

10.2 The Bank has provided an amount of Rs. 4.50 crores on an estimated basis towards the loss in present value terms as on 31 March 2009 against all receivables due till 30 June 2009 from the borrowers under said Debt relief scheme.



10.3 भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा उनके दिनांक 22 सितम्बर 2008 के परिपत्र के जरिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रु.88.56 करोड़ की रकम, जो मूल रकम, अप्रभारित ब्याज, दाण्डिक ब्याज, विधि प्रभार, निरीक्षण प्रभार और विविध प्रभार आदि से अधिक ब्याज रकम को दर्शाती है, उसे अस्थिर प्रावधान के समतुल्य रकम के आहरण द्वारा बैंक द्वारा वहन किया गया है।

10.4 उक्त योजना के तहत भारत सरकार से बकाया रु.344.36 करोड़ की शेष रकम “एडीडब्ल्यू और डीआरएस 2008 के लिए भारत सरकार से प्राप्य दावे” के रूप में दर्शाई गई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की अनुसूची 9 में अग्रिमों के तहत शामिल की गई है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 02.07.2008 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए गए :

1. पूंजी

क्र सं	विवरण	2008-09	2007-08
i	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल I)	12.70%	11.93%
ii	पूंजी पर्याप्तता टायर I पूंजी (%)	7.58%	7.83%
iii	पूंजी पर्याप्तता टायर II पूंजी (%)	5.12%	4.10%
iv	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	61.23%	61.23%
v	टायर II पूंजी (रु.करोड़ों में) के रूप में एकत्रित गौण ऋण की रकम	955.30	शून्य

2. निवेश

2.1 निवेशों का मूल्य (रु करोड़ों में)

	2008-09	2007-08
I. निवेशों का सकल मूल्य		
i) भारत में	30497.19	27467.85
ii) भारत के बाहर	1056.46	1317.06
II. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
i) भारत में	255.21	293.25
ii) भारत के बाहर	83.00	16.96
III. निवेशों का निवल मूल्य		
i) भारत में	30241.98	27174.60
ii) भारत के बाहर	973.46	1300.10

10.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide their Circular dated 22 September 2008, an amount of Rs. 88.56 crores representing the interest in excess of the principal amount, unapplied interest, penal interest, legal charges, inspection charges and miscellaneous charges, etc., is borne by the Bank by draw down of an equivalent amount from the floating provisions.

10.4 The balance amount due from the Government of India under the above scheme amounting to Rs.344.36 crores is shown as 'Claim Receivable from Government of India for ADW&DRS 2008' and included under advances in Schedule 9 as per Reserve Bank of India circular.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 2.07.2008, the following additional disclosures are made :-

1. Capital:

S.No.	Particulars	2008-09	2007-08
i	Capital Adequacy Ratio (%) (Basel I)	12.70%	11.93%
ii	Capital Adequacy Tier I Capital (%)	7.58%	7.83%
iii	Capital Adequacy Tier II Capital (%)	5.12%	4.10%
iv	Percentage of shareholding of Government of India	61.23%	61.23%
v	Amount of Subordinated Debt raised as Tier II Capital (Rs in Crore)	955.30	NIL

2. Investments:

2.1 Value of Investments (Rs. in Crore)

	2008-09	2007-08
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	30497.19	27467.85
(b) Outside India	1056.46	1317.06
(ii) Provision for Depreciation		
(a) In India	255.21	293.25
(b) Outside India	83.00	16.96
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	30241.98	27174.60
(b) Outside India	973.46	1300.10



2.2 भुगतान हेतु परिपक्व हुई प्रतिभूतियों सहित निवेशों पर मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ों में)

	2008-09	2007-08
i. आरंभिक शेष	314.41	158.19
ii. जोड़ें वर्ष के दौरान किए गए एडीडी प्रावधान	253.23	184.95
iii. घटाएँ वर्ष के दौरान किए गए अधिशेष प्रावधानों को बटटे खाते डालना / प्रतिलेखित करना	224.82	28.73
iv. अंतिम शेष	342.82	314.41

2.3 रिपो लेनदेनों

(रु करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान बकाया न्यूनतम		वर्ष के दौरान अधिकतम		वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत		31 मार्च तक	
	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	2009	2008
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	5.51	10.26	3500.00	2400.00	616.58	183.37	245.00	1600.00
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	50.00	23.00	4700.00	700.00	345.98	8.58	रून	रून

2.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु करोड़ों में)

सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश के काम श्रेणी का प्रतिभूतियाँ	अ-श्रेणीकृत प्रतिभूतियाँ	असूचित प्रतिभूतियाँ का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	589.51	320.58	7.60	41.31	42.72
2	वित्तीय संस्थाएँ	401.78	152.93	6.88	18.32	25.21
3	बैंक	1362.93	142.47	0.00	0.00	0.00
4	निजी कार्पोरेट	708.57	339.13	10.00	3.05	3.05
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	518.68	163.63	0.00	46.67	0.00
7	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	199.37	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	3809.34	1147.24	24.48	109.35	70.98

2.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु करोड़ों में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2008 तक आरंभिक शेष	4.17
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	12.66
उपरोक्त वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0
31.03.2009 तक अंतिम शेष	16.83
कुल धारित प्रावधान	5.67

2.2 Movement of Provision held towards depreciation on Investments including securities matured for payment

(Rs. In Crore)

	2008-09	2007-08
(i) Opening Balance	314.41	158.19
(ii) ADD Provisions made during the year	253.23	184.95
(iii) LESS Write off/Write Back of excess provisions during the year	224.82	28.73
(iv) Closing Balance	342.82	314.41

2.3 Repo transactions:

(Rs in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		As on March 31	
	08-09	07-08	08-09	07-08	08-09	07-08	2009	2008
Securities sold under Repos	5.51	10.26	3500.00	2400.00	616.58	183.37	245.00	1600.00
Securities Purchased under reverse Repos	50.00	23.00	4700.00	700.00	345.98	8.58	Nil	Nil

2.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition Of Non-SLR Investments

(Rs. in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below Investment grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	589.51	320.58	7.60	41.31	42.72
2	FIs	401.78	152.93	6.88	18.32	25.21
3	Banks	1362.93	142.47	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporate	708.57	339.13	10.00	3.05	3.05
5	Subsidiaries / Joint Ventures	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	Others	518.68	163.63	0.00	46.67	0.00
7	Provision held towards depreciation	199.37	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	3809.34	1147.24	24.48	109.35	70.98

2.5 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1 st April 2008	4.17
Additions during the year since 1 st April	12.66
Reductions during the above period	0
Closing Balance as on 31 st March 2009	16.83
Total Provisions held	5.67



3. डेरिवेटिव्स

3.1 वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09			2007-08		
	रुपया एक्योजर	एफएक्स एक्योजर	कुल	रुपया एक्योजर	एफएक्स एक्योजर	कुल
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूल	1800.00	1756.42	3556.42	1425.00	2030.00	3455.00
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होते हैं तो उससे होने वाली हानि	54.33	66.58	120.91	4.35	55.50	59.85
iii) स्वैप करने पर बैंक को अपेक्षित संपाश्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न उधार जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	26.07	-9.98	16.09	-15.09	-9.11	-24.20

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. कराड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	रकम
i)	वर्ष के दौरान कृत विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य
ii)	31 मार्च 2009 तक बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "उच्च प्रभावी" नहीं (लिखत वार)	शून्य
iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स के बाजार मूल्य को बहीगत मूल्य और "उच्च प्रभावी" नहीं (लिखत वार)	शून्य

3.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेशरी (विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) और मुद्रा स्वैप और विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक उच्च निवल मूल्य कार्पोरेट ग्राहकों को इन उत्पादों को भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को संभाल सके। इस तरह के लेनदेन सिर्फ उन ग्राहकों व बैंकों के साथ ही रखा जाता है जिनके करार उपलब्ध हैं।

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs in crore)

PARTICULARS	2008-09			2007-08		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	1800.00	1756.42	3556.42	1425.00	2030.00	3455.00
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements	54.33	66.58	120.91	4.35	55.50	59.85
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swap	Nil	Nil	Nil	Nil	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	26.07	-9.98	16.09	-15.09	-9.11	-24.20

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. In crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2009 (instrument wise)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil

3.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

3.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses the Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to high Net Worth corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.



- अ) बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ, विदेशी उधार / एफ सी एन आर [बी] पोर्टफोलियो / आस्ति देयता के बेमेल आदि के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज / विनमय दरों में जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिवस उत्पादों का प्रयोग करने और ऐसे उत्पाद दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती हैं।
- आ) बैंक के पास डेरिवेटिवस एक्सपोजर को अलग से मूल्यांकन करने और डेरिवेटिवस लेनदेनों को करने के लिए उचित ऋण व्यवस्था करते हुए प्रत्येक ग्राहक का निवल मूल्य व प्रतिभूति समर्थन का विधिवत संगणन करने की प्रणाली है।
- इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिवस के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। डेरिवेटिव लेनदेनों को प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमा के अंदर ही सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी से किया गया।
- ई) बैंक ने डेरिवेटिवस के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।
- उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम में परिणामी एक्सपोजर के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।
- ऊ) बैंक के तुलन-पत्र की प्रतिरक्षा करने और चयनित उच्च निवल संपत्ति वाले कार्पोरेट ग्राहकों को दुतरफा आधार पर प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा डेरिवेटिवस का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार एक्सपोजर को पार नहीं किया है। दुतरफा लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णतः मेल खाते हैं और आरक्षित एक्सपोजर नहीं हैं।
- ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिवस से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि खाते में लिया गया है। स्वैप के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों के कारण प्राप्त आय, स्वैप की शेष सांविदिक आयु या आस्तियों / देयताओं की आयु, जो भी कम हो, पर पहचानी जाएगी।

- a) The Risk Management policies of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest / Exchange rates that arise on account of overseas borrowing / FCNR (B) portfolio / the asset liability mis-match etc., and also to offer such products on back-to-back basis to customers.
- b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.
- c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with counterparties well within the exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.
- d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.
- e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.
- f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance Sheet and offered to select high net worth corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party bank transactions and there is no uncovered exposure.
- g) The income from such derivatives are amortised and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps, income on account of such gains would be recognised over the remaining contractual life of the swap or life of the assets / liabilities whichever is lower.



- ए) सभी प्रतिरक्षा लेनदेन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाया संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेनदेन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं।
- ऐ) डेरिवेटिव लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

ट्रेजरी (देशी)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सिर्फ प्रतिरक्षा करने के लिए और गौण ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) का प्रयोग करता है। स्वैप लेनदेन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार हैं।

क. बैंक ने डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं की है।

ख. बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली स्थापित कर रखी है और डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने के लिए उचित जोखिम सूचना प्रणाली उपलब्ध है। आइआरएस लेनदेन केवल बैंकों के साथ प्रति पार्टियों के रूप में किए जाते हैं और ये हर प्रति पार्टियों के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अन्दर होते हैं।

ग. बैंक में डेरिवेटिव्स के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने डेरिवेटिव्स का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है।

घ. बैंक केवल दुतरफा रूप में या बैंक के तुलन-पत्र की प्रतिरक्षा करने के लिए डेरिवेटिव्स का प्रयोग करता है और प्रतिरक्षा का मूल्य और परिपाक अन्तरनिहित एक्सपोजर से अधिक नहीं हुआ है।

ङ. इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से प्राप्त लाभ का परिशोधन किया जाता है और उन्हें संविदा की आयु तक उपचित आधार पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

च. डेरिवेटिव्स के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है।

- h) All the hedge transactions have been accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.
- i) The derivative transactions are conducted in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses the Rupee Interest Rate Swaps (IRS) only for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and term deposits. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

- a) The Bank has not engaged in trading in derivatives.
- b) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of the Bank for each counter party.
- c) The Bank has an approved policy in force for Derivatives and set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.
- d) Derivatives are used by the Bank only as Back to Back or to hedge Bank's Balance Sheet and the value and maturity of the hedge has not exceeded that of the underlying exposure.
- e) The unwind gain from such derivatives are amortized and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract.
- f) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines.



3.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स व विकल्प	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i.	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क. प्रतिरक्षा के लिए	1908.66	2796.97
	ख. व्यापार के लिए	331.67	759.45
ii.	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति [1]		
	क. आस्तियाँ (+)	324.19	40.85
	ख. देयताएँ (-)	37.81	128.37
iii.	उधार एक्सपोजर [2]	517.47	144.40
iv.	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)		
	क. प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	54.08	54.56
	ख. व्यापार डेरिवेटिव्स पर	12.80	49.02
v.	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
	क. प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 54.08 न्यूनतम 37.15	अधिकतम 50.42 न्यूनतम 17.93
	ख. व्यापार पर	अधिकतम 12.80 न्यूनतम 1.43	अधिकतम 49.02 न्यूनतम 42.73

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ों में)

	2008-09	2007-08	
i.	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%)	1.33	0.60
ii.	एनपीए की प्रचलन (सकल)		
	क. प्रारंभिक शेष	996.95	1120.21
	ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	2261.85	665.00
	ग. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1335.39	788.26
	घ. अंतिम शेष	1923.41	996.95
iii.	एनपीए की प्रचलन		
	क. प्रारंभिक शेष	363.20	257.83
	ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	1971.33	665.00
	ग. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1335.39	559.63
	घ. अंतिम शेष	999.14	363.20
iv.	एनपीए की प्रचलन के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
	क) प्रारंभिक शेष	569.94	787.97
	ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	365.50	125.44
	ग) बटुटे खाते में डाले गए / पुनरांकित अधिशेष प्रावधान	183.40	343.47
	घ) अंतिम शेष	752.04	569.94

3.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. In crore)

S. NO.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	1908.66	2796.97
	b) For Trading	331.67	759.45
(ii)	Mark to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	324.19	40.85
	b) Liability (-)	37.81	128.37
(iii)	Credit Exposure [2]	517.47	144.40
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	54.08	54.56
	b) on trading derivatives	12.80	49.02
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 54.08 Minimum 37.15	Maximum 50.42 Minimum 17.93
	b) on trading	Maximum 12.80 Minimum 1.43	Maximum 49.02 Minimum 42.73

4. ASSET QUALITY:

4.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. in crore)

	2008-09	2007-08	
i	Net NPA to Net Advances(%)	1.33	0.60
ii	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	996.95	1120.21
	b) Additions during the year	2261.85	665.00
	c) Reductions during the year	1335.39	788.26
	d) Closing Balance	1923.41	996.95
iii	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	363.20	257.83
	b) Additions during the year	1971.33	665.00
	c) Reductions during the year	1335.39	559.63
	d) Closing Balance	999.14	363.20
iv	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	569.94	787.97
	b) Provisions made during the year	365.50	125.44
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	183.40	343.47
	d) Closing balance	752.04	569.94



4.2.1 वर्ष के दौरान पुनर्संरचना के तहत ली गई ऋण आस्तियों के विवरण

(रु.करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
i. पुनःसंरचना, पुनःसमय निर्धारण, पुनःपरक्रामन के तहत लाए गए ऋण आस्तियों की कुल रकम	5060.49	645.60
- उक्त में से सीडीआर के तहत	71.62	39.65
ii. पुनःसंरचना, पुनःसमय निर्धारण, पुनःपरक्रामन के तहत लाए गए मानक आस्तियों की कुल रकम	4648.45	645.49
- उक्त में से सीडीआर के तहत	71.62	39.65
iii. पुनःसंरचना, पुनःसमय निर्धारण, पुनःपरक्रामन के तहत लाए गए अवमानक आस्तियों की कुल रकम	411.53	0.11
- उक्त में से सीडीआर के तहत	शून्य	शून्य
iv. पुनःसंरचना, पुनःसमय निर्धारण, पुनःपरक्रामन के तहत लाए गए संदिग्ध आस्तियों की कुल रकम	0.51	शून्य
- उक्त में से सीडीआर के तहत	शून्य	शून्य
नोट : [(i) = (ii) + (iii) + (iv)]	शून्य	शून्य

4.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27-08-2008 के परिपत्र के अनुसार पुनर्संरचित खातों के अतिरिक्त विवरण

(रु.करोड़ों में)

	सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य	
मानक अग्रिम पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की सं. बकाया रकम	3	1582	8124
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	71.62	419.43	4110.25
		1.49	6.32	67.85
अवमानक अग्रिम पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की सं. बकाया रकम	शून्य	28	123
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	शून्य	19.09	392.44
		शून्य	0.06	7.36
संदिग्ध अग्रिम पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की सं. बकाया रकम	शून्य	4	2
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	शून्य	0.47	0.04
		शून्य	शून्य	शून्य
कुल	उधारकर्ताओं की सं. बकाया रकम	3	1614	8249
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)	71.62	438.99	4502.73
		1.49	6.38	75.21

4.2.1 Details of Loan assets subjected to restructuring

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(i) Total Amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, re-negotiation	5060.49	645.60
- Of which under CDR	71.62	39.65
(ii) Total amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	4648.45	645.49
- Of which under CDR	71.62	39.65
(iii) Total amount of Substandard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	411.53	0.11
- Of which under CDR	Nil	Nil
(iv) Total Amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	0.51	Nil
- Of which under CDR	Nil	Nil

Note : [(i) = (ii) + (iii) + (iv)]

4.2.2 Additional Particulars of Accounts Restructured as per Reserve Bank of India Circular dated 27.08.2008

(Rs. In Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	3	1582	8124
	Amount outstanding	71.62	419.43	4110.25
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.49	6.32	67.85
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	Nil	28	123
	Amount outstanding	Nil	19.09	392.44
	Sacrifice (diminution in the fair value)	Nil	0.06	7.36
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	Nil	4	2
	Amount outstanding	Nil	0.47	0.04
	Sacrifice (diminution in the fair value)	Nil	Nil	Nil
TOTAL	No. of Borrowers	3	1614	8249
	Amount outstanding	71.62	438.99	4502.73
	Sacrifice (diminution in the fair value)	1.49	6.38	75.21



4.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17-04-2009 के परिपत्र के अनुसार पुनर्संरचित खातों के अतिरिक्त विवरण

क्र.सं.	प्रकटीकरण	संख्या	रकम (रु. करोड़ों में)
1.	1 सितंबर 2008 तक मानक खातों के संबंध में पुनर्संरचना के लिए 31 मार्च 2009 तक प्राप्त आवेदन	11892	8259
2.	(1) में से 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित प्रस्ताव और इस प्रकार विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र होने और तुलन-पत्र की तारीख को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	9793	4896
3.	(1) में से 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित प्रस्ताव परंतु मानक वर्ग में उन्नयन नहीं किया जा सका	46	80
4.	(1) में से प्रक्रियाधीन / कार्यान्वयन किए जा रहे प्रस्ताव जो 31 मार्च 2009 तक मानक थे।	621	2996
5.	(1) में से प्रक्रिया / कार्यान्वयन के अधीन प्रस्ताव जो 31 मार्च 2009 को एनपीए हो गए किन्तु पैकेज के पूरा कार्यान्वयन होने पर मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए प्रत्याशित	129	122

लेखा परीक्षकों ने पुनर्संरचित प्रस्तावों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन के अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

4.2.4 बैंक ने 31 मार्च 2009 के बाद कुछ ऋणों का उन्नयन किया है जिनके संबंध में उस तारीख तक पुनर्संरचना के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन थे और जिनका कार्यान्वयन अब पूरा हो गया है।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सकल एनपीए और निवल एनपीए रु.315.80 करोड़ और रु.283.31 करोड़ क्रमशः और बढ़ गए होते; एनपीए के लिए अधिक प्रावधान करना पड़ता और 31.03.2009 तक अग्रिम रु.25.44 करोड़ तक कम हो जाते (निवल त्याग रु.7.04 करोड़), जो बहरहाल, एनपीए के प्रति खातों में उपलब्ध यथेष्ट अतिरिक्त प्रावधान द्वारा कवर कर लिया गया है। अतः 31.03.2009 तक वर्ष के लाभ / अग्रिमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

4.2.3 Additional Particulars of Accounts Restructured as per Reserve Bank of India Circular dated 17.04.2009

S.No	Disclosures	Number	Amount (Rs. In Crore)
1.	Application received upto March 31, 2009 for restructuring in respect of accounts which were Standard as on September 1, 2008	11892	8259
2.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as Standard assets as on the date of Balance Sheet	9793	4896
3.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the Standard category	46	80
4.	Of (1), proposal under process / implementation which were Standard as on March 31, 2009	621	2996
5.	Of (1), proposals under process / implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as Standard assets on full implementation of the package.	129	122

The auditors have relied on the management representation for the full implementation of the restructuring proposals.

4.2.4 The bank has, after March 31, 2009, upgraded certain loans in respect of which proposals for restructuring were under process as on that date, the implementation of which has since been completed.

Had this not been done, the Gross NPA and Net NPA would have been higher by Rs. 315.80 Crores and Rs. 283.31 Crores respectively; the provision required to be made towards NPA would have been higher and Advances as at 31.03.2009 lower by Rs. 25.44 crores (net of sacrifice Rs. 7.04 crores), which however, is covered by adequate additional provision available in the accounts towards NPAs. Hence, there is no effect of the same on the profits of the year / Advances as at 31.03.2009.



4.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
(i) खातों की संख्या	1	35
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल योग मूल्य [प्रावधानों का निवल]	शून्य	57.33
(iii) कुल योग प्रतिफल	1.94	62.63
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल योग लाभ / हानि	1.94	5.30*

* बाद में ईसीजीसी दावा निपटा लिया गया और प्राप्त रकम रु.1.47 करोड़ है।

4.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

4.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
1. [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल योग बकाया	शून्य	शून्य
2. [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल योग बकाया	शून्य	शून्य

4.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
1. विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2. कुल योग बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल योग प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company, for Asset reconstruction

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(i) No. of accounts	1	35
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	57.33
(iii) Aggregate consideration	1.94	62.63
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain/loss over net book value	1.94	5.30*

* Subsequently ECGC claim settled and amount received – Rs. 1.47 Crore

4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

4.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

4.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil



4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	359.95	307.82

5. कारोबार अनुपात

विवरण	2008-09	2007-08
(i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.74%	9.77%
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.60%	1.00%
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रति प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.55%	2.46%
(iv) औसत आस्तियों से प्रतिलाभ	1.17%	1.30%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) (रु. 000 में)	68950	58270
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. 000 में)	520	482

4.5 Provisions on Standard Asset

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
Provisions towards Standard Assets	359.95	307.82

5 BUSINESS RATIOS

Particulars	2008-09	2007-08
(i) Interest Income as a percentage to Average Working Funds	9.74%	9.77%
(ii) Non Interest Income as a percentage to Working Funds	1.60%	1.00%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.55%	2.46%
(iv) Return on Avg. Assets	1.17%	1.30%
(v) Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in 000s)	68950	58270
(vi) Profit per employee (Rs. in 000s)	520	482

6) आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2009 तक आस्तियों व देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

(रु. करोड़ों में)

	1से 14 दिन	15से 28 दिन	29 दिन से 3 महिने	>3महिने से 6 महिने	>6 महिने से 12 महिने	>1 वर्ष से 3 वर्ष	>3 वर्ष से 5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमाएँ	7670.69	3165.43	8400.39	12583.30	13155.30	49501.61	2002.47	3636.70	100115.88
अग्रिम (सकल)	8093.77	990.50	8078.88	4038.69	7316.08	29225.07	7207.61	10858.94	75809.54
निवेश (सकल)	662.96	222.52	972.38	1370.41	919.32	4948.71	4462.54	17994.81	31553.65
उधार	2082.15	-	500.03	300.00	255.09	3411.01	-	-	6548.28
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	454.34	112.82	1233.76	855.35	15.22	282.00	126.80	0.00	3080.29
विदेशी मुद्रा देयताएँ	660.59	31.43	207.57	264.84	579.90	2046.20	8.93	0.00	3799.46

6 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2009

(Rs. in crore)

	1-14 days	15-28 days	29days -3mths	>3m to 6mths	>6m to 12 mths	>1yr to 3yrs	>3yrs to 5 yrs	> 5yrs	Total
Deposits	7670.69	3165.43	8400.39	12583.30	13155.30	49501.61	2002.47	3636.70	100115.88
Advances (Gross)	8093.77	990.50	8078.88	4038.69	7316.08	29225.07	7207.61	10858.94	75809.54
Investments (Gross)	662.96	222.52	972.38	1370.41	919.32	4948.71	4462.54	17994.81	31553.65
Borrowings	2082.15	-	500.03	300.00	255.09	3411.01	-	-	6548.28
Foreign Currency Assets	454.34	112.82	1233.76	855.35	15.22	282.00	126.80	0.00	3080.29
Foreign Currency Liabilities	660.59	31.43	207.57	264.84	579.90	2046.20	8.93	0.00	3799.46



7. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार [बैंक द्वारा प्रमाणितानुसार]

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ों में)

प्रवर्ग	2008-09	2007-08
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक उधारकर्ता की रिहाइशी संपत्ति जिसमें उधारकर्ता खुद रहते हैं या रहने वाले हैं या किराए पर दी हुई है उसपर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत उधार : जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	3900.36 3027.34	3043.54 2935.22
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी जमीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार रिहायशी भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस जमीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ सम्मिलित हैं।	5819.07	3669.10
iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत निवेश क. रिहाइशी ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.63 --	1.02 15.04
आ) अप्रत्यक्ष ऋण : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	751.71	404.02

नोट: अधिकांश लिक्विड ऋणों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

7.2 पूँजी बाजार में उधार

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों में जिसकी निधि का निवेश विशिष्ट: कार्पोरेट ऋण में न किया गया है, आदि में किए गए निवेश	396.82	560.91

7 LENDING TO SENSITIVE SECTOR (As certified by the Bank)

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs in crore)

Category	2008-09	2007-08
(a) Direct Exposure	3900.36	3043.54
i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	3027.34	2935.22
ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	5819.07	3669.10
iii) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures -		
a. Residential	0.63	1.02
b. Commercial Real estate	-	15.04
(b) Indirect Exposure: Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	751.71	404.02

Note: Most Liquident loans are not classified as Commercial Real Estate

7.2 Exposure to Capital Market:

(Rs in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(i) Direct investment made in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	396.82	560.91



ii) शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की युनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निर्बंध आधार पर अग्रिम	18.94	6.53	(ii) advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	18.94	6.53
iii) शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लेकर किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम	812.72	0.41	(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	812.72	0.41
iv) शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को संपाश्विक प्रतिभूति के रूप में रखकर किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहाँ शेयर, परिवर्तनशील बाँड, परिवर्तनशील डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिट की प्रतिभूति अग्रिम पूर्णतः कवर न करती हो	0.00	94.42	(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	94.42
v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ	175.43	210.03	(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	175.43	210.03
vi) संसाधन जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की इक्विटी के प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति करने हेतु शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निर्बंध आधार पर कार्पोरेट्स को मंजूरित ऋण	250.00	0.71	(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	250.00	0.71
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य	(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
viii) शेयरों का मूल निर्गम या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड के युनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य	(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	शून्य	शून्य	(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी उधारों को इक्विटी के समकक्ष माना जाएगा और इसलिए उसे पूंजी बाजार उधार सीमाओं के साथ अनुपालन हेतु हिसाब में लिया जाएगा (दोनों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष)	116.96	88.62	(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	116.96	88.62
पूंजी बाजार को कुल उधार	1770.87	961.63	Total Exposure to Capital market	1770.87	961.63



7.3 जोखिम वर्ग वार किसी देश में किसी बैंक का ऋण

(रु. करोड़ों में)

जोखिम वर्ग	31.3.2009 तक निवल अग्रिम	31.3.2009 तक धारित प्रावधान	31.3.2008 तक कुल अग्रिम	31.3.2008 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	7219.74	2.93	4976.49	1.92
कम	2012.35	शून्य	1606.81	शून्य
सामान्य	1305.87	शून्य	561.44	शून्य
उच्च	17.39	शून्य	12.50	शून्य
उच्चतर	5.78	शून्य	8.57	शून्य
प्रतिबंधित	1.27	शून्य	0.00	शून्य
उधार-इतर	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	10562.40	2.93	7165.81	1.92

7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और 2009 के लिए हमारे बैंक की ऋण नीति दस्तावेज की शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु 1188.73 करोड़ (पूंजी निधि का 15%) है और समूह उधारकर्ता सीमा रु 3169.94 करोड़ (पूंजी निधि का 40%) है।

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	मंजूरित सीमा	जिस अवधि दौरान अधिक हुई	बकाया रकम जिस अवधि के दौरान सीमा अधिक हुई	बोर्ड मंजूरी विवरण	31.03.2009 तक स्थिति बकाया
1.	भारतीय कृषक व उर्वरक कंपनी लिमिटेड (इफको)	1188.73	एफबी 1212.50	अनधिक	अप्रयोज्य	रु. 1584.97 करोड़ तक	एफबी 1057.24
			एनएफबी 350.00			उधार सुविधा देने के लिए अनुमति	एनएफबी 126.01
2.	एशिया मेटल्स एण्ड कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड सिंगापुर	100.00	142.59 (यूएसडी 20 मियो)	26.08.08	33.53	30.09.08	23.33 (यूएसडी 4.60 मियो)

8. विविध

8.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की रकम

(रु. करोड़ों में)

	2008-09	2007-08
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	698.20	509.19
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	12.94	24.00

7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2009	Provision held as at 31.3.2009	Exposure (net) as at 31.3.2008	Provision held as at 31.3.2008
Insignificant	7219.74	2.93	4976.49	1.92
Low	2012.35	Nil	1606.81	Nil
Moderate	1305.87	Nil	561.44	Nil
High	17.39	Nil	12.50	Nil
Very High	5.78	Nil	8.57	Nil
Restricted	1.27	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	10562.40	2.93	7165.81	1.92

7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2009, the permissible level of Single Borrower exposure ceiling is Rs. 1188.73 crores (15% of Capital funds) and Rs. 3169.94 crores for Group Borrower limit (40% of Capital funds)

(Rs. In Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Amount Outstanding during the period limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.03.2009 outstanding
1.	Indian Farmers & Fertilisers Company Ltd, (IFFCO)	1188.73	FB 1212.50 NFB 350.00	Not exceeded	Not applicable	Permitted to consider Credit facilities upto Rs. 1584.97 crores	FB 1057.24 NFB 126.01
2.	Asia Metals and Commodities Pte. Ltd. Singapore	100.00 (USD 20 mio)	142.59 (USD 28.518 mio)	26.08.08	33.53 (USD 7.63 mio)	30.09.08	23.33 (USD 4.60 mio)

8. MISCELLANEOUS

8.1 Amount of provisions made during the year:

(Rs. in crore)

	2008-09	2007-08
Provision for Income Tax (net)	698.20	509.19
Provision for Fringe Benefit Tax	12.94	24.00



8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण : शून्य

8.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(रु. करोड़ों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत “ प्रावधान व आकस्मिकताएँ ” का ब्रेकअप	2008-09	2007-08
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1.07	150.15
एनपीए के प्रति प्रावधान	365.50	125.44
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	47.40	65.52
आयकर (एफबीटी, आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किए गए प्रावधान	628.51	452.60
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	155.45	5.73
कुल	1197.93	799.44

8.4 अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
क) अस्थिर प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	259.92	259.92
ख) लेखाकरण वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग) लेखांकन वर्ष के दौरान डा डाउन रकम	88.56	शून्य
घ) अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	171.36	259.92

8.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

8.5.1 ग्राहकों की शिकायतें

(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	54
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1328
(ग) वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	1335
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	47

8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI: NIL

8.3 Provisions and Contingencies – Break-up

(Rs. in Crores)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2008-09	2007-08
Provisions for depreciation on Investment	1.07	150.15
Provision towards NPA	365.50	125.44
Provision towards Standard Assets	47.40	65.52
Provision made towards Income Tax (incl FBT, Deferred Tax & Wealth Tax)	628.51	452.60
Other Provision and Contingencies	155.45	5.73
TOTAL	1197.93	799.44

8.4 Floating Provisions

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2007-08
(a) Opening balance in the floating provisions account	259.92	259.92
(b) the quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	88.56	Nil
(d) closing balance in the floating provisions account	171.36	259.92

8.5 Disclosure of complaints

8.5.1 Customer Complaints

(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	54
(b) No. of complaints received during the year	1328
(c) No. of complaints redressed during the year	1335
(d) No. of complaints pending at the end of the year	47



8.5.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

(क) वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	2
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2

8.6 चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी)

(रु.कराड़ो में)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन-पत्र	1029
मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव	758
संचयी मूल्यांकित वित्तीय बाध्यताएं	853

9 लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

- बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया था।
- 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने रु.19 करोड़ की रकम को रिवर्स किया जो चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान था जिसकी अब आवश्यकता नहीं रही। इसमें से, पिछले वर्ष के रु.6.12 करोड़ के आस्थागित कर का निवल, रु.18 करोड़ का संक्रमकालीन प्रावधान के रूप में आरक्षितियों के नामे किए गए प्रावधान को आरक्षितियों में पुनः जमा किया गया है और रु.1 करोड़ शेष लाभ व हानि खाते में जमा किया गया।
- वर्ष के प्रारंभ में कर्मचारी पेंशन के कारण न पहचानी गयी संक्रमणधीन देयता का शेष रु.356 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.445 करोड़) रु.89 करोड़ (पिछले वर्ष रु.89 करोड़) की रकम 31.03.2009 को समाप्त चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रु.267 करोड़ की न पहचानी गयी देयता का शेष अगले तीन वर्षों में समान रूप से प्रभारित किया जाना है।

8.5.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	2
(c) No. of Awards implemented during the year	2
(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	2

8.6 Letters of Comfort (LoC)

(Rs. In Crore)

Letters of Comfort issued during the year	1029
Assessed Financial Impact	758
Cumulative Assessed Financial Obligations	853

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS:

9.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.
- During the year ended 31st March 2009, the Bank has reversed an amount of Rs. 19 Crores, being Provision for Medical benefits no longer required. Of this, the provision debited to Reserves as transitional provision in the previous year of Rs. 18 Crores, net of deferred Tax of Rs. 6.12 Crores, has been re-credited to Reserves and balance Rs. 1 Crore credited to Profit and Loss account.
- The balance of unrecognised Transitional Liability on account of Employee Pension amounted to Rs 356 Crores (previous year Rs. 445 Crores) at the beginning of this year. A sum of Rs. 89 Crores (previous year Rs. 89 Crores) has been charged to Profit & Loss Account of the current year ended 31.03.2009. The balance Unrecognised Liability of Rs.267 crores is to be charged off equally over the next three years



iv. लेखांकन मानक -15(परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन-पत्र में पहचाने गए दीर्घावधि कर्मचारी लाभ और नियोजन के बाद लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत है:

क. परिभाषित लाभकारी योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	(रु. करोड़ों में)					
	पेंशन (निधि)		गैच्युटी (निधि)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधि)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	1572.27	1013.65	466.18	430.00	247.83	225.00
ब्याज लागत	117.92	76.02	36.37	33.72	18.96	17.72
वर्तमान सेवा लागत	28.57	27.47	25.83	24.47	14.96	12.88
प्रदत्त लाभ	(73.60)	(62.95)	(23.21)	(17.12)	(21.63)	(7.03)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान/(लाभ)	64.74	518.08	2.17	(4.89)	(6.12)	(0.74)
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

	(रु. करोड़ों में)					
	पेंशन (निधि)		गैच्युटी (निधि)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधि)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1572.27	1013.65	466.18	439.23	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	91.22	76.02	43.02	40.62	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	192.91	152.51	11.00	7.50	21.63	7.03
प्रदत्त लाभ	(73.60)	(62.95)	(23.21)	(17.12)	(21.63)	(7.03)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान/(लाभ)	(72.90)	(393.04)	10.35	4.05	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	1709.90	1572.27	507.34	466.18	0.00	0.00

@ संक्रमणकालीन देयता सहित - ऊपर नोट सं-9.1(iii) देखें

iv) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) is as under:

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

	(Rs. In Crores)					
	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	(Funded)	(Funded)	(Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Present Value of obligation as at the beginning of the year	1572.27	1013.65	466.18	430.00	247.83	225.00
Interest Cost	117.92	76.02	36.37	33.72	18.96	17.72
Current Service Cost	28.57	27.47	25.83	24.47	14.96	12.88
Benefits Paid	(73.60)	(62.95)	(23.21)	(17.12)	(21.63)	(7.03)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	64.74	518.08	2.17	(4.89)	(6.12)	(0.74)
Present Value of Obligation at year end	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83

Change in Fair Value of Plan Asset

	(Rs. In Crores)					
	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	(Funded)	(Funded)	(Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1572.27	1013.65	466.18	439.23	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	91.22	76.02	43.02	40.62	0.00	0.00
Employer's contribution	192.91	152.51	11.00	7.50	21.63	7.03
Benefit Paid	(73.60)	(62.95)	(23.21)	(17.12)	(21.63)	(7.03)
Actuarial loss/ (gain) on Obligations	(72.90)	(393.04)	10.35	4.05	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year @	1709.90	1572.27	507.34	466.18	0.00	0.00

@ including transitional liability – See Note 9.1(iii) above



तुलन - पत्र में पहचानी गयी रकम

	(रु. करोड़ों में)					
	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83
वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	1442.90	1216.27	507.34	466.18	0	0
तुलन-पत्र में पहचानी गयी अनिधिक निवल देयता	267.00	356.00	-	-	254.00	247.83

घ) लाभ व हानि में पहचाना गया व्यय

	(रु. करोड़ों में)					
	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
वर्तमान सेवा लागत	28.57	27.47	25.83	24.47	14.96	12.88
ब्याज लागत	117.92	76.02	36.37	33.72	18.96	17.72
योजना आस्ति पर प्रत्याशित लाभ	(91.22)	(76.02)	(43.02)	(40.62)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	137.64	125.04	(8.18)	0.84	(6.12)	0.74
लाभ व हानि खाते में पहचाना गया कुल व्यय	192.91	152.51	11.00	16.73	27.80	29.86

पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता

	पेंशन न्यास (%)		ग्रैच्युटी न्यास (%)	
	2009	2008	2009	2008
क. ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	25.53	26.12	27.32	28.59
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.17	16.97	18.17	17.57
पीएसयु में निवेश *	50.41	46.56	43.97	42.82
अन्य निवेश	7.89	10.35	10.54	11.02
ख. ईक्विटी लिखत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश में इस बैंक की पेंशन निधि में रु.210 करोड़ (15.05%) और ग्रैच्युटी निधि में रु.35 करोड़ (7.75%) की अपनी मियादी जमाएं शामिल हैं।

Amount recognized in Balance Sheet

	(Rs. In Crores)					
	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	(Funded)	(Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	1709.90	1572.27	507.34	466.18	254.00	247.83
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1442.90	1216.27	507.34	466.18	0	0
Un-funded Net Liability	267.00	356.00	-	-	254.00	247.83

Expenses Recognised in Profit & Loss

	(Rs. In Crores)					
	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	(Funded)	(Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)	(Un Funded)
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Current Service Cost	28.57	27.47	25.83	24.47	14.96	12.88
Interest Cost	117.92	76.02	36.37	33.72	18.96	17.72
Expected return on Plan Asset	(91.22)	(76.02)	(43.02)	(40.62)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	137.64	125.04	(8.18)	0.84	(6.12)	0.74
Total expenses recognized in Profit & Loss Account	192.91	152.51	11.00	16.73	27.80	29.86

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2009	2008	2009	2008
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	25.53	26.12	27.32	28.59
State Government Securities	16.17	16.97	18.17	17.57
Investment in PSU*	50.41	46.56	43.97	42.82
Other Investments	7.89	10.35	10.54	11.02
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

* Investments in PSU includes own Fixed Deposits of this Bank Rs. 210 Crores (15.05%) in Pension Fund and Rs. 35 Crores (7.75%) in Gratuity Fund.



तुलन - पत्र तारीख पर मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त) (रु. करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
बट्टा दर	7.50%	7.50%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
योजना आस्तियों पर						
प्रत्याशित लाभ दर	9.23%	9.23%	9.57%	9.35%	0%	0%
वेतन वृद्धि की						
प्रत्याशित दर	5%	5%	5%	5%	5%	5%
अपनायी गयी प्रक्रिया	प्रत्याशित युनिट उधार		प्रत्याशित युनिट उधार		प्रत्याशित युनिट उधार	

योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ: ग्रैच्युटी रु.53.37 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार भावी वेतन वृद्धि का अनुमान योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को हिसाब में लेते हुए।

वेतन बकायों के कारण होने वाले कर्मचारी लाभ में संभावित वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि बकाया का प्रावधान अनुमानित है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

ख. परिकल्पनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है:

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31 03 2009) को सरकारी बांडों पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में तय किया गया है।

प्रत्याशित लाभ दर - पेंशन व ग्रैच्युटी के नकदीकरण के संबंध में प्रत्याशित लाभ दर को सरकारी बांड पर प्रतिलाभ के आधार पर तय किया गया है। ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक प्रतिलाभ को लिया गया है।

संवेतन वृद्धि : बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए गत डाटा के आधार पर

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Discount Rate	7.50%	7.50%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
Expected rate of return on Plan Assets	9.23%	9.23%	9.57%	9.35%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Actual return on Plan Assets: Gratuity Rs. 53.37 Crores

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

No provision is made for possible increase in employee benefits arising on account of wage arrears as the arrears provision is only an estimate.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(b) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate:- The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation.(Balance sheet dated 31.03.2009)

Expected Rate of Return: In case of Pension and Leave Encashment, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data provided by the bank



ग. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक)
(रु. करोड़ों में)

	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण	चिकित्सा चिकित्सा अवकाश	
01 04 2008 तक देयता	30.00	19.00	85.02
31 03 2009 तक देयता	30.00	0.00	85.02
लाभ व हानि खाते में नामे डाली गयी रकम	शून्य	(1.00)*	शून्य

* ऊपर नोट सं-9.1(ii) देखें

- घ. अगले वित्तीय वर्ष में ग्रैच्युटी के लिए दी जाने वाली अधिक से अधिक अनुमानित प्रत्याशित रकम रु.18 करोड़ है।
- ड. परिभाषित अंशदान योजना के लिए अंशदान - भविष्य निधि रु.620.25 करोड़ (पिछले वर्ष रु.563.61 करोड़)

(c) Other long term employee's benefits (Un-Funded)
(Rs. In Crores)

	LTC/LFC Encashment	Medical	Sick Leave
Liability as on 01.04.2008	30.00	19.00	85.02
Liability as on 31.03.2009	30.00	0.00	85.02
Amount debited/credited to Profit & Loss Account	Nil	(1.00)*	Nil

* See Note 9.1(ii) above

- (d) Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.18 Crores.
- (e) The contribution on account of Defined Contribution Scheme – Provident Fund Rs. 620.25 Crores (previous year Rs. 563.61 Crores).

9.2 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ों में)

कारोबार खण्ड	ट्रेडररी		कापोरिट / थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
विवरण										
राजस्व	2917.86	2420.76	4487.28	2477.00	3288.83	3664.74	447.42	202.09	11141.39	8764.59
परिणाम	310.44	72.65	1145.66	315.28	766.74	1583.82	205.22	18.75	2428.06	1990.50
अनाबंटित आय	=	-	-	-	-	-	-	-	95.84	11.28
अनाबंटित व्यय									0.18	-
परिचालनगत लाभ/हानि									2523.72	2001.78
आय कर									628.51	452.60
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									569.42	346.85
असाधारण लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ									1325.79	1202.33
अन्य सूचनाएँ										
खण्डवार आस्तियाँ	35306.77	31616.67	39708.52	23338.35	43396.01	40760.94	1835.54	963.96	120246.84	96679.92
अनाबंटित आस्तियाँ									826.56	5179.82
कुल आस्तियाँ									121073.40	101859.74
खण्डवार देयताएँ	29271.97	30753.45	39280.99	23081.41	30689.07	37871.17	14378.49	415.61	113620.52	92121.64



9.2 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segments

(Rs. in crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
Particulars										
Revenue	2917.86	2420.76	4487.28	2477.00	3288.83	3664.74	447.42	202.09	11141.39	8764.59
Result	310.44	72.65	1145.66	315.28	766.74	1583.82	205.22	18.75	2428.06	1990.50
Unallocated Income	-	-	-	-	-	-	-	-	95.84	11.28
Unallocated Expenses									0.18	-
Operating Profit/Loss									2523.72	2001.78
Income Taxes									628.51	452.60
Provisions & Contingencies									569.42	346.85
Extraordinary profit / loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									1325.79	1202.33
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	35306.77	31616.67	39708.52	23338.35	43396.01	40760.94	1835.54	963.96	120246.84	96679.92
Unallocated Assets									826.56	5179.82
Total assets									121073.40	101859.74
Segment Liabilities	29271.97	30753.45	39280.99	23081.41	30689.07	37871.17	14378.49	415.61	113620.52	92121.64
Unallocated Liabilities									301.88	9738.10
Total Liabilities									113922.40	101859.74

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
राजस्व	10655.40	8420.81	513.33	355.06	11168.73*	8775.87
आस्ति	113595.78	97002.70	7477.62	4857.04	121073.40	101859.74

* इसमें रु.68.50 करोड़ की अपवादस्वरूप मद शामिल नहीं है।

नोट :

31 मार्च 2008 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी खण्डवार रिपोर्टिंग संबंधी परिशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जानेवाले खण्डों को ट्रेडरी, कार्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों में विभाजित किया गया है।

9.3 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1	मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2	सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्राम्य बैंक नीलाचल ग्राम्य बैंक
3	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4	संयुक्ततः नियंत्रित इकाई	युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
5	प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी	

Part B - Geographic segments

	Domestic		International		Total	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
Revenue	10655.40	8420.81	513.33	355.06	11168.73*	8775.87
Assets	113595.78	97002.70	7477.62	4857.04	121073.40	101859.74

* does not include exceptional item of Rs 68.50 crores.

Note:

Effective 31st March 2008 the bank has adopted Reserve Bank of India's (RBI) revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

9.3 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the bank

1	Parent	Indian Overseas Bank
2	Associates	Pandyan Gramya Bank Neelachal Gramya Bank
3.	Subsidiaries	None
4	Jointly controlled entity	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd
5	Key Management Personnel	



क्रम सं.	नाम	पदनाम	मद	अवधि	राशि
1	श्री एस.ए. भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	संवेतन व अनुलाभ	01.04.2008 से 31.03.2009	7,36,862.00
			संवेतन बकाया	04.06.2007 से 31.01.2009	7,79,638.52
			निष्पादन प्रोत्साहन	04.06.2007 से 31.03.2008	6,60,109.00
2	श्री जी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	संवेतन व अनुलाभ	01.04.2008 से 31.03.2009	6,59,234.86
			संवेतन बकाया	07.11.2007 से 31.01.2009	5,80,138.34
			निष्पादन प्रोत्साहन	07.11.2007 से 31.03.2008	2,59,290.00
3	श्री वाई.एल.मदान	कार्यपालक निदेशक	संवेतन व अनुलाभ	16.05.2008 से 31.03.2009	5,47,923.15
			संवेतन बकाया	16.05.2008 से 31.01.2009	4,27,636.87
4	श्री टी एस नारायणसामी	भूतपूर्व अ व प्र नि	निष्पादन प्रोत्साहन	01.04.2007 से 04.06.2007	1,42,076.00
			संवेतन बकाया	01.01.2006 से 04.06.2007	2,53,963.50
5	श्री ए.वी.दुगाडे	भूतपूर्व का नि	निष्पादन प्रोत्साहन	01.04.2007 से 31.03.2008	6,50,000.00
6	श्री एआर नागप्पन	भूतपूर्व	संवेतन बकाया	01.01.2006 से 30.04.2006	43,288.40

नोट: लेखांकन मानक -18 के पैरा 9 “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” को ध्यान में रखते हुए असोसिएट्स / संयुक्त कार्यकलापों के साथ लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को, अन्य संबंधित पार्टियों के साथ उनके लेनदेनों से संबंधित प्रकटीकरण करने से छूट देता है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है और उसी लेखांकन मानक के पैरा 5 में उल्लेख है कि यदि किसी संबंधित पार्टी के किसी प्रवर्ग में केवल एक ही इकाई है तो प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

9.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2008-09	2007-08
इंक्विटी शेयरधारकों (रु. करोड़ में) के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ	1325.79	1202.34
भारत औसत इंक्विटी शेयरों की संख्या	54,48,00,000	54,48,00,000
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	24.34	22.07
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	Rs. 10.00	Rs. 10.00

9.5 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूंकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है इसलिए किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है।

9.6 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखाकरण

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवल आस्थगित देयता के लिए रु.82.74 करोड़ हिसाब में लिए गए हैं (गत वर्ष रु.80.82 करोड़)। बैंक के पास रु.57.09 करोड़ की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियाँ हैं (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता रु.19.53 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की प्रमुख मदों में ब्रेकअप नीचे दिया गया है:

Sl. Name	Designation	Item	Period	Amount
1. Shri S.A. Bhat	CMD	Salary & Allowances	01.04.2008 to 31.03.2009	7,36,862.00
		Salary Arrears	04.06.2007 to 31.01.2009	7,79,638.52
		Performance Incentive	04.06.2007 to 31.03.2008	6,60,109.00
2. Shri G. Narayanan	Executive Director	Salary & Allowances	01.04.2008 to 31.03.2009	6,59,234.86
		Salary Arrears	07.11.2007 to 31.01.2009	5,80,138.34
		Performance Incentive	07.11.2007 to 31.03.2008	2,59,290.00
3. Shri Y.L. Madan	Executive Director	Salary & Allowances	16.05.2008 to 31.03.2009	5,47,923.15
		Salary Arrears	16.05.2008 to 31.01.2009	4,27,636.87
4. Shri T.S.Narayanasamy	Ex-CMD	Performance Incentive	01.04.2007 to 04.06.2007	1,42,076.00
		Salary Arrears	01.01.2006 to 04.06.2007	2,53,963.50
5. Shri A.V. Dugade	Ex-ED	Performance Incentive	01.04.2007 to 31.03.2008	6,50,000.00
6. Shri AR. Nagappan	Ex-ED	Salary Arrears	01.01.2006 to 30.04.2006	43,288.40

Note: The transactions with associates / joint ventures have not been disclosed in view of Para 9 of Accounting Standard – 18 “Related Party Disclosures”, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises and Para 5 of the same Accounting Standard states that no disclosure is required if there is only one entity in any category of related party.

9.4 Accounting Standard 20 – Earning Per Share

Particulars	2008-09	2007-08
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. In Crore)	1325.79	1202.34
Weighted Average Number of Equity Shares	54,48,00,000	54,48,00,000
Basic & Diluted Earnings Per Share	24.34	22.07
Nominal value per Equity Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

9.5 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

9.6 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Deferred Tax Asset of Rs. 82.74 crores during the year (Previous Rs. 80.82 crores). The Bank has outstanding net deferred tax asset of Rs 57.09 crores (Previous year Deferred Tax Liability of Rs 19.53 crores). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:



	(रु.करोड़ों में)			
	31-03-2009		31-03-2008	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यहास		67.43		145.63
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास		15.66		17.24
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	129.07		129.46	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	8.63		7.81	
अन्य	2.48		6.07	
कुल	140.18	83.09	143.34	162.87
निवल डीटीए/डीटीएल	57.09			19.53

9.7 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक ने प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर स्वयं तैयार किया है और इसमें काफी लंबा समय लगा है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत अनिवार्यतः बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अंश है और इसे लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में प्रभारित किया गया है।

9.8 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में इच्छा की वित्तीय रिपोर्टिंग

युनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि. के साथ संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक ने रु.28.50 करोड़ का निवेश किया है जो इक्विटी में 19% शेयर है। लेखांकन मानक 18 “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के पैरा 5 के अनुरूप अन्य कोई सूचना नहीं दी गई है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को उनके लेनदेनों से संबंधित का प्रकटीकरण करने से छूट देता है यदि संबंधित पार्टी के किसी प्रवर्ग में केवल एक इकाई है।

9.9 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को “ कॉर्पोरेट आस्तियाँ” माना गया है और आईसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार इसे “नकदी सर्जित करनेवाली इकाइयों” में नहीं दिखाया गया है। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की कोई भी अचल आस्ति अनर्जक नहीं है।

9.10 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनद लेखाकार संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों में सूचित किया गया है।

10 तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनःसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

	(Rs. In Crores)			
	31.03.2009		31.03.2008	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		67.43		145.63
Depreciation on Fixed Assets		15.66		17.24
Provision for Employee Benefits	129.07		129.46	
Provision for Frauds	8.63		7.81	
Others	2.48		6.07	
Total	140.18	83.09	143.34	162.87
Net DTA / DTL	57.09			19.53

9.7 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the cost of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

9.8 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

In the case of Joint Venture with Universal Somp General Insurance Company Ltd, the bank has made an investment of Rs 28.50 crores being 19 % share in Equity. No other information have been disclosed in view of Para 5 of Accounting Standard – 18 “Related Party Disclosures”, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions if there is only one entity in any category of related party.

9.9 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by the Bank are treated as ‘Corporate Assets’ and are not ‘Cash Generating Units’ as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.10 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

10 Comparative Figures:

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.



अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत दिनांक 27-04-2007 की नई पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क (बेसल II) के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। ऐसे जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसे घटाना करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम दर्शन को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति बैंक के जोखिमों की स्पष्ट समझ और जोखिम की वहन क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम वहन क्षमता के मानदण्ड सामान्यतः जोखिम सीमा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। बैंक की जोखिम वहन क्षमता जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होती हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) गठित की गई है जो बैंक में उधार जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियां गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेडरी (देशी) और ट्रेडरी (विदेशी) और उधार समर्थन सेवा विभाग भी जोखिम

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Mumbai, under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007 under Pillar III requirement, the following disclosures are made as per the specified Formats:

RISK MANAGEMENT

Banks assume various kinds of risks in the process of providing different kinds of services. As such, risk taking is an integral part of the banking business. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to efficiently manage such risks, the bank has put in place various risk management measures and practices. In line with the guidelines of The Reserve Bank of India issued from time to time, the bank continues to strengthen its various risk management systems that includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

Indian Overseas Bank (the bank) aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's Risk Management Objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring/control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Risk appetite parameters are normally expressed in terms of risk limits. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for market risk and Operational Risk Management Committee for operational risk.

A full fledged Risk Management Dept. is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A General Manager is in charge of the department who is also the Chief Risk Officer responsible for the overall supervision on risk management in the bank. In addition, the



प्रबंधन कार्य करते हैं जो नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा / प्रेमवर्क और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क (बेसल II) कार्यान्वित कर दी है। बेसल II प्रेमवर्क तीन परस्पर सुदृढ़ स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित प्रेमवर्क का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करती है, दूसरा स्तम्भ (पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया) इस बात को सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास उनके बैंक जोखिम प्रोफाइल वाले व्यापार में सभी प्रकार के जोखिम को संभालने के लिए यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है। यह नीति उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करती है जो बैंक को उठाना पड़ सकता है और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करती है। नीति प्रेमवर्क का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है।

बैंक ने भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति / प्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण विशेषतः बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बेसल II प्रेमवर्क का तीसरा स्तम्भ बाज़ार पर नियंत्रण से संबंधित है। बाज़ार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ-1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार में सहभागिता हेतु महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश (डीएफ-1), (2) पूंजी संरचना (डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5), (6) उधार जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करेगा।

Mid-Office in Treasury (Domestic) and Treasury (Foreign) and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals.

In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has implemented a New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis. The policy framework is subject to review every year.

The bank has formulated a "Stress Testing policy / framework" in line with the RBI guidelines to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and places the reports to ALCO / RMCB.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (1) scope of application (DF-1), (2) Capital Structure (DF-2), (3) Capital Adequacy (DF-3), (4) Credit Risk: General Disclosures (DF-4), (5) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (6) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (7) Securitisation: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (8) Market Risk in Trading Book (DF-8), (9) Operational Risk (DF-9), and (10) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10) etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.



तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क. जिस समूह पर प्रेमवर्क लागू होता है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।
ख. समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारत है) क्या यह हमारे बैंक पर लागू है ?	लागू नहीं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं
घ. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारत हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरैस्ट का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पॉवर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव दर्शाएं।	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कं.लि. जैसे बीमा जेवी में ईक्विटी आभिदान वेग ज़रिए रु.28.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% बताता है। इसे सीआरएआर परिकलन से निकाल दिया गया है।

तालिका डीएफ-2

पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क. सभी पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषतः टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में	बैंक पर लागू है चूंकि हम समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 के द्वारा पूंजी उठाते हैं।

TABLE DF –1

Scope of application

Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs. 28.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital. The same is excluded from CRAR computation.

Table DF – 2

Capital structure

Qualitative Disclosures	Applicability to our Bank
a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time



मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख.	निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	रु.544.80 करोड़
*	प्रदत्त शेयर पूंजी	रु.5172.53 करोड़
*	आरक्षितियां	रु.480.00 करोड़
*	नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	(वर्ष के दौरान उठाए गए शून्य)
*	अन्य पूंजी लिखतें	शून्य
*	टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	शून्य
ग.	टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	रु.4182.94 करोड़ (डिस्काउंट में) (वर्ष के दौरान उठाए गए - रु.955.30 करोड़)
घ.	उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	रु.1155.30 करोड़
ड.	कुल बकाया रकम	रु.1155.30 करोड़
*	जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	रु.655.30 करोड़
*	पूंजी निधियों के रूप में मानी जाने के लिए पात्र रकम	रु.500 करोड़
च.	निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण	
*	कुल बकाया रकम	रु.2074.40 करोड़
*	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	रु.300.00 करोड़
*	पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम	रु.2074.40 करोड़
छ.	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हो	शून्य
ज.	कुल पात्र पूंजी	रु.10380.27 करोड़

Quantitative Disclosures

b)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	Rs. 544.80 crore
*	paid up share capital	Rs. 5172.53 crore
*	reserves	Rs. 480.00 crore
*	innovative instruments (raised during the year – Nil)	(Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)
*	other capital instruments	Nil
*	amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Nil
c)	The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs. 4182.94 crore (at discount) (raised during the year – Rs.955.30 crores)
d)	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	Rs. 1155.30 crores
e)	Total amount outstanding	Rs. 1155.30 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 655.30 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 500.00 crores
f)	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
*	Total amount outstanding	Rs. 2074.40 crores
*	Of which amount raised during the current year	Rs. 300.00 crores
*	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 2074.40 crores
g)	Other deductions from capital, if any	Nil
h)	Total eligible capital	Rs. 10380.27 crores



तालिका डीएफ-3

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूँजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूँजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूँजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूँजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूँजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूँजी मानकों और पूँजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। जून 2006 में एक व्यापक रूपान्तर परिशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देश जारी किए और बाद में नई पूँजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2009 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उनके दिनांक 04-12-2008 के परिपत्र के जरिए निर्धारित सूचना फॉर्मेट के जरिए बेसल I फ्रेमवर्क को भी समानान्तर रूप में जारी रखा है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूँजी का परिकलनात्मक करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिकलनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। बैंक ने बाजार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने के लिए मानकीकृत अवाधि दृष्टिकोण (एसडीए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 31-03-2009 तक उधार, बाज़ार और परिकलनात्मक जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी बनाए रखी है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिकलनात्मक जोखिम के लिए पूँजी का हिसाब किया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने के लिए बैंक ने

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures:

a) Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. Such measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI, the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS has released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised framework had issued final guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (popularly known as Basel-II document) on 26th June 2004. A comprehensive version of the revised framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and be in harmony with international standards, the Reserve Bank of India had issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank has migrated to the revised (Basel II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through the prescribed reporting format vide their circular dated 4th Dec. 2008.

Basel II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with RBI's requirements, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk and Basic Indicator Approach (BIA) for operational risk to compute capital. The Bank continues to adopt Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital for market risk. As such the Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk as on 31.03.2009, in line with the RBI guidelines in this regard.



क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में समय-समय पर स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यतः बैंक उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम घटाने का प्रयोग किया है। उधार जोखिम घटाना, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरएआर के प्रति न्यूनतम पूंजी रखने के लिए नियत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि 31.03.2009 तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल प्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का 90% पर प्रूडेंशियल फ्लोर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया प्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 31 मार्च 2010 तक या पहले 6.0% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों पर 31.03.2009 तक बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमशः 13.20% और 7.88% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के प्रति उपाय के रूप में बैंक के संगत जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और प्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है। नीति-पुनरीक्षण के अधीन है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता का आकलन किया है। सीआरएआर में आधिक्य भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा टायर I और टायर II पूंजी एकत्र करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी क्रियाकलापों के प्रति आवश्यक सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूंजी संरचना की सहायता करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है।

The bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch, besides portfolios held at Regional Offices and Central Office of the bank. For this purpose, the bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office levels. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation to ensure accuracy and adequacy.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed. The Bank has also used the credit risk mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. The Bank has followed the RBI guidelines in force, to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel documents. RBI also prescribes prudential floor at 90% of minimum capital requirement computed as per Basel I framework for credit and market risks as on 31.3.2009. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-I CRAR of 6.0% on or before March 31, 2010. Against these stipulations, as on 31.03.2009, the Bank's total CRAR and Tier I CRAR stands at 13.20% and 7.88% respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The bank has put in place the policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework, commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in its guidelines. The policy is subject to review.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank has drawn an assessment of capital requirement for three years with the approval of the Board. The surplus CRAR shall act as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available for the bank for mobilizing Tier-1/Tier- 2 capital shall also additionally support capital structure to meet the future activities. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.



मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	6176.91
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	0.00
कुल	6176.91
ग. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	223.11
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	11.33
ईक्विटी जोखिम	216.88
कुल	451.32
घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मूल संकेतक दृष्टिकोण	
परिचालनगत जोखिम	446.85
ड. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात	
कुल सीआरएआर	13.20%
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	13.20%
टायर 1 सीआरएआर	7.88%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशतः बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबंधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक के लिए प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है। उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार को मजबूत बनाने और इसके कवरेज को व्यापक बनाने और रु.5 लाख और ऊपर के उधार खातों को कवर करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान भविष्य में शाखाओं के प्रयोग के लिए आंतरिक अतिरिक्त जोखिम के प्रति संवेदनशील रेटिंग मॉडल तैयार किया

Quantitative Disclosures

(Rs. In crores)

(b) Capital requirements for Credit Risk: Standardized Approach	
Portfolios subject to Standardized Approach	6176.91
Securitization Exposures	0.00
Total	6176.91
(c) Capital requirements for Market Risk: Standardized Duration Approach	
Interest Rate Risk	223.11
Foreign Exchange Risk (Including Gold)	11.33
Equity Risk	216.88
Total	451.32
(d) Capital requirements for Operational Risk: Basic Indicator Approach	
Operational Risk	446.85
(e) Total Capital Ratio for the Bank	
Total CRAR	13.20%
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	13.20%
Tier 1 CRAR	7.88%

Table DF-4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending activities of the Bank if a borrower is unable to meet its financial obligations to the lender. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties.

Credit rating & Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The bank has robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal/ approval processes. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision-enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal. In order to widen the scope and coverage further, the bank has developed



है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। इसके अलावा ये रेटिंग उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का आकलन करते समय किसी विशिष्ट लेन-देन के लिए ऋण वृद्धि पर भी विचार करती है। उद्योग जोखिम पर आंकड़े बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं। यह वर्ष 2009-10 में कार्यान्वित किया जाएगा।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है ताकि उधारकर्ताओं के लिए उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। बैंक उधार खातों पर ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए उधार रेटिंग का प्रयोग करते हैं। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जा सकता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। कट ऑफ बिन्दु से ऊपर नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। कट ऑफ बिन्दु से ऊपर बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अपनाए जाने के लिए बोर्ड के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति / उधार नीति समिति (सीपीसी) द्वारा जांचे जाते हैं। ऐसे नए उत्पादों के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति व प्रक्रिया का निर्धारण पद्धति व प्रक्रिया समिति (एसएपीसीओ) द्वारा किया जाता है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबंधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक

additional rating models in-house during the year with a view to cover borrower accounts of Rs.5 lakhs and above.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk Components such as Industry risk, Business Risk, Management Risk, Facility Risk, Financial Risk and such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions. This will be implemented in the year 2009-10.

Credit rating as a concept has been well internalized within the Bank. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels, which is independent of credit department, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validation of ratings are done at Risk Management Dept. The Bank uses credit rating for deciding interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branches / Regional Offices / Central Office for considering fresh/enhancement proposals beyond a cutoff. The new products introduced by the bank are examined by the internal Operational Risk Management Committee (ORMC) / Credit Policy Committee (CPC) for assessing the risk perspective before being placed to Board for its adoption. The Systems and Procedures Committee (SAPCO) lays down the system and procedure to be followed for such new products.

Credit Risk Management Policies:

The bank has put in place a well-structured Loan Policy and Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organization structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board/RMCOB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure Limits.



की जोखिम वहन क्षमता स्तर को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए बैंक ने कड़े उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण नीति के अतिरिक्त बैंक ने निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशी जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की हैं जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबंधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक में संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम घटाने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक दोनों) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। ये प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

मूल्यांकन, प्राइसिंग, उधार अनुमोदन प्राधिकार, दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग व प्रबंधन, ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण व नवीकरण, समस्यागत ऋणों का प्रबंधन, उधार निगरानी आदि जैसे उधार जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पक्षों के संबंध में बैंक ने प्रक्रियाएं और नियंत्रण रखे हैं। उधार प्रबंधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है :

- i. सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय मूलधन की किस्तें और / या ब्याज
- ii. ओवरड्राफ्ट / नकद उधार / (ओडी / सीसी) के संबंध में कोई खाता अनियमित (out of order) बना रहता है (यानी यदि बकाया शेष मंजूरित सीमा / आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है या जिन मामलों में मूल परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूरित सीमा / आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख तक 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा न हो या जमाएं उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए काफी न हों।)
- iii. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे बिल
- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय ब्याज या मूलधन की किस्त
- v. दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय ब्याज या मूलधन की किस्त
- vi. बैंक किसी खाते को अनर्जक तभी मानता है यदि किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अन्त से 90 दिनों के अन्दर अदा न किया गया हो।

The Bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy, Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Investment Policy, Counter party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides the bank has implemented a policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation, which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. These securities act as mitigation against credit risk to which the bank is exposed.

Credit Monitoring / Loan Review / Credit Audit

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring etc. The Credit Monitoring Dept, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies.

Classification of Non-Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines issued by the RBI on classification of non-performing assets as under:

- i. Interest and/ or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- ii. the account remains 'out of order' (i.e. if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period) in respect of an Overdraft/Cash credit (OD/CC)
- iii. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- v. the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
- vi. Bank classifies an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.



उधार खातों की पुनर्संरचना

पुनर्संरचित खातों के वर्गीकरण के संबंध में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है और प्रावधान किया है।

रु. करोड़ों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि	75809.54
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	गैर निधि	38355.86
	निधि	गैर निधि
• देशी		
• विदेशी	68479.43	333778.93
ग. एक्सपोज़र के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक-पृथक	7330.11	4576.93
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता	अनुबंध	
ङ. ब्रेकडाउन	अनुबंध	
एनपीए (सकल) की राशि		
• अवमानक	889.64	
• संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	974.21	
• हानि	59.56	
च. निवल एनपीए	999.14	
छ. एनपीए अनुपात		
• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	2.54 %	
• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	1.33 %	
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल)		
• प्रारंभिक शेष	996.95	
• जोड़	2261.85	
• घटाव	1335.39	
• अन्तिम शेष	1923.41	
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
• प्रारंभिक शेष	569.94	
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	365.50	
• बटटे खाते में डाला गया	183.40	
• अधिशेष प्रावधानों का प्रतिलेखन	-	
• अन्तिम शेष	752.04	
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	16.83	
ट. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	5.67	
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
• प्रारंभिक शेष	314.41	
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	253.23	
• बटटे खाते में डाला गया	0.00	
• आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	224.82	
• अन्तिम शेष	342.82	

Restructuring of Borrower Accounts:

The bank has followed the RBI guidelines in respect of classification of re-structured accounts and provided.

Rs. in Crores

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	75809.54
	NFB	38355.86
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	68479.43	33778.93
• Overseas	7330.11	4576.93
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	889.64	
• Doubtful (D1,D2,D3)	974.21	
• Loss	59.56	
f) Net NPAs	999.14	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	2.54 %	
• Net NPAs to net advances	1.33 %	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	996.95	
• Additions	2261.85	
• Reductions	1335.39	
• Closing balance	1923.41	
i) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	569.94	
• Provisions made during the period	365.50	
• Write off	183.40	
• Write back of excess provisions	-	
• Closing balance	752.04	
k. Amount of Non-Performing Investments	16.83	
l. Amount of provisions held for non-performing investments	5.67	
m. Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening Balance	314.41	
• Provisions made during the period	253.23	
• Write-off	0.00	
• Write-back of excess provisions	224.82	
• Closing Balance	342.82	



आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ों में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि -3 म	3-6 म	6म-1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
3539.81	8847.93	4498.63	1151.38	10418.01	8585.18	11180.75	43186.75	7582.66	66156.42

देशी परिचालनों के लिए सकल आस्तियों का कवरेज

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ोंमें)

उद्योग का नाम	बकाया
कोयला	52.69
खान	246.00
लौह और इस्पात	3828.00
अन्य धातु व धातु उत्पाद	805.00
सभी इन्जीनियरिंग	1766.00
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	49.88
इलेक्ट्रीसिटी	1514.98
सूती वस्त्र उद्योग	2724.00
जूट वस्त्र उद्योग	54.00
अन्य वस्त्र उद्योग	874.00
चीनी	288.00
चाय	62.00
खाद्य प्रसंस्करण	502.00
वनस्पति तेल और वनस्पति	191.00
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	209.00
कागज और कागज उत्पाद	885.00
रबर और रबर उत्पाद	355.00
रसायन, डाइ, पेन्ट्स आदि	1735.00
उनमें से उर्वरक	56.61
उनमें से पेट्रो रसायन	281.34
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	65.86
सीमेंट	475.00
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	171.00
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	385.00
निर्माण	723.00
पेट्रोलियम	436.00
ऑटोमोबाइल जिसमें ट्रक भी शामिल है	1059.91
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	167.00
इन्फ्रास्ट्रक्चर	8940.00
उनमें से शक्ति	913.92
उनमें से तार संचार	525.11
उनमें से रोड और पोत	302.28
अन्य उद्योग	4837.01
एनबीएफसीएस और व्यापार	2461.43
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	40062.52
कुल	75809.54

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. In crores)

Day 1	2-7 D	8-14 D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1 Year	>1 to 3 Years	>3 to 5 years	>5 years
3539.81	8847.93	4498.63	1151.38	10418.01	8585.18	11180.75	43186.66	7582.89	66156.42

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Coal	52.69
Mining	246.00
Iron and Steel	3828.00
Other Metal and Metal Products	805.00
All Engineering	1766.00
Of which Electronics	49.88
Electricity	1514.98
Cotton Textiles	2724.00
Jute Textiles	54.00
Other Textiles	874.00
Sugar	288.00
Tea	62.00
Food Processing	502.00
Vegetable Oils and Vanaspati	191.00
Tobacco and Tobacco Products	209.00
Paper and Paper Products	885.00
Rubber and Rubber Products	355.00
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	1735.00
Of which Fertilisers	56.61
Of which Petro-Chemicals	281.34
Of which Drugs and Pharmaceuticals	65.86
Cement	475.00
Leather and Leather Products	171.00
Gems and Jewellery	385.00
Construction	723.00
Petroleum	436.00
Automobiles including trucks	1059.91
Computer Software	167.00
Infrastructure	8940.00
Of which Power	913.92
Of which Telecommunications	525.11
Of which Roads & Ports	302.28
Other Industries	4837.01
NBFCs & Trading	2461.43
Residual Advances to	
Balance Gross Advances	40062.52
TOTAL	75809.54



तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एनसीएएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों पर एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशी ईसीआरए जैसे क) क्रिसिल लि. ख) आइसीआरए लि. ग) सीएआरई तथा घ) आइसीआरए लि. की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इन सभी बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरलता से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेंसियों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार-अलग रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियायती शुल्क प्रदान किया जाता है। बहरहाल समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई विशेषीकरण उपबंध नहीं है। उधारकर्ता अपने विचार से इन चारों एजेंसियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सकते हैं। बैंक किसी भी बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करेगा और इसका प्रयोग करेगा। पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

General principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardised Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by RBI.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of the guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporates / PSEs / Primary Dealers are assigned with risk weights based on the external ratings. For this purpose, the RBI has permitted banks to use the ratings of the four domestic ECRA's namely (a) CRISIL Ltd, (b) ICRA Ltd, (c) CARE and (d) ICRA Ltd. In consideration of the above guidelines, the bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRA's.

In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure smoothly, the bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four Credit Rating Agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRA's for rating bank's customers. The MOUs do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers, at their option, can approach any one or more of the above ECRA's for rating their exposure. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of these ECRA's. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRA's the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

The Bank has a well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards to acceptability of proposals and level of exposures and pricing. However, such rating cannot be used for application of risk weight under Standardized Approach of capital computation.



भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने, 31-03-2009 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबांटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोजर रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई खण्ड के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी एक्सपोजर के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस&पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबांटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोजर के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें कुछ समय लग सकता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित	रेटिंग नहीं की गई इएम
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	502289.18	9959.46	40329.72
100% जोखिम भार	45369.68	1314.04	44055.64
100% जोखिम भार से अधिक	7854.82	697.90	7156.92
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	103513.68	11971.40	91542.28
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	13349.06	0.00	13349.06
100% जोखिम भार	3278.83	0.00	3278.83
100% जोखिम भार से अधिक	0.00	0.00	0.00
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	16627.89	0.00	16627.89

Accordingly the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRA's, while computing the capital for credit risk as on 31.3.2009 under Corporate and PSE segments.

In case of bank's investment in particular issues of corporates / PSEs the issue specific rating of the approved ECRA's are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and S&P is used, wherever available, as per the RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardized Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. This could take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crores)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES/ INVESTMENT			
Below 100% risk weight	50289.18	9959.46	40329.72
At 100% risk weight	45369.68	1314.04	44055.64
Above 100% risk weight	7854.82	697.90	7156.92
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	103513.68	11971.40	91542.28
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	13349.06	0.00	13349.06
At 100% risk weight	3278.83	0.00	3278.83
Above 100% risk weight	0.00	0.00	0.00
Deducted	0.00	0.00	0.00
Total	16627.89	0.00	16627.89



तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम घटाना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यतः स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो ।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अतः पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद) जो भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

इसके अलावा उधार जोखिम को कम करने के अन्य अनुमोदित रूप “ऑन बैलेंस शीट नेटिंग” और “पात्र गारंटियों” की उपलब्धता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक उधारकर्ता के ऋणों / अग्रिमों के प्रति (जोखिम के विस्तार तक) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को उपलब्ध जमा राशियों के मुताबिक गिना जाएगा । आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं :- क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation Techniques duly approved by the bank's Board. The policy lays down the type of securities normally accepted by the Bank for lending and administration/monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the bank include Bank's own deposits Gold/ornaments, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, 10 year social security certificates, shares and debentures, central and state Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund Units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of title to goods, Book debts, Vehicles and other movable assets. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries, duly approved by the Board.

Credit Risk mitigation under Standardised Approach

As advised by RBI, the bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the Bank has recognized specific securities viz. (a) bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance Policies (d) Kisan Vikas Patras (after a lock in period of 2 1/2 years)

Besides, other approved forms of credit risk mitigation are “On balance sheet netting” and availability of “Eligible Guarantees”. On Balance Sheet nettings has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (to the extent of exposure) as per RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital the types of guarantees recognized for taking mitigation, in line with RBI guidelines



(20%) ड) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों देशी व विदेशी बैंक)। बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में जोखिम संकेंद्रीकरण के निवारण के लिए कोई सीमा / उच्चतम सीमा नहीं है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

काट-छाँट के बाद उपलब्ध कुल पात्र

वित्तीय संपाश्विक प्रतिभूति।

10246.14

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध

में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण 31.03.2009 को समाप्त अपेक्षा वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

- प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।
- प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक कार्य में बैंक के लिप्त होने के बारे में सूचना और
- अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई विनियामक पूँजी दृष्टिकोण

ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार

are (a) Central Government (0%), (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills purchased / discounted under Letters of Credit (both domestic & foreign banks as per guidelines). The Bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration Risk in Credit Risk Mitigation:

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures

(Rs. In Crore)

Total Eligible Financial Collateral after application of haircuts 10246.14

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

- a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:
- No securitisation for the year ended 31.03.2009
- The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
 - The roles played by the bank in securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them, and
 - The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.
- b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :



- बिक्री पर लाभ की पहचान और
- रखी गई हितों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख अवधारणाएँ, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रमुख परिवर्तन कोई हो तथा उसके प्रभाव को उसे शामिल करते हुए
- ग) प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग की गई इसीएआइ के नाम और प्रतिभूतिकरण जोखिमों के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का प्रयोग किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

- घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया जोखिम और जोखिम के प्रकार के जरिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन जो लाया गया हो
- ङ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन लाया गया जोखिम
- अनर्जक / पुराने देय आस्तियों की प्रतिभूतिकृत रकम और
- चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार द्वारा काट दी गई हो
- च) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिम के प्रकार द्वारा काट दी गई हो
- छ) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की औसत रकम जिसे जोखिम भारित बैंड की अर्थपूर्ण संख्या में काट दिया गया हो। टायर-1 पूँजी से पूरी तरह से घटा दिए गए एक्सपोजर, कुल पूँजी से घटा दिए गए उधार बढ़ाने वाले आइ/ओ और कुल पूँजी से घटाए गए अन्य जोखिमों को अलग से पूर्वताप्राप्त एक्सपोजर के प्रकार द्वारा अलग से प्रकट करना चाहिए।
- ज) तुलन-पत्र के खातों पर टिप्पणियों के एक भाग के रूप में दो वर्षों के लिए

शून्य

- Recognition of gain on sale, and
- Key assumption for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes.
- c) Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

Quantitative Disclosures

- d) the total outstanding exposures securitised by the bank and subject to securitisation framework by exposure type.
- e) For exposures securitised by the Bank and subject to thesecuritisation framework.
 - Amount of impaired/past due assets securitised; and
 - Losses recognised by the Bank during the current period broken down by exposure type
- f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type
- g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.
- h) Summary of securitisation activity presenting a

Nil



तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने वाले प्रतिभूतिकरण का सार

- प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य - पूर्वाप्राप्त आस्तियों के प्रकार द्वारा
- प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त ब्रिकी रकम और प्रतिभूतिकरण के कारण हुई हानि / लाभ : और
- उधार संवर्धन, तरलता समर्थन, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवाएँ आदि के द्वारा दी गई सेवाओं का रूप तथा प्रमात्रा (बकाया मूल्य)

तालिका डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेक्टिव्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने वाली अन्य नीतियाँ यथा निधि प्रबंधन, रुपया ब्याज पर डिरेक्टिव नीति और फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति हैं। निवेश नीति, फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरेक्टिव नीति हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप

comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet

- Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets
- Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and
- Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post securitisation asset servicing, etc

Table DF – 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

(a) Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on-balance sheet positions caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Funds Management and Investment Policy, Rupee Interest Rate Derivative Policy and Forex Risk Management Policy. The Market Risk Management Policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby



पहचाने, मापे, प्रबोधित तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है। बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शेरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बैंक, जोखिम पर अर्जन तथा ड्यूरेशन गैप आशोधन को समय-समय पर निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार की स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल 11 फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकल्पित की है। 31.03.2009 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policy sets various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policy also deals with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity risk is managed through the GAP Analysis, based on the residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on a daily basis based on best available data coverage as prescribed by RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limit are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates Earnings at Risk and Modified Duration Gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) /Board monitors adherence of prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of the market condition (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office group at the Treasury also monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures:

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2009 in trading book of the bank is as under:



(रु.करोड़ों में)		
बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	2479.00	223.11
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2409.72	216.88
विदेशी विनिमय जोखिम	125.89	11.33
कुल	5014.61	451.32

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं हैं।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज (केवाईसी) और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुनःप्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) (ङ) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियाँ व प्रक्रियाएँ बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैनुअल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की

(Rs. In crores)		
Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital requirement
Interest Rate Risk	2479.00	223.11
Equity Position Risk	2409.72	216.88
Foreign Exchange Risk	125.89	11.33
TOTAL	5014.61	451.32

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK

Qualitative Disclosure:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on management of operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy document on Know Your Customers (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Procedures (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Plan (IT BC-DRP) (e) Compliance Policy and (f) Policy on Outsourcing of Financial Services

The Operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying assessing, monitoring and controlling/ mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control frameworks.

The Bank has got embodied, in its Book of Instructions, well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerised operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. Well-articulated Manual on Documentation is in place for execution of proper



भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। आवधिक कार्यावर्तन के लिए स्पष्ट प्रणाली है। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए अत्यधिक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में स्वतंत्र कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। बैंक में अनुपालन कार्य और अनुपालन संस्कृति मजबूत हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन हेतु बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के समान है। इस प्रकार के प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 31.03.2009 तक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता रु.446.85 करोड़ है।

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है।

documents. The Bank has clear-cut guidelines as to the role functions of various levels of employees. A system of periodic job rotation has been clearly articulated. A highly effective training system with provision for giving specialised training in credit and forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by the Board. In terms of the RBI guidelines on Compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in Central Office independent of business group. Compliance Officers are designated in each branch / department / office to monitor the level of compliance. The methodologies and systems have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance functions have been devised and also put in place. The compliance functions and compliance culture is being strengthened in the bank. In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank is adopting the Basic Indicator Approach, as per which the Bank holds capital for operational risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI

Qualitative disclosures

(b) In line with final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for Operational Risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI. As per such estimate, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2009 is Rs. 446.85 crores.

Table DF –10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

(a) Interest rate risk in the Banking Book:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective)



इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। आय पर प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित यानी प्रत्येक रिपोर्टिंग शुरुवार को रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी (डीजीएपी) के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है। बैंक आशोधित अंतराल जीएपी और ईक्विटी पर आर्थिक मूल्य के प्रभाव का परिकलन करता है। आस्तियाँ, निवेशों और देयताओं को छोड़कर दर संवेदनशील विवरण के अनुसार समूहबद्ध हैं और इन आस्ति व देयता समूहों के लिए सामान्य परिपक्वता, कूपन व यील्ड मानदण्डों का प्रयोग करके समयवार (बकेट) आशोधित अंतराल का परिकलन किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रत्येक मद के आशोधित अंतराल को परिकलित करके लिया जाता है। बैंक में डीजीएपी को महीने में एक बार परिकलित किया जाता है और ऑलको को रिपोर्ट किया जाता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन को प्रबोधित करता है और बाजार स्थिति (चालू तथा प्रत्याशित) की दृष्टि में रणनीति निर्धारित करता है।

as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in the Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term (Economic Value Perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock upto 100 bps as prescribed in the bank's ALM policy. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of NII of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings the Traditional Gap is taken from the Rate Sensitivity statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rates upto 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO and Board periodically along with rate sensitivity statement. The limits are fixed based on the previous year's NII.

The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. For this purpose, a limit of (+/-) 1.00% for Modified Duration Gap (DGAP) on the balance sheet is prescribed in bank's ALM policy and the position is monitored periodically. The Bank calculates Modified Duration Gap and the impact on the Economic Value of Equity. Assets excluding investments and liabilities are grouped as per Rate Sensitivity statement and bucket-wise Modified Duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. For investment portfolio the Modified Duration of individual items are computed and taken. The DGAP is calculated by the Bank once a month and is reported to ALCO.

The Asset-Liability Management Committee/ Board monitors adherence to the prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of market conditions (current and expected).



गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2009 तक गणना करके उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	(रु. करोड़ों में)	
		जोखिम पर अर्जन (इएआर) 27/03/2009	1 वर्ष तक 5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	128.42 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)	2.36	1.67
0.50% परिवर्तन	256.83 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)	4.73	3.35
0.75% परिवर्तन	385.25 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	7.09	5.02
1.00% परिवर्तन	385.25 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	9.45	6.70
ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		27.03.2009	
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)		0.7521%	
एएलएम नीति के अनुसार सीमा		(+/-)1%	
ईक्विटी की आशोधित-अवधि (एमडीई)		7.32%	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव		14.64%	

Quantitative Disclosures

(b) The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2009 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs in crores)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earning at Risk (EaR) 27/03/2009	
		Up to 1 Year	Up to 5 years
0.25% change	128.42 (5% of NII of previous year)	2.36	1.67
0.50% change	256.83 (10% of NII of previous year)	4.73	3.35
0.75% change	385.25 (15% of NII of previous year)	7.09	5.02
1.00% change	385.25 (15% of NII of previous year)	9.45	6.70
ECONOMIC VALUE OF EQUITY		27/3/2009	
MODIFIED DURATION GAP (DGAP)		0.7521%	
LIMIT AS PER ALM POLICY		(+ / -) 1%	
MODIFIED DURATION OF EQUITY (MDE)		7.32%	
FOR A 200 BPS RATE SHOCK THE DROP IN EQUITY VALUE		14.64%	



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

नकद प्रवाह विवरण

31-03-2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु. 000' में)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष	31.3.2008 को समाप्त वर्ष
I) परिचालनगत गति-विधियाँ		
आय		
अर्जित ब्याज	96 41 40 33	79 68 25 17
अन्य आय	15 27 32 68	111 68 73 01
		8 11 07 52
		87 79 32 69
व्यय व प्रावधान		
प्रदत्त ब्याज	64 67 13 74	50 38 30 12
परिचालनगत व्यय व प्रावधान	18 40 75 23	83 07 88 97
परिचालनगत देयताओं और आस्तियों में परिवर्तनों के प्रभाव के पहले परिचालनगत गति-विधियों पर नकद की निवल वृद्धि		14 10 19 68
		64 48 49 80
परिचालनों से सर्जित नकदी लाभ	28 60 84 04	23 30 82 89
	28 60 84 04	23 30 82 89
II) परिचालनगत देयताओं और आस्तियों से नकद प्रवाह		
परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि / ह्रास		
i) ग्राहकों से निक्षेप	157 90 30 68	155 85 16 79
ii) बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से उधार	1 94 63 61	34 57 41 88
iii) अन्य परिचालनगत देयताएं और प्रावधान	-10 98 85 45	-10 94 27 14
	148 86 08 84	179 48 31 53
III) परिचालनगत आस्तियों में निवल वृद्धि/ह्रास		
(i) विनिधान	27 40 73 03	45 00 23 48
(ii) ग्राहकों को अग्रिम	144 83 45 17	133 63 55 80
(iii) अन्य आस्तियाँ	2 79 63 80	175 03 82 00
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि		3 29 17 92
		181 92 97 20
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह (अ)	-26 17 73 16	-2 44 65 67
	2 43 10 88	20 86 17 22
IV) विनिधान गतिविधियों से नकद प्रवाह		
(i) अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	1 42 08 95	6 49 16
(ii) अचल आस्तियों की खरीद	2 32 15 56	1 31 93 75
विनिधान संबंधी गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (आ)		
	- 90 06 61	-1 25 44 59
V) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अंतर्प्रवाह		
(i) टायर I / टायर II बाँडों से धनागम	9 55 30 00	

**बहिःप्रवाह**

(i) टायर II बाँडों से शोधन		1 57 00 00	
(ii) टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	3 04 67 61	2 50 49 11	
(iii) प्रदत्त लाभांश	2 23 08 61	1 91 21 66	
		5 27 76 22	5 98 70 77
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (इ)	4 27 53 78		-5 98 70 77
वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह (अ+आ+इ)	5 80 58 05		13 62 01 86
वर्ष के आरम्भ में शेष			
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	91 24 23 28	46 86 10 79	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	12 17 08 84	103 41 32 12	42 93 19 47
			89 79 30 26
वर्ष के अंत में शेष			
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	59 40 44 42	91 24 23 28	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	49 81 45 75	109 21 90 17	12 17 08 84
			103 41 32 12
वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह	5 80 58 05		13 62 01 86

यह विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

वी कृष्णस्वामी
महा प्रबंधक

एस ए भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

हम, अधोहस्तारकर्ता-गण, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकद-प्रवाह विवरण की जाँच की है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को सम दिनांक पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है।

वैदीश्वरन ऐण्ड कंपनी
कंपनी

महाराज एन आर सुरेश ऐण्ड कंपनी

ओम अग्रवाल ऐण्ड

वर्मा ऐण्ड वर्मा

पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम

भास्करन ऐण्ड रमेश

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 04. 05. 2009



Indian Overseas Bank

Cash Flow Statement

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2009

(Rs. in '000s)

	Year ended 31.03.2009	Year ended 31.03.2008
I) Operating Activities		
Income		
Interest Earned	96 41 40 33	79 68 25 17
Other Income	15 27 32 68	111 68 73 01
		8 11 07 52
		87 79 32 69
Expenditure & Provisions		
Interest Paid	64 67 13 74	50 38 30 12
Operating Expenses & Provisions	18 40 75 23	83 07 88 97
		14 10 19 68
		64 48 49 80
Net Increase of cash on operating activities prior to the effect of changes in Operating Liabilities & Assets		28 60 84 04
		23 30 82 89
Cash Profit generated from Operations	28 60 84 04	23 30 82 89
II) Cash Flow from operating Liabilities & Assets		
Net Increase / Decrease in Operating Liabilities		
i) Deposits from Customers	157 90 30 68	155 85 16 79
ii) Borrowings From Banks & Financial Institutions	1 94 63 61	34 57 41 88
iii) Other Operating Liabilities & Provisions	-10 98 85 45	-10 94 27 14
	148 86 08 84	179 48 31 53
III) Net increase / decrease in Operating Assets		
i) Investments	27 40 73 03	45 00 23 48
ii) Advances to customers	144 83 45 17	133 63 55 80
iii) Other Assets	2 79 63 80	175 03 82 00
		3 29 17 92
		181 92 97 20
Net Increase in Operating Liabilities over Operating Assets	-26 17 73 16	-2 44 65 67
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	2 43 10 88	20 86 17 22
IV) Cash Flow from Investing Activities		
i) Sale / disposal of Fixed Assets	1 42 08 95	6 49 16
ii) Purchase of Fixed Assets	2 32 15 56	1 31 93 75
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	- 90 06 61	-1 25 44 59
V) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Inflow		
i) Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	9 55 30 00	
Outflow		
i) Redemption of Tier II Bonds		1 57 00 00
ii) Interest Paid on Tier II Capital	3 04 67 61	2 50 49 11
iii) Dividend Paid	2 23 08 61	1 91 21 66
	5 27 76 22	5 98 70 77
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	4 27 53 78	-5 98 70 77



TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A) + (B) + (C)		5 80 58 05		13 62 01 86
Balances at the Beginning of the year				
Cash & Balances with RBI	91 24 23 28		46 86 10 79	
Balances with Banks & Money at Call	12 17 08 84	103 41 32 12	42 93 19 47	89 79 30 26
Balances at the end of the year				
Cash & Balances with RBI	59 40 44 42		91 24 23 28	
Balances with Banks & Money at Call	49 81 45 75	109 21 90 17	12 17 08 84	103 41 32 12
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR		5 80 58 05		13 62 01 86

This Statement has been made prepared in accordance with Direct Method.

V Krishnaswamy
General Manager

S.A.Bhat
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We , the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2009 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

Vaithisvaran & Co

Maharaj N R Suresh & Co

Om Agarwal & Co

Varma & Varma

PKF Sridhar & Santhanam

Bhaskaran & Ramesh

Place : Chennai

Date : 04.05.2009



लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

1. हम ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 31 मार्च 2009 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसके अनुबंध में दिए गए 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते और नक़द प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और 41 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1602 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। तुलन-पत्र और लाभ व हानि खातों में अ-लेखा परीक्षित 326 शाखाओं / केन्द्रों से प्राप्त विवरण सम्मिलित हैं। इन अ-लेखा परीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिम के 7.27%, जमाओं के 0.68%, ब्याज आय के 2.47% और ब्याज व्यय के 2.30% का अंशदान है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन पर है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देना ही हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जायें कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म “ए” और फार्म “बी” में तैयार किए गए हैं।
4. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
 - i. राजस्व के अभिज्ञान के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक - 9 के साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं.2.2, एवं 2.5 (अनुसूची -17) मेल नहीं खाते हैं।

AUDITORS' REPORT

To
The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Indian Overseas Bank as at 31st March 2009, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement of the Bank for the year ended 31st March 2009 annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches and 41 Regional Offices audited by us and 1602 branches including 6 Overseas Branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss Account are the returns from 326 branches/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.27 % of advances, 0.68 % of deposits, 2.47 % of interest income and 2.30 % of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examination on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. Reference is invited to:-
 - i) Significant Accounting Policy No.2.2 and 2.5 (Schedule – 17) regarding revenue recognition which are not in conformity with Accounting Standard – 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.



ii. लम्बित दावों की वसूली और/अथवा गारंटी संस्थाओं में दावे अभी प्रस्तुत किए जाने के संबंध में लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 18) की नोट संख्या 3.2।

लेखों पर नोट्स (अनुसूची -18) में लाभ व हानि खाता, तुलन-पत्र, पूंजी पर्याप्तता अनुपात और कारोबार अनुपातों पर ऊपर उल्लिखित मदों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अग्रिमों के गैर-वर्गीकरण के बारे में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं.3.5 है।

5. पुनः संरचित खातों, कारोबार अनुपात, आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता पैटर्न और संवेदनशील क्षेत्रों को उधार के संबंध में सूचना के सिलसिले में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं- 4.2.1, 5, 6 और 7 में दिए गए अतिरिक्त प्रकटन, बैंक द्वारा प्रमाणित सूचना / रिकॉर्ड पर आधारित हैं और उन पर हम ने विश्वास किया है।

6. ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लेखा-परीक्षा की सीमाओं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार और इसमें आवश्यक प्रकटन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और पैराग्राफ 4 एवं 5 में हमारे अभिमतों को ध्यान में रखते हुए:

नोट सं.4.2.4, 31 मार्च 2009 के बाद ऋणों की पुनर्संरचना के व्यवहार के अतिरिक्त प्रकटीकरण, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 17-04-2009 के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण सकल एनपीए / निवल एनपीए क्रमशः रु.315.80 करोड़ और रु.283.31 करोड़ तक कम करके बताए गए हैं और संबंधित अनुपातों पर इसका परिणामी प्रभाव पड़ा है। बहरहाल, 31 मार्च 2009 तक आरक्षितियों / अग्रिमों और वर्ष के लिए लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि रु.25.44 करोड़ का अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (रु.7.04 करोड़ के निवल त्याग), एनपीए खातों के लिए उपलब्ध अतिरिक्त प्रावधान द्वारा कवर कर लिया गया है।

हम निम्न प्रकार से रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाये गये अनुसार --

ii) Note No. 3.2 in Notes on Accounts (Schedule – 18) regarding recoverability of claims pending and / or yet to be lodged with Guarantee Institutions.

The impact of the items stated herein above on the Profit & Loss Account, Balance Sheet and Capital Adequacy Ratio and business ratios as stated in Notes on Accounts (Schedule-18) is not ascertainable.

iii) Note No.3.5 in Notes on Accounts (Schedule 18) regarding non – classification of an advance as per prudential norms of RBI.

5. The additional disclosures made in Note No. 4.2.1, 5, 6 and 7 to the Notes on Accounts (Schedule 18) with regard to information in respect of Restructured Accounts, Business Ratios, Maturity Pattern of Assets and Liabilities and Exposure to Sensitive Sectors, respectively are based on the records/ information as certified by the Bank and relied upon by us.

6. Subject to the limitation of the audit indicated in Paragraph 1 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and subject to the limitation of disclosure required therein and also subject to our observations in Paragraph 4 & 5 above, and further subject to :

Note no.4.2.4 in additional disclosures dealing with restructuring of loans after 31st March 2009, which is not in accordance with Reserve Bank of India Circular dated 17th April 2009, due to which Gross NPA/Net NPA are understated to the extent of Rs.315.80 crores and Rs.283.31 crores respectively with consequential effect on relevant ratios. However, there is no impact on the Profit for the year and reserves/advance as at March 31, 2009 as the additional provision required of Rs.25.44 crores (net of sacrifice Rs.7.04 crores) is covered by surplus provision available for NPA accounts.

we report as under :

a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank maintained in accordance with generally accepted Accounting Principles in India.



- i) यह तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है और उसमें आवश्यक जानकारी शामिल है तथा इसे उचित रूप से तैयार किया गया है कि इसमें बैंक के 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार इसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।
- ii. लाभ व हानि खाता 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और
- iii. नकद प्रवाह विवरणी, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित चित्र दर्शाता है।
- ख) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं और उन्हें संतोषजनक पाया गया है।
- ग) बैंक के जो लेनदेन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
- घ) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

कृते वैदीश्वरन ऐण्ड कं. कृते महाराज एन. आर सुरेश ऐण्ड कं. कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.

सनदी लेखाकारगण (एस.गणेशन)	सनदी लेखाकारगण (एन.आर.जयदेवन)	सनदी लेखाकारगण (अशोक कुमार जैन)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.019530	स.सं.023838	स.सं.074250

कृते वर्मा ऐण्ड वर्मा	कृते पीकेएफ श्रीधर ऐण्ड सन्तानम	कृते भास्करन ऐण्ड रमेश
सनदी लेखाकारगण (के.एम.सुकुमारन)	सनदी लेखाकारगण (एस.राजेश्वरी)	सनदी लेखाकारगण (एस.रमेश)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.015707	स.सं.024105	स.सं.022183

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 04.05.2009

- i) The Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2009,
- ii) The Profit and Loss Account shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2009 and
- iii) The Cash Flows Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31st March 2009.
- b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.
- c) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

For Vaithisvaran & Co Chartered Accountants (S.GANESAN) Partner M.No.019530	For Maharaj N.R. Suresh & Co Chartered Accountants (N.R. JAYDEVAN) Partner M.No. 023838	For Om Agarwal & Co Chartered Accountants (ASHOK KUMAR JAIN) Partner M.No.074250
---	---	--

For Varma & Varma Chartered Accountants (K.M.SUKUMARAN) Partner M.No.015707	For PKF Sridhar & Santhanam Chartered Accountants (S.RAJESHWARI) Partner M. No.024105	For Bhaskaran & Ramesh Chartered Accountants (S.RAMESH) Partner M.No.022183
---	---	---

Place: Chennai

Date: 04.05.2009



शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10(बी) जोड़ दी है :
 - यदि किसी शेयरधारक ने घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया है तो बैंक के लाभांश चालू खाते में जमा रही उस रकम को अलग से “वर्ष ----- के लिए आइओबी का अदत्त लाभांश खाता” शीर्षक रूपी एक अलग खाते में अंतरित किया जाना चाहिए।
 - अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गयी कोई भी रकम अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) को अंतरित किया जाएगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2000-01, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए जिन शेयरधारकों को अंतरिम / अंतिम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियो संख्या (ओं) जैसे ब्योरों सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।
- पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।
- डीपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा पते, बैंक खाते में परिवर्तन जैसे अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिए संबंधित डी पी से संपर्क किया जाना चाहिए न कि रजिस्ट्रार से। कृपया नोट करें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 22.05.2009 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा) भेजेगा।
- फोलियो का समेकन : यह पाया गया है कि कई शेयरधारकों ने एक से अधिक अर्थात् बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं। शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेंटों को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें।

Instructions to Shareholders : Most Urgent and Immediate

- The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16 10 2006 has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under :
 - Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend current account, shall be transferred to a separate account styled “Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____”**
 - Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 205 C of the Companies Act, 1956.**

Hence the Shareholders who have not received/ encashed the dividend for financial years 2000-01, 2002-03 Interim/Final Dividend 2003-04, Interim /Final Dividend 2004-05, 2005-06, 2006-07 and for the year 2007-08 are requested to send their claim along with details of Folio No.(s) to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002.
- Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public issue 2000 and Follow on Public issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai-600 002.
- The shareholders, who are holding shares in electronic form through a DP, have to approach only the DP concerned and not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account.** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by DP to the Registrar as on 22.05.2009.
- Consolidation of Folios :** It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपॉज़िटरी सेवाएँ

औरस कार्पोरेट सेंटर,

98-ए, डॉ. राधाकृष्णन साले

मैलापुर, चेन्नै 600 004

दूरभाष : 044 - 28478630/8631 फ़ैक्स : 044 - 28478632

ई-मेल आइडी - deposit@chemsco.ioibnet.in

1. अपने शेयरों को अमूर्तिकृत रूप में (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) रखना :

- शेयर प्रमाणपत्रों के खो जाने, चोरी होने और क्षतिपूर्ति से बचाने के लिए
- भौतिक शेयरों के अंतरण में होनेवाले स्टैप ड्यूटी से बचने के लिए
- बोनस / राइट्स को आपके अमूर्तिकृत खाते में सीधे जमा होने के लिए
- यदि खाते धारक की मृत्यु हो जाती है तो नाबालिग के डीमेट खाते में शेयरों के बिना अडचन के / सुविधाजनक अंतरण करने के लिए

2. अमूर्तिकृत खाता धारकों के लिए निःशुल्क सुविधा :

- अमूर्तिकृत खाते में जमा होनेवाले प्रत्येक नामे/आइ पी ओ जमा के लिए निःशुल्क एसएमएस भेजना
- 30 दिन के लेन-देनों को ऑनलाइन में देखने हेतु आइडीईएस सुविधा और अंतिम 12 महीनों के लेन-देनों के प्रिंट-आउट लेने की सुविधा
- अमूर्तिकृत खाते में एमआईसीआर कोड यदि उपलब्ध हो, तो (जहाँ संभव हो) ईसीएस के द्वारा सीधे लाभांश जमा करना
- 53 डीपी सेवा केंद्रों में से किसी भी सेवा केंद्र में अनुदेश पत्रियों की सुपुर्दगी

3. आइओबी में अमूर्तिकृत सेवाएँ निम्नलिखित केंद्रों में उपलब्ध है

चेन्नै - अण्णा नगर, बसंत नगर, कैथिड्रल, एस्प्लनेड, नुंगमबक्कम, तेनामपेट, टी.नगर, सैदापेट, सौंकारपेट, वेलाचेरी और वालटैक्स रोड

मुंबई - अंधेरी (ईस्ट), बोरीवेली (वेस्ट), ब्रीच कैंडी, फोर्ट, फौंटैन, घटकोपर ईस्ट, जुहू, खर, माहिम, मलाद, मांडवी, न्यू मरैन लाईंस, सांताक्रूज, सियोन (ईस्ट), डॉंबिविल्लि (ईस्ट), विल्ले पार्ले (ईस्ट), नारीमन पाईट, चेम्बूर, कल्बादेवी रोड, वर्ली, थाने (वेस्ट), नंद ज्योत इंडस्ट्रियल एस्टेट, जोगेश्वरी, वाशि और कांदीविल्लि (ईस्ट)

अन्य स्थान : अमृतसर (मैन), अहमदाबाद (आश्रम रोड), बैंगलूर (मैन और मल्लेश्वरम), बडौंदा (मैन), जयपुर (एम आइ रोड), दिल्ली (मोडल टाउन और जनपथ), कोयंबतूर (मैन), एर्णाकुलम (मैन), हैदराबाद (मैन), कोलकाता (इण्डिया एक्स्चेंज प्लेस और लैंड्सडौन मार्केट), विशाखपट्टणम (मैन), सूरत (मैन), राजकोट (मैन) और गांधीनगर (गुजरात)

4. विद्यमान अमूर्तिकृत खाता धारकों को निम्न लिखित मुद्दों को नोट कर लेना है:

- यदि खाते को ब्लॉक/नामे डालने के लिए स्थगित किया गया है तो सभी खाता धारकों के पैन विवरण की प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए। खाते को नामे और जमा के लिए स्थगित किया जाता है तो उस मामले में आपको पहचान प्रमाण (पैन कार्ड) और पता प्रमाण दोनों को प्रस्तुत करना है। आगे के स्पष्टीकरण के लिए कृपया डीपी से संपर्क करें। ब्लॉक किये गये ऐसे शेयरों को प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक आय कर प्राधिकारियों के द्वारा कुर्क किये जाने की संभावना है।
- यदि नामांकन की सुविधा नहीं चुनी गयी है तो उसे चुन लिया जाए।
- यदि नामांकन अपेक्षित नहीं है तो कृपया डीपी से संपर्क करें और विनिर्दिष्ट घोषणा प्रदान करें।



INDIAN OVERSEAS BANK DEPOSITORY SERVICES

Auras Corporate Centre, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai
Mylapore, Chennai 600 004
Phone : 044 - 28478630/8631 Fax : 044 - 28478632
E-mail id - deposit@chemsco.ioibnet.in

1. KEEP YOUR SHARES IN DEMATERIALISED FORM (ELECTRONIC FORM)

- To save share certificates from LOSS, THEFT and DAMAGE
- To save stamp duty on transfer of physical shares
- To have Bonus / Rights credited to your demat account directly
- For effecting hassle-free transfer of shares to the demat account of Nominee in the event of death of account Holder

2. FREE FACILITY TO DEMAT ACCOUNT HOLDERS:

- FREE SMS alert for each debit/IPO credit of shares in the demat account
- IDeAS facility for online viewing of transactions for 30 days and print-out of last 12 months transactions
- Direct Dividend credit through ECS (wherever applicable) if MICR code is available in the demat account
- Tendering Delivery Instruction Slips at any of the 53 DP Service Centres

3. WHERE TO AVAIL DEMAT SERVICES AT IOB

CHENNAI - Anna Nagar, Besant Nagar, Cathedral, Esplanade, Nungambakkam, Teynampet, T.Nagar, Saidapet, Sowcarpet, Velachery and Walltax Road.

MUMBAI - Andheri (E), Borivili (W), Breach Candy, Fort, Fountain, Ghatkopar (E), Juhu, Khar, Mahim, Malad, Mandvi, New Marine Lines, Santacruz, Sion (E), Dombivili (E), Vile Parle (E), Nariman Point, Chembur, Kalbadevi Road, Worli, Thane (West), Nand Jyot Indl. Estate, Jogeshwari, Vashi and Kandivili (E)

OTHER PLACES - Amristar (Main), Ahmedabad (Ashram Road), Bangalore (Main & Malleswaram), Baroda (Main), Jaipur (MI Road), Delhi (Model Town & Janpath), Coimbatore (Main), Ernakulam (Main), Hyderabad (Main), Kolkata (India Exchange Place & Lansdowne Market), Visakhapatnam (Main), Surat (Main), Rajkot (Main) and Gandhi Nagar (Gujarat)

4. POINTS TO BE NOTED BY EXISTING DEMAT ACCOUNT HOLDERS

- Ensure to submit PAN particulars of all account holders if the status of account is blocked/suspended for Debit. In case the status of your account is "Suspended for Debit and Credit", you have to submit both identity proof (PANCARD) and address proof. Please contact DP for further clarifications. **There is a possibility that the shares held in such blocked accounts are liable to be attached by Income-Tax Authorities, as per Press Reports**
- Opt for Nomination, if not opted for already.
- If Nomination is not required, please contact DP and provide specific declaration

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002

फार्म 'बी'
प्रॉक्सी फॉर्म

विनियम 70 का उप-विनियमन (iii) देखें
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियो सं.
(यदि बेकागजीकृत न हो)

डीपीआईडी सं.:
सीएलआईडी सं.:

मैं/हम, निवासी जिला
..... राज्य इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते
एतद्द्वारा श्री/श्रीमती निवासी
जिला राज्य को, अथवा इनके न होने पर,
श्री/श्रीमती निवासी जिला राज्य को,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की शनिवार दिनांक 04 जुलाई 2009 को नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानन्द हॉल)
314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें
मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवजी) के रूप में नियुक्त करता/करती/करते हूँ/हैं ।
आज वर्ष 2009 के माह के दिन हस्ताक्षरित

.....
(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)
नाम
पता
.....

पन्द्रह पैसे का
राजस्व
टिकट चिपकाएँ

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर



उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास

(कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौंप दें)

शेयरधारक का नाम व पता
.....
.....

धारित शेयरों की संख्या :
पंजीकृत फोलियों सं
(यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)

डी पी आईडी सं.
(यदि बेकागजीकृत है तो)

ग्राहक आई डी सं. :

मैं 04 जुलाई 2009 को सुबह 11.00 बजे, नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानन्द हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में आयोजित बैंक की 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of Regulation 70

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)
D P Id No. Cl. Id No.

I/We resident of in the district of in the state, being a shareholder / shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of in the district of in the state of as my/our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the 9th Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Saturday, 04th July 2009 at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai - 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2009.

.....
 (Signature of the Proxy)
 Name
 Address

Please affix
 15 paise
 Revenue
 Stamp

Signature of the first named/sole holder



ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the shareholder

No of shares held :

Regd Folio No :

(If not dematerialised)

DP ID No:

Client Id No:

(If dematerialised)

I hereby record my presence at the 9th Annual General Meeting of the Bank held on 4th July 2009 at 11.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314, TTK Road, Chennai - 600 018

(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)



दिनांक:.....

प्रेषक :

सेवा में
मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
यूनिट: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग
न.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै-600002

प्रिय महोदय,

संदर्भ : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) के ज़रिए लाभांश का भुगतान

प्रथम धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)					
फोलियो सं.					
शेयरों की संख्या					
बैंक खाते का प्रकार (कृपया (✓) का निशान लगाएँ)	बचत खाता		चालू खाता		नकदी उधार खाता
बैंक खाता सं.					
बैंक का नाम					
शाखा का नाम					
बैंक का पूरा पता					
बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दिखाई दे रहे बैंक एवं शाखा की 9 अंक की कोड संख्या (कृपया कोड की यथार्थता के सत्यापन के लिए अपने उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी कोरी निरस्त चेक या चेक की छायाप्रति संलग्न करें)					

मुझे लाभांश भुगतान के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा जब भी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा कार्यान्वित की जाएगी, तब मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही एवं पूर्ण है। यदि लेनदेन में देरी होती है या अपूर्ण या असत्य जानकारी के कारण लेनदेन पूरा नहीं होता है, तो मैं इसमें इण्डियन ओवरसीज़ बैंक/रजिस्ट्रार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ ठहराऊँगी।

मैं आगे भी अपने बैंक, शाखा एवं खाता सं. में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार/इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को देने का वचन देता / देती हूँ।

(प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)



Date :

From:

To:
M/s. Cameo Corporate Services Limited
Unit : INDIAN OVERSEAS BANK
'Subramanian Building'
No.1 Club House Road,
Chennai - 600 002.

Dear Sir(s),

Ref: PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS)

Name of First Holder (In Block Letter)						
Folio No.						
No. of shares						
Bank A/c Type (Please tick (✓))	Savings A/c	<input type="checkbox"/>	Current A/c	<input type="checkbox"/>	Cash Credit A/c	<input type="checkbox"/>
Bank Account Number						
Name of the Bank						
Branch Name						
Full Address of the Bank						
9-Digit Code number Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code).						

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank / Registrar responsible**.

I further undertake to inform the **Registrar / Indian Overseas Bank** of any change in my Bank, Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole Shareholder)